



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे 2020-21



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



## बिहार सरकार



विनियोग लेखे

वर्ष 2020-21 के लिए

बिहार सरकार



---

## विषय सूची

---

विषय	पृष्ठ
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xvii-xix
क्रमांक तथा अनुदान/विनियोग का नाम	
1. कृषि विभाग	01-18
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	19-30
3. भवन निर्माण विभाग	31-53
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	54-58
5. राज्यपाल सचिवालय	59-61
6. निर्वाचन विभाग	62-63
7. निगरानी विभाग	64-65
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	66-68
9. सहकारिता विभाग	69-73
10. ऊर्जा विभाग	74-77
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	78-80
12. वित्त विभाग	81-86
13. सूद भुगतान	87-89
14. ऋण अदायगियाँ	90-91
15. पेंशन	92-97
16. पंचायती राज विभाग	98-105
17. वाणिज्य-कर विभाग	106-107
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	108-113
19. पर्यावरण एवं वन विभाग	114-119
20. स्वास्थ्य विभाग	120-140
21. शिक्षा विभाग	141-161
22. गृह विभाग	162-175
23. उद्योग विभाग	176-183
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	184-185
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	186-188
26. श्रम संसाधन विभाग	189-196
27. विधि विभाग	197-199
28. उच्च न्यायालय	200-201
29. खान एवं भूतत्व विभाग	202-203

	पृष्ठ
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	204-209
31. संसदीय कार्य विभाग	210-211
32. विधानमंडल	212-215
33. सामान्य प्रशासन विभाग	216-219
34. बिहार लोक सेवा आयोग	220
35. योजना एवं विकास विभाग	221-227
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	228-233
37. ग्रामीण कार्य विभाग	234-237
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	238-240
39. आपदा प्रबंधन विभाग	241-254
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	255-259
41. पथ निर्माण विभाग	260-266
42. ग्रामीण विकास विभाग	267-273
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	274-276
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	277-282
45. गन्ना उद्योग विभाग	283-285
46. पर्यटन विभाग	286-288
47. परिवहन विभाग	289-292
48. नगर विकास एवं आवास विभाग	293-306
49. जल संसाधन विभाग	307-311
50. लघु जल संसाधन विभाग	312-316
51. समाज कल्याण विभाग	317-328
परिशिष्ट वर्ष 2020-21 के लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों का अनुदानवार विवरण	329-334

## प्रस्तावना

वर्ष 2020-21 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

## टिप्पणी

इन लेखाओं में :

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।  
“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।  
“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु वही मानदण्ड अपनायी गयी है, जो अविभाजित बिहार राज्य हेतु महालेखाकार (ले० एवं हक०)-I, बिहार एवं झारखण्ड द्वारा विनियोग लेखे के तैयारी करने हेतु अपनायी जाती थी।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु मानदण्ड समान्यतया उपबंध के 10 प्रतिशत अथवा नीचे दिये गये तालिका में दर्शायी गयी राशि जो भी अधिक हो बिहार राज्य के विनियोग लेखे के टिप्पणी हेतु अपनायी गयी है-

क्रम सं०	बजट प्रावधान	बचत/अधिक व्यय
1.	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख
2.	₹ 5.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख
3.	₹ 50.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख
4.	₹ 100.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख
5.	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

1. कृषि विभाग दत्तमत	3,32,44,727	11,05,471	1,49,85,421	0
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत	1,24,51,178	28,852	63,81,740	18,180
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत	86,53,198	4,53,74,639	41,53,661	1,15,66,844
4. मंत्रिमंडल सचिवालय दत्तमत	38,27,751	13,00,084	18,15,554	0
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	2,96,305	0	2,052	0
6. निर्वाचन विभाग दत्तमत	1,04,72,243	0	92,27,301	0
7. निगरानी विभाग दत्तमत	4,27,206	0	2,99,511	0
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत	17,08,664	0	7,38,022	0
9. सहकारिता विभाग दत्तमत	1,37,31,908	31,16,383	89,46,304	17,58,554
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत	7,55,67,800	2,27,49,747	7,54,26,588	1,36,89,630

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

1,82,59,306	11,05,471	0	0
60,69,438	10,672	0	0
44,99,537	3,38,07,795	0	0
20,12,197	13,00,084	0	0
2,94,253	0	0	0
12,44,942	0	0	0
1,27,695	0	0	0
9,70,642	0	0	0
47,85,604	13,57,829	0	0
1,41,212	90,60,117	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत	1,70,05,668	1,85,000	41,27,809	6,387
12. वित्त विभाग दत्तमत	33,12,616	3,97,39,700	18,40,886	68,18,897
प्रभारित	97,25,400	0	549	0
13. सूद भुगतान प्रभारित	12,95,06,747	0	12,48,40,396	0
14. ऋण अदायगियाँ प्रभारित	0	7,05,33,263	0	6,88,04,698
15. पेंशन दत्तमत	20,45,41,042	0	19,66,54,263	0
प्रभारित	1,40,524	0	62,127	0
16. पंचायती राज विभाग दत्तमत	12,59,78,402	48,00,000	8,23,60,065	16,63,974
17. वाणिज्य-कर विभाग दत्तमत	19,64,276	0	13,17,959	0
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दत्तमत	2,23,68,858	1,50,001	72,80,545	,
19. पर्यावरण एवं वन विभाग दत्तमत	66,49,736	6,50,000	61,58,303	4,61,515
20. स्वास्थ्य विभाग दत्तमत	11,41,43,574	1,80,82,500	8,52,04,479	64,57,171
21. शिक्षा विभाग दत्तमत	37,12,80,193	1,47,06,400	26,40,16,921	41,20,577

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

1,28,77,859	1,78,613	0	0
14,71,730	3,29,20,803	0	0
97,24,851	0	0	0
46,66,351	0	0	0
0	17,28,565	0	0
78,86,779	0	0	0
78,397	0	0	0
4,36,18,337	31,36,026	0	0
6,46,317	0	0	0
1,50,88,313	1,50,001	0	0
4,91,433	1,88,485	0	0
2,89,39,095	1,16,25,329	0	0
10,72,63,272	1,05,85,823	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

22. गृह विभाग दत्तमत	11,75,72,451	49,82,381	9,47,23,493	13,94,382
23. उद्योग विभाग दत्तमत	66,38,990	30,21,269	36,76,852	9,69,131
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दत्तमत	23,81,790	0	18,29,660	0
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	17,56,879	16,70,000	9,71,219	11,55,000
26. श्रम संसाधन विभाग दत्तमत	86,01,922	1,00,000	43,81,604	15,024
27. विधि विभाग दत्तमत	95,02,543	0	80,96,315	0
28. उच्च न्यायालय प्रभारित	18,35,878	0	15,50,041	0
29. खान एवं भूतत्व विभाग दत्तमत	5,61,557	0	3,40,625	0
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दत्तमत	33,20,056	29,50,000	20,49,749	7,68,170
31. संसदीय कार्य विभाग दत्तमत	71,413	0	68,718	0

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

2,28,48,958	35,87,999	0	0
29,62,138	20,52,138	0	0
5,52,130	0	0	0
7,85,660	5,15,000	0	0
42,20,318	84,976	0	0
14,06,228	0	0	0
2,85,837	0	0	0
2,20,932	0	0	0
12,70,307	21,81,830	0	0
2,695	0	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

32. विधान मंडल

दत्तमत	23,24,916	0	18,19,095	0
प्रभारित	14,620	0	5,568	0

33. सामान्य प्रशासन विभाग

दत्तमत	79,40,333	0	56,04,220	0
प्रभारित	77,332	0	68,714	0

34. बिहार लोक सेवा आयोग

प्रभारित	3,51,459	0	3,35,676	0
----------	----------	---	----------	---

35. योजना एवं विकास विभाग

दत्तमत	81,49,145	1,37,96,600	48,53,366	73,55,985
--------	-----------	-------------	-----------	-----------

36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

दत्तमत	1,07,44,767	5,85,00,000	62,69,173	4,75,13,243
--------	-------------	-------------	-----------	-------------

37. ग्रामीण कार्य विभाग

दत्तमत	2,21,48,883	9,42,40,000	1,89,77,214	3,30,19,273
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

दत्तमत	28,08,865	0	17,86,483	0
--------	-----------	---	-----------	---

39. आपदा प्रबंधन विभाग

दत्तमत	9,35,89,879	58,000	6,74,19,543	0
--------	-------------	--------	-------------	---

40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

दत्तमत	1,36,22,949	4,52,002	66,74,900	9,782
--------	-------------	----------	-----------	-------

41. पथ निर्माण विभाग

दत्तमत	2,41,05,219	6,41,55,901	1,69,05,187	3,20,38,789
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

5,05,821	0	0	0
9,052	0	0	0
23,36,113	0	0	0
8,618	0	0	0
15,783	0	0	0
32,95,779	64,40,615	0	0
44,75,594	1,09,86,757	0	0
31,71,669	6,12,20,727	0	0
10,22,382	0	0	0
2,61,70,336	58,000	0	0
69,48,049	4,42,220	0	0
72,00,032	3,21,17,112	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत	17,83,10,336	1,50,100	9,29,91,601	1,50,000
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	27,67,496	8,89,372	21,63,971	7,20,549
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दत्तमत	1,72,33,136	40,000	1,27,02,369	0
45. गन्ना उद्योग विभाग दत्तमत	11,97,830	0	4,69,464	0
46. पर्यटन विभाग दत्तमत	8,03,420	22,91,900	1,86,905	3,77,203
47. परिवहन विभाग दत्तमत	40,10,616	1,40,000	21,77,392	8,800
48. नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत	9,34,31,963	25,00,000	5,59,03,889	5,00,000
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	1,09,58,719	4,03,33,081	81,43,104	195,61,705
50. लघु जल संसाधन विभाग दत्तमत	1,05,43,383	78,75,000	87,25,060	25,71,942
51. समाज कल्याण विभाग दत्तमत	10,97,05,549	4,76,279	8,79,46,950	0
कुल दत्तमत :	1,79,21,34,045	45,06,10,662	1,28,87,93,453	19,46,90,707
कुल प्रभारित :	14,19,48,265	7,05,33,263	12,68,65,123	6,88,04,698
<b>कुल जोड़ :</b>	<b>1,93,40,82,310</b>	<b>52,11,43,925</b>	<b>1,41,56,58,576</b>	<b>26,34,95,405</b>

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
8,53,18,735	100	0	0
6,03,525	1,68,823	0	0
45,30,767	40,000	0	0
7,28,366	0	0	0
6,16,515	19,14,697	0	0
18,33,224	1,31,200	0	0
3,75,28,074	20,00,000	0	0
28,15,615	2,07,71,376	0	0
18,18,323	53,03,058	0	0
2,17,58,599	4,76,279	0	0
50,33,40,592	25,59,19,955	0	0
150,83,142	17,28,565	0	0
<b>51,84,23,734</b>	<b>25,76,48,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम

अनुभाग

शून्य

### विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए वैसे खर्च शामिल नहीं है जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

---

अनुदान /विनियोग संख्या	लेखा का मुख्य शीर्ष वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2020-21 के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।
------------------------	---

---

(₹ हजार में)

शून्य

## विनियोग लेखे का सारांश - क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं ।

वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,28,87,93,453	19,46,90,707	12,68,65,123	6,88,04,698
घटायें- कुल वसूलियाँ	2,07,23,201	14,64,991	906	0
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे खण्ड-1 के विवरण 11 में दिखाया गया है ।	1,26,80,70,252	19,32,25,716	12,68,64,217	6,88,04,698

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

---

## विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

---

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एव ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।



मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी संपूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे वित्त, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

दिनांक: 15 दिसम्बर 2021

स्थान : नई दिल्ली



( राजीव महर्षि )

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**अनुदान संख्या- 1- कृषि विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401	फसल कृषि-कर्म
2402	मृदा तथा जल संरक्षण
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	3,10,28,142	3,32,44,727	1,49,85,421	(-)1,82,59,306
अनुपूरक	22,16,585			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				23,40,131
4 अगस्त 2020	2,80,509			
25 फरवरी 2021	20,59,622			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय
6401	फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	5,00,000	11,05,471	0	(-)11,05,471
अनुपूरक	6,05,471			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹1,82,593.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹1,327.10 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹20,838.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹22,165.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹23,401.31 लाख), अंतिम बचत (₹1,82,593.06 लाख) से ₹1,59,191.75 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 1- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,834.68	1,824.28	1,152.59	(-)671.69	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.40 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)10.40				
2401-00-001-0011 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	43,411.34	43,574.51	26,292.32	(-)17,282.19	प्रावधान में ₹44.83 लाख की हुई कमी, ₹ 26.40 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 71.23 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	208.00				
	पुनर्वि०	(-)44.83				
2401-00-001-0214 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	415.00	415.00	0.00	(-)415.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-001-0314 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	243.29	243.29	0.00	(-)243.29	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-102-0201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,100.65	7,100.65	3,121.88	(-)3,978.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2401-00-102-0301	मूल	4,162.40	4,162.40	1,932.51	(-)2,229.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-103-0001	मूल	2,042.85	2,042.85	1,749.96	(-)292.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बीज गुणन फार्म (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2401-00-103-0109	मूल	11,620.00	11,620.00	8,188.56	(-)3,431.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बीज गुणन फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय (राज्य स्कीम)						
2401-00-103-0218	मूल	2,075.00	473.61	0.00	(-)473.61	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 1,601.39 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)		पुनर्वि० (-)1,601.39				
2401-00-103-0318	मूल	1,216.36	315.73	0.00	(-)315.73	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 900.63 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)		पुनर्वि० (-)900.63				
2401-00-104-0106	मूल	8,894.94	8,894.94	3,179.42	(-)5,715.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)						
2401-00-104-0205	मूल	415.00	1,724.23	46.16	(-)1,678.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)		अनु० 1,309.23				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2401-00-104-0305 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	243.27	1,149.47	33.55	(-)1,115.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	906.20				
2401-00-105-0001 कम्पोस्ट खाद योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	350.07	350.07	254.14	(-)95.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-105-0106 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	19,274.42	19,274.42	3,160.41	(-)16,114.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-105-0207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,660.00	2,067.68	862.43	(-)1,205.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	407.68				
2401-00-105-0307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	973.09	1,415.62	518.17	(-)897.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	442.53				
2401-00-108-0001 जूट विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	421.07	421.07	187.77	(-)233.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-108-0220 राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	544.48	544.48	122.41	(-)422.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2401-00-108-0320	मूल	319.18	319.18	79.78	(-)239.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-109-0103	मूल	16,600.00	14,417.84	1,652.79	(-)12,765.05	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 2,182.16 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)2,182.16				
2401-00-109-0106	मूल	20,750.00	20,750.00	13,757.12	(-)6,992.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-109-0216	मूल	14,525.00	11,306.09	3,755.64	(-)7,550.45	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 3,218.91 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,218.91				
2401-00-109-0218	मूल	3,320.00	3,320.00	0.00	(-)3,320.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-109-0316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,514.55	7,700.33	2,536.33	(-)5,164.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 814.22 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)814.22				
2401-00-109-0318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,946.18	1,946.18	0.00	(-)1,946.18	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-113-0105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	13,571.70	13,571.70	2,469.05	(-)11,102.65	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 1,366.11 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,366.11				
	पुनर्वि०	(-)1,366.11				
2401-00-113-0217 कृषि यंत्रिकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,245.00	7,968.00	0.00	(-)7,968.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	6,723.00				
2401-00-113-0317 कृषि यंत्रिकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	729.82	5,312.00	0.00	(-)5,312.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4,582.18				
2401-00-119-0001 उद्यान विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,689.12	2,688.12	1,989.02	(-)699.10	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1.00				
2401-00-119-0101 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,325.50	12,325.50	7,977.99	(-)4,347.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2401-00-119-0224	मूल	2,170.45	2,170.45	1,474.95	(-)695.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय बागबानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-119-0324	मूल	1,272.32	1,272.32	979.49	(-)292.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय बागबानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0106	मूल	4,000.00	4,000.00	2,459.22	(-)1,540.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना (राज्य स्कीम)						
2401-00-789-0117	मूल	2,240.00	2,240.00	1,532.41	(-)707.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)						
2401-00-789-0120	मूल	2,615.88	2,615.88	234.49	(-)2,381.39	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 263.35 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	अनु०	263.35				
	पुनर्वि०	(-)263.35				
2401-00-789-0125	मूल	3,200.00	2,779.34	318.61	(-)2,460.73	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 420.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बाढ़ सुखाड़ की आपतकालीन योजना (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)420.66				
2401-00-789-0126	मूल	3,715.55	3,715.55	474.69	(-)3,240.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2401-00-789-0130	मूल	2,376.00	2,376.00	1,438.32	(-)937.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)						
2401-00-789-0147	मूल	1,714.69	1,714.69	512.92	(-)1,201.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)						
2401-00-789-0203	मूल	2,800.00	3,307.12	670.68	(-)2,636.44	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 77.11 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	584.23				
	पुनर्वि०	(-)77.11				
2401-00-789-0234	मूल	104.96	104.96	21.88	(-)83.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0235	मूल	418.40	418.40	283.58	(-)134.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0237	मूल	1,368.80	1,368.80	525.30	(-)843.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0238	मूल	320.00	398.59	180.19	(-)218.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	78.59				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2401-00-789-0239	मूल	640.00	640.00	0.00	(-)640.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0240	मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0241	मूल	80.00	332.38	9.70	(-)322.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	252.38				
2401-00-789-0245	मूल	240.00	1,536.00	0.00	(-)1,536.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,296.00				
2401-00-789-0249	मूल	400.00	91.30	0.00	(-)91.30	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 308.70 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)308.70				
2401-00-789-0303	मूल	1,641.36	2,227.00	452.68	(-)1,774.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	585.64				
2401-00-789-0323	मूल	802.39	802.39	335.32	(-)467.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 1- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2401-00-789-0334	मूल	61.53	61.53	14.32	(-)47.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0335	मूल	245.26	245.26	186.09	(-)59.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0338	मूल	187.59	272.90	105.86	(-)167.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-789-0338	अनु०	85.31				
राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0339	मूल	375.17	375.17	0.00	(-)375.17	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0340	मूल	46.88	46.88	0.00	(-)46.88	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0341	मूल	46.90	221.59	6.47	(-)215.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-789-0341	अनु०	174.69				
परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2401-00-789-0345	मूल	140.69	1,024.00	0.00	(-)1,024.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-789-0345	अनु०	883.31				
कृषि यंत्रिकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2401-00-789-0349 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	234.48	60.87	0.00	(-)60.87	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 173.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)173.61				
2401-00-796-0134 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	87.02	(-)162.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-796-0140 बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	140.00	140.00	90.95	(-)49.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-796-0143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	163.43	163.43	6.43	(-)157.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 16.46 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	16.46				
2401-00-796-0147 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	173.71	19.91	(-)153.80	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 26.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)26.29				
2401-00-796-0148 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	232.22	232.22	18.54	(-)213.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-796-0152 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	148.50	148.50	82.27	(-)66.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2401-00-796-0231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	175.00	292.54	45.02	(-)247.52	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 4.81 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	122.35				
	पुनर्वि०	(-)4.81				
2401-00-796-0259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	85.55	85.55	26.03	(-)59.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-796-0261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-796-0267 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15.00	96.00	0.00	(-)96.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	81.00				
2401-00-796-0271 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	25.00	5.71	0.00	(-)5.71	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 19.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)19.29				
2401-00-796-0331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई)(एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	102.59	206.00	30.28	(-)175.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	103.41				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2401-00-796-0359	मूल	50.15	50.15	16.45	(-)33.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-796-0367	मूल	8.79	64.00	0.00	(-)64.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	55.21				
2402-00-001-0001	मूल	366.63	302.63	265.22	(-)37.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹64.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)64.00				
2402-00-101-0001	मूल	106.50	106.50	65.30	(-)41.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2402-00-102-0004	मूल	703.50	767.50	624.68	(-)142.82	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹64.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	64.00				
2402-00-102-0112	मूल	6,225.00	4,429.54	4,241.69	(-)187.85	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 1,795.46 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,795.46				

**अनुदान संख्या- 1- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2402-00-102-0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,810.00	724.72	724.71	(-)0.01	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 5,085.28 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)5,085.28				
2402-00-102-0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,405.82	483.15	483.14	(-)0.01	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 2,922.67 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)2,922.67				
2402-00-789-0101 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	853.89	800.37	(-)53.52	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 346.11 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)346.11				
2402-00-789-0202 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,120.00	148.44	148.44	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 971.56 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)971.56				
2402-00-789-0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	656.55	98.96	98.96	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 557.59 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)557.59				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2402-00-796-0209 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)70.00				
2402-00-796-0309 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	41.03	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)41.03				
2415-01-004-0006 मिट्टी जॉच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	824.70	830.70	615.87	(-)214.83	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	6.00				
2415-01-004-0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	713.80	759.45	536.14	(-)223.31	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 153.89 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	199.54				
	पुनर्वि०	(-)153.89				
2415-01-277-0006 सेवा काल में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा पर्षद की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	316.62	319.90	211.00	(-)108.90	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3.28 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	3.28				

**अनुदान संख्या- 1- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2415-01-277-0008	मूल	14,850.00	14,850.00	11,673.23	(-)3,176.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2415-01-277-0101	मूल	49.80	49.80	5.48	(-)44.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)						
2415-01-277-0112	मूल	1,162.00	1,162.00	0.00	(-)1,162.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
2415-01-789-0107	मूल	137.60	146.40	55.36	(-)91.04	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 29.68 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	38.48				
	पुनर्वि०	(-)29.68				
मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)						
2415-01-789-0108	मूल	224.00	224.00	0.00	(-)224.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
2435-01-102-0003	मूल	645.75	657.75	382.18	(-)275.57	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹12.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	12.00				
बीज परीक्षण प्रयोगशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2435-60-101-0101	मूल	415.00	415.00	0.00	(-)415.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2435-60-789-0101	मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3451-00-090-0007 कृषि मंत्रालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	774.10	823.61	495.29	(-)328.32	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹24.55 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	24.96				
	पुनर्वि०	24.55				
3475-00-106-0001 माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,436.49	1,446.90	1,179.63	(-)267.27	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.40 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	10.40				
3475-00-106-0101 माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,328.00	1,357.38	200.36	(-)1,157.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	29.38				
3475-00-789-0103 माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	256.00	261.66	26.23	(-)235.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	5.66				

**अनुदान संख्या- 1- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹11,054.71 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4401-00-051-0101	मूल	4,150.00	4,150.00	0.00	(-)4,150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4401-00-789-0101	मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4401-00-796-0101	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
6401-00-190-0002	अनु०	6,054.71	6,054.71	0.00	(-)6,054.71	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2403	पशु-पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली-पालन
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	1,17,89,197	1,24,51,178	63,81,740	(-)60,69,438
अनुपूरक	6,61,981			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				95,266
5 अगस्त 2020	95,266			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
------	----------------------------

दत्तमत :

मूल	18	28,852	18,180	(-)10,672
अनुपूरक	28,834			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹60,694.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹5,480.81 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹1,139.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,619.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹952.66 लाख), अंतिम बचत (₹60,694.38 लाख) से ₹59,741.72 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2403-00-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	799.15	815.85	708.31	(-)107.54	प्रावधान में ₹16.70 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 57.96 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 41.26 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	16.70				
2403-00-001-0003 अधीक्षण-क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,259.29	4,259.29	3,120.55	(-)1,138.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-101-0003 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	16,272.67	16,240.51	12,670.58	(-)3,569.93	प्रावधान में ₹32.16 लाख की हुई कमी, ₹ 7.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹39.16 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)32.16				
2403-00-101-0004 पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	169.19	169.19	119.99	(-)49.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-101-0101 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	14,711.66	9,035.54	(-)5,676.12	प्रथम अनुपूरक आगणन हेतु ₹617.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	328.90				
	पुनर्वि०	(-)617.24				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2403-00-101-0201	मूल	2,203.00	2,203.00	0.00	(-)2,203.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-101-0301	मूल	830.00	830.00	69.50	(-)760.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-102-0001	मूल	167.80	167.80	133.80	(-)34.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-102-0006	मूल	6,362.84	6,346.14	4,761.51	(-)1,584.63	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹16.70 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)16.70				
2403-00-102-0007	मूल	179.58	179.59	141.16	(-)38.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
2403-00-102-0101	मूल	800.00	800.00	525.92	(-)274.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-102-0110	मूल	200.02	213.86	133.84	(-)80.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	13.84				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2403-00-103-0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	697.29	712.29	604.15	(-)108.14	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	15.00				
2403-00-103-0106 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,485.80	2,485.80	286.09	(-)2,199.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-104-0102 अवि एवं अजा का पोषण एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	98.93	(-)401.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-106-0111 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	34.71	(-)40.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-106-0212 राष्ट्रीय मवेशी प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,203.00	2,203.00	0.00	(-)2,203.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-106-0213 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	604.00	604.00	79.99	(-)524.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2403-00-106-0312	मूल	830.00	830.00	0.00	(-)830.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-106-0313	मूल	364.00	364.00	53.33	(-)310.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-106-0411	मूल	100.00	100.00	34.63	(-)65.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-106-0501	मूल	2,200.00	2,200.00	0.00	(-)2,200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-107-0001	मूल	197.95	197.95	145.16	(-)52.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-107-0103	मूल	94.00	80.16	24.08	(-)56.08	प्रथम अनुपूरक आगणन हेतु ₹13.84 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
चारा कोष की स्थापना (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)13.84				
2403-00-109-0108	मूल	100.00	100.00	33.00	(-)67.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2403-00-113-0001 राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	926.11	943.27	759.86	(-)183.41	प्रावधान में ₹17.16 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 19.07 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.91 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	17.16				
2403-00-789-0101 बैंक यार्ड बकरी पालन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	982.00	982.00	44.92	(-)937.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0102 बैंक यार्ड मुर्गी पालन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,630.00	1,311.76	100.00	(-)1,211.76	प्रथम अनुपूरक आगणन हेतु ₹318.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)318.24				
2403-00-789-0108 बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	66.00	(-)134.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0109 पशुधन विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	194.56	(-)405.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0110 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	98.97	(-)201.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0111 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	अनु०	318.24	318.24	180.50	(-)137.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2403-00-789-0205	मूल	147.00	147.00	0.00	(-)147.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0206	मूल	637.00	637.00	0.00	(-)637.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0207	मूल	637.00	637.00	0.00	(-)637.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0306	मूल	160.00	160.00	0.00	(-)160.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0307	मूल	160.00	160.00	0.00	(-)160.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-789-0308	मूल	92.00	92.00	0.00	(-)92.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-796-0124	मूल	52.00	52.00	15.21	(-)36.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2403-00-796-0125 बैंक यार्ड मुर्गी पालन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	96.66	20.00	(-)76.66	प्रथम अनुपूरक आगणन हेतु ₹3.34 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3.34				
2403-00-796-0129 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	19.79	(-)40.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-796-0228 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2403-00-796-0230 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2404-00-001-0103 गव्य निदेशालय का पुनर्गठन (राज्य स्कीम)	मूल	862.68	862.68	0.00	(-)862.68	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2404-00-003-0101 प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	450.00	450.00	50.30	(-)399.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2404-00-102-0010 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	765.56	765.56	672.55	(-)93.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2404-00-102-0115 गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	10,614.32	15,384.00	10,958.36	(-)4,425.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4,769.68				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2404-00-191-0201	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2404-00-191-0301	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2404-00-789-0101	मूल	2,704.00	2,704.00	1,282.57	(-)1,421.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण डेयरी रोजगार योजनाएं (राज्य स्कीम)						
2404-00-796-0101	मूल	169.00	169.00	69.47	(-)99.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रशिक्षण एवं प्रसार (राज्य स्कीम)						
2405-00-001-0001	मूल	2,315.70	2,315.70	1,685.15	(-)630.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मत्स्य विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2405-00-001-0101	मूल	475.80	475.80	413.78	(-)62.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन (राज्य स्कीम)						
2405-00-001-0103	मूल	375.14	375.14	0.00	(-)375.14	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मन मत्स्य का विकास (राज्य स्कीम)						
2405-00-004-0101	मूल	110.00	110.00	1.50	(-)108.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मत्स्य अनुसंधान योजना (राज्य स्कीम)						
2405-00-101-0001	मूल	1,019.10	1,019.10	757.28	(-)261.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मत्स्य पालक विकास अभिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2405-00-101-0104	मूल	6,853.90	6,853.90	2,373.93	(-)4,479.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)						
2405-00-101-0219	मूल	4,700.00	4,700.00	1,044.53	(-)3,655.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2405-00-101-0319	मूल	1,500.00	2,639.00	706.02	(-)1,932.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,139.00				
नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2405-00-109-0102	मूल	1,620.50	1,620.50	567.17	(-)1,053.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मत्स्य प्रसार (राज्य स्कीम)						
2405-00-109-0501	मूल	1,700.00	1,700.00	0.00	(-)1,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार एक्वा कल्चर और पशुधन कार्यान्वयन परियोजना (बाली) (आई एफ ए डी संपोषित) (राज्य स्कीम)						
2405-00-789-0101	मूल	3,344.00	3,344.00	849.94	(-)2,494.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मछुआरों को सहायता (राज्य स्कीम)						
2405-00-796-0109	मूल	209.00	209.00	52.15	(-)156.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मछुआरों को सहायता (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2415-03-277-0001	मूल	5,401.08	5,401.08	4,567.38	(-)833.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2415-03-277-0101	मूल	3,154.00	3,154.00	1,797.78	(-)1,356.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)						
2415-03-277-0201	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2415-03-277-0301	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2415-03-789-0101	मूल	608.00	608.00	346.56	(-)261.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)						
2415-03-789-0201	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 2- क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2415-05-004-0001	मूल	128.10	128.10	71.62	(-)56.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3451-00-090-0008	मूल	206.08	252.88	198.02	(-)54.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	46.80				
3454-01-001-0405	मूल	682.84	682.84	537.59	(-)145.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3454-01-789-0401	मूल	270.05	270.05	0.00	(-)270.05	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹106.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹288.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4403-00-102-0101	मूल	0.18	288.52	181.80	(-)106.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	288.34				

**अनुदान संख्या- 3- भवन निर्माण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
2059 लोक निर्माण कार्य  
2216 आवास  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
3053 नागर विमानन  
3055 सड़क परिवहन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	86,53,196	86,53,198	41,53,661	(-)44,99,537
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय  
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय  
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय  
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय  
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय  
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय  
4235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय  
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय  
4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय  
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	4,53,03,992	4,53,74,639	1,15,66,844	(-)3,38,07,795
अनुपूरक	70,647			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				78,14,800
26 फरवरी 2021	78,14,800			

**अनुदान संख्या- 3- क्रमशः**

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

(i) ₹44,995.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹0.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0020 भवन निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	237.15	249.19	189.78	(-)59.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹12.04 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	12.04				
2059-01-053-0008 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र भवनों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0011 पशुपालन विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0014 कृषि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0016 शिक्षा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 3- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2059-01-053-0017	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0021	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0023	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0025	मूल	400.00	400.00	112.36	(-)287.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0026	मूल	2,200.00	2,200.00	583.61	(-)1,616.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0027	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2059-01-053-0029 स्वास्थ्य विभाग के भवनों का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.01	125.01	46.47	(-)78.54	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	125.00				
2059-01-053-0103 गृह विभाग (कारा) के मुख्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	5.50	(-)44.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0118 वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	21.99	(-)78.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-053-0128 अभियोजन निदेशालय के कार्यालय कक्ष के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	90.00	9.90	(-)80.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-01-103-0001 सचिवालय भवन का साज-सामान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	152.07	(-)97.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-60-053-0001 शहरी अस्पतालों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	375.00	76.26	(-)298.74	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)125.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2059-60-053-0002	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-60-053-0013	मूल	500.00	500.00	225.82	(-)274.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-60-053-0014	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-60-053-0016	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-001-0001	मूल	2,290.34	2,290.34	1,878.77	(-)411.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-001-0004	मूल	20,808.93	20,808.93	15,262.00	(-)5,546.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2059-80-001-0011 उद्यान स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,940.48	2,097.48	899.82	(-)1,197.66	प्रावधान में ₹157.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 157.27 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.27 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	157.00				
2059-80-051-0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	600.00	600.00	76.99	(-)523.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-052-0001 नई पूर्ति एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	139.05	(-)110.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-053-0001 अनुरक्षण और मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,500.00	32,330.96	12,952.86	(-)19,378.10	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹169.04 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)169.04				
2059-80-053-0002 कार्यभारित स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	12.39	(-)37.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-053-0004 विद्युत कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,000.00	7,000.00	3,959.04	(-)3,040.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2059-80-053-0005	मूल बिहार भवन, नई दिल्ली के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु विविध उपबंध (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,187.50	1,187.50	391.88	(-795.62)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-053-0010	मूल राज भवन का मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	226.27	226.27	112.15	(-114.12)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-053-0012	मूल माननीय उच्च न्यायालय, पटना के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,500.00	1,500.00	1,196.06	(-303.94)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-053-0013	मूल आवासीय एवं गैर आवासीय उद्यानों/पार्कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,000.00	953.00	222.12	(-730.88)	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹47.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-47.00)				
2059-80-053-0015	मूल गॉंधी मैदान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	50.00	50.00	0.00	(-50.00)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-103-0004	मूल निरीक्षण भवनों का साज-सज्जा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	31.25	31.25	0.00	(-31.25)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2059-80-103-0005	मूल राज भवन का साज-सज्जा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	80.00	80.00	46.41	(-33.59)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2216-01-053-0001	मूल अन्य रख-रखाव व्यय-प्रखंड के भवनों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	500.00	500.00	45.97	(-)454.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2216-01-053-0002	मूल अन्य रख-रखाव व्यय-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के भवनों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2216-01-053-0003	मूल निबंधन विभाग के आवासीय भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	100.00	100.00	58.71	(-)41.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2216-01-053-0004	मूल मुख्यमंत्री आवास संख्या-1, अणे मार्ग, पटना में साज-सामान एवं पैनलिंग की मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	400.00	400.00	210.21	(-)189.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2216-01-053-0005	मूल न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	2,200.00	2,200.00	540.35	(-)1,659.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2216-01-800-0012	मूल	350.00	350.00	120.45	(-)229.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विधायकों, राज्य मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवास का साज-सामान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-02-101-0224	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
3053-02-102-0001	मूल	50.00	50.00	0.98	(-)49.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
हवाई अड्डा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3055-00-190-0103	मूल	7,000.00	7,000.00	1,506.69	(-)5,493.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य पथ परिवहन (राज्य स्कीम)						

(vi) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2059-80-053-0017	अनु०	0.01	47.01	42.13	(-)4.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹47.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
माननीय उच्च न्यायालय पटना के आवासीय एवं गैर आवासीय उद्यानो/ पार्कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	47.00				

**अनुदान संख्या- 3- क्रमशः**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹3,38,077.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹706.47 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹78,148.00 लाख), अंतिम बचत (₹3,38,077.95 लाख) से ₹2,59,929.95 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4047-00-051-0101	मूल	1,600.00	1,600.00	1,083.24	(-)516.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वाणिज्यकर विभाग के भवन (राज्य स्कीम)						
4055-00-051-0103	मूल	1,800.00	1,800.00	968.00	(-)832.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नया पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण . गृह (आरक्षी) विभाग (राज्य स्कीम)						
4055-00-051-0105	मूल	1,133.00	1,133.00	689.51	(-)443.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नया पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण गृह (आरक्षी) विभाग (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0101	मूल	16,800.00	16,800.00	7,448.29	(-)9,351.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भवन (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0104	मूल	13,800.00	12,750.00	1,118.93	(-)11,631.07	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,050.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)		पुनर्वि०				
4059-01-051-0107	मूल	1,064.00	1,064.00	691.51	(-)372.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वित्त विभाग के भवन (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4059-01-051-0110	मूल	600.00	600.00	81.45	(-)518.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निबंधन विभाग के भवन (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0111	मूल	1,000.00	1,000.00	621.47	(-)378.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उत्पाद विभाग के भवन (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0113	मूल	1,000.00	1,000.00	623.36	(-)376.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सहकारिता विभाग के भवन (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0116	मूल	1,000.00	1,000.00	18.69	(-)981.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
संयुक्त श्रम भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0117	मूल	15,000.00	15,000.00	1,088.05	(-)13,911.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0118	मूल	300.00	300.00	13.58	(-)286.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0119	अनु०	462.81	462.81	120.38	(-)342.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कृषि कार्यालय के भवनों (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0122	मूल	200.00	200.00	11.74	(-)188.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय (राज्य स्कीम)						
4059-01-051-0123	मूल	200.00	200.00	20.54	(-)179.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निर्वाचन भवन का उद्घाटन (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
4059-01-051-0127	मूल	23,500.00	23,500.00	1,494.65	(-)22,005.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रखंड सूचना प्राद्यैगिकी केन्द्र का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित) (राज्य स्कीम)						
4059-01-789-0101	मूल	30,000.00	3,300.00	1,611.87	(-)1,688.13	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹26,700.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अनुसूचित जातियों के लिए भवन (राज्य स्कीम)		पुनर्वि०	(-)26,700.00			
4059-01-796-0104	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अनुसूचित जनजाति के भवन (राज्य स्कीम)						
4059-60-051-0015	मूल	3,141.00	3,141.00	1,434.12	(-)1,706.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इ०वी०एम०) गोदाम का निर्माण (निर्वाचन विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
4059-60-051-0101	मूल	316.00	316.00	19.34	(-)296.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4059-60-051-0104	मूल	869.00	1,919.00	566.23	(-)1,352.77	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,050.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
परिसदन का निर्माण एवं संधारण (राज्य स्कीम)		पुनर्वि०	1,050.00			

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति	
( ₹ लाख में )						
4059-60-051-0105	मूल केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	2,500.00	2,500.00	2,089.06	(-)410.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-60-051-0106	मूल स्टेडियम एवं खेल संरचना (राज्य स्कीम)	32,500.00	32,500.00	5,975.95	(-)26,524.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-60-051-0107	मूल सांस्कृतिक संचरना (राज्य स्कीम)	13,600.00	13,600.00	4,813.31	(-)8,786.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-60-051-0112	मूल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन (राज्य स्कीम)	23,100.00	23,100.00	14,368.40	(-)8,731.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-60-051-0114	मूल अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन (राज्य स्कीम)	257.20	257.20	212.69	(-)44.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-60-051-0116	मूल जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण (राज्य स्कीम)	2,000.00	2,000.00	193.05	(-)1,806.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-60-051-0121	मूल पटना उच्च न्यायालय का विस्तार (राज्य स्कीम)	5,000.00	5,000.00	2,156.18	(-)2,843.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4059-60-051-0123	मूल	1,000.00	1,000.00	79.09	(-)920.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भवन (राज्य स्कीम)						
4059-60-051-0124	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) (राज्य स्कीम)						
4059-60-051-0126	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-)10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बेली रोड, पटना में अभिलेखागार का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4059-60-051-0218	मूल	425.00	425.00	0.00	(-)425.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4059-60-051-0219	मूल	341.00	341.00	0.00	(-)341.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए)(पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4059-60-051-0222	मूल	3,000.00	3,000.00	7.12	(-)2,992.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4059-60-051-0318	मूल	145.00	145.00	0.00	(-)145.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
4059-60-051-0319	मूल	142.00	142.00	0.00	(-)142.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए)(पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4059-60-051-0322	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4059-60-051-0420	अनु०	212.72	212.72	2.91	(-)209.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उपभोक्ता अदालत फेज-2 का सुदृढीकरण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)						
4059-60-789-0106	मूल	5,600.00	5,600.00	2,804.86	(-)2,795.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4059-60-789-0207	मूल	43.00	43.00	0.00	(-)43.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए)(पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के भवन हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4059-60-789-0305	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4059-60-796-0103	मूल	400.00	400.00	193.66	(-)206.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4059-80-051-0004	मूल	625.00	625.00	37.15	(-)587.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सरकारी भवनों में परिवर्द्धन/परिवर्तन - संबंधी मुख्य निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध						
4059-80-051-0105	मूल	4,000.00	4,000.00	169.72	(-)3,830.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
न्यायिक भवन (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)						
4059-80-051-0109	मूल	199.00	199.00	26.26	(-)172.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान हेतु छात्रावास निर्माण (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)						
4059-80-051-0110	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
न्यायिक भवनों (भवन निर्माण विभाग) (राज्य स्कीम)						
4059-80-051-0117	मूल	14,000.00	14,000.00	2,719.16	(-)11,280.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) (राज्य स्कीम)						
4059-80-051-0118	मूल	14,000.00	700.00	73.73	(-)626.27	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारणे ₹13,300.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)		पुनर्वि० (-)13,300.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4059-80-051-0122	मूल	400.00	400.00	71.29	(-)328.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-80-051-0123	मूल	10,000.00	10,000.00	4,203.22	(-)5,796.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-80-051-0220	मूल	10,800.00	1,188.00	633.59	(-)554.41	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारणे ₹9,612.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)9,612.00				
4059-80-051-0221	मूल	3,100.00	682.00	127.90	(-)554.10	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारणे ₹2,418.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)2,418.00				
4059-80-051-0320	मूल	7,200.00	792.00	310.60	(-)481.40	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारणे ₹6,408.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)6,408.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
4059-80-051-0321	मूल अल्पसंख्यकों के लिए बहुदेशीय विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	1,500.00	1,500.00	187.00	(-)1,313.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4059-80-051-0324	मूल अल्पसंख्यकों के लिए बहुदेशीय विकास कार्यक्रम- विशेष राज्यांश (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4202-02-104-0108	मूल पॉलिटैक्निक भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	8,000.00	8,000.00	1,851.28	(-)6,148.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4202-02-105-0105	मूल अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	50,500.00	50,500.00	24,327.50	(-)26,172.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4210-01-110-0116	मूल शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	500.00	500.00	55.00	(-)445.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4210-02-110-0102	मूल ग्रामीण अस्पतालों के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4216-01-051-0102	मूल आवासीय भवनों का निर्माण सामान्य प्रशासन विभाग के लिए (राज्य स्कीम)	2,702.00	2,702.00	203.02	(-)2,498.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 3- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4216-01-700-0003	मूल	2,110.00	2,110.00	27.19	(-)2,082.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
लोक निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
4216-01-700-0101	मूल	44,000.00	44,000.00	17,561.18	(-)26,438.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अन्य आवास (राज्य स्कीम)						
4216-01-700-0102	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
न्यायिक आवासीय भवनों (राज्य स्कीम)						
4216-01-700-0105	मूल	15,800.00	15,800.00	2,018.92	(-)13,781.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
न्यायाधीशों के लिए आवास (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)						
4216-01-700-0206	मूल	4,200.00	924.00	412.76	(-)511.24	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹3,276.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)3,276.00				
4216-01-700-0306	मूल	2,800.00	616.00	300.57	(-)315.43	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹2,184.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)2,184.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4216-80-051-0103	मूल	200.00	200.00	22.76	(-)177.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवास (राज्य स्कीम)						
4225-04-051-0103	मूल	2,500.00	2,500.00	1,100.00	(-)1,400.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)						
4225-04-051-0104	मूल	1,000.00	1,000.00	0.22	(-)999.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य मदरसा सृद्धीकरण योजना (राज्य स्कीम)						
4225-80-051-0103	मूल	1,200.00	1,200.00	38.18	(-)1,161.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) (राज्य स्कीम)						
4225-80-051-0104	मूल	200.00	200.00	44.00	(-)156.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) (राज्य स्कीम)						
4235-02-051-0104	मूल	5,425.00	5,425.00	2,241.47	(-)3,183.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4235-02-104-0101	मूल	1,000.00	1,000.00	54.52	(-)945.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वृद्धाश्रम (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4406-01-051-0101	मूल	1,000.00	1,000.00	795.06	(-)204.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4408-02-051-0101	मूल	3,848.00	3,848.00	713.45	(-)3,134.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4408-02-101-0101	मूल	10,000.00	500.00	0.00	(-)500.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹9,500.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)9,500.00				
4408-02-101-0102	मूल	5,000.00	250.00	0.00	(-)250.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि के खर्च नहीं होने के कारण ₹4,750.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)4,750.00				
5452-01-101-0103	मूल	10,000.00	10,000.00	1,909.65	(-)8,090.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 3- क्रमशः**

(ix)(क) **उच्चत लेन-देन** :- इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किये गये हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन, में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघु शीर्ष उच्चत के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उच्चत।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है।

(ii) **क्रय** - जब माह के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यो या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट "कार्य" शीर्ष में या "स्टॉक" उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर "क्रय" में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को "क्रय" शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को शीर्ष "8658-उच्चत लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उच्चत लेखा" के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम**- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यो पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) **कार्यशाला उच्चत**- (क) लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यो या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2020-21 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2021 को अंतशेष
( ₹ लाख में )					
<b>लोक निर्माण कार्य एवं आवास</b>					
क्रय	(-)2,777.22	0.00	0.00	0.00	(-)2,777.22
स्टॉक	1,349.82	0.00	0.00	0.00	1,349.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	21,719.06	467.84	0.00	0.00	22,186.90
<b>कुल</b>	<b>20,291.66</b>	<b>467.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,759.50</b>

**अनुदान संख्या- 3- क्रमांत**

- (x) **भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की समीक्षा-** लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2018-19 से 2020-21 के इन प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
<b>( ₹ लाख में )</b>					
2018-19	3,12,459.60	18,534.55	5.93	196.85	0.06
2019-20	1,38,485.98	39,831.82	28.76	163.96	0.12
2020-21	1,15,136.98	41,871.61	36.37	139.05	0.12

**अनुदान संख्या- 4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2013	मंत्रिपरिषद
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2053	जिला प्रशासन
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2205	कला एवं संस्कृति
3053	नागर विमानन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	38,04,951	38,27,751	18,15,554	(-)20,12,197
अनुपूरक	22,800			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय
------	--------------------------------

दत्तमत :

मूल	13,00,084	13,00,084	0	(-)13,00,084
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹20,121.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹86.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹142.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹228.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2013-00-101-0001	मूल	3,070.78	3,070.78	2,132.38	(-)938.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2013-00-104-0001	मूल	100.00	100.00	17.88	(-)82.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आतिथ्य व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2013-00-105-0002	मूल	167.00	177.00	129.40	(-)47.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		10.00				
2013-00-108-0001	मूल	66.00	66.00	23.83	(-)42.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मंत्रिगण का यात्रा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2013-00-800-0001	मूल	171.00	251.00	165.55	(-)85.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		80.00				
2052-00-090-0001	मूल	1,105.14	1,138.14	1,016.95	(-)121.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मुख्य मंत्री सचिवालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		33.00				
2052-00-090-0016	मूल	395.10	395.10	268.35	(-)126.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजभाषा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2052-00-090-0024	मूल	977.58	1,050.58	918.71	(-)131.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		73.00				
2052-00-090-0101	मूल	250.00	250.00	25.70	(-)224.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजभाषा (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0147	मूल	110.00	110.00	0.00	(-)110.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय (राज्य स्कीम)						
2052-00-092-0023	मूल	174.65	174.65	99.91	(-)74.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उर्दू निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2052-00-092-0103	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
20 सूत्री कार्यक्रम-कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (राज्य स्कीम)						
2052-00-092-0123	मूल	225.00	225.00	93.68	(-)131.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उर्दू निदेशालय (राज्य स्कीम)						
2053-00-093-0106	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
20-सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यालय हेतु (राज्य स्कीम)						
2053-00-094-0008	मूल	103.55	103.55	43.34	(-)60.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजभाषा स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2053-00-094-0011	मूल	7,411.37	7,411.37	4,766.40	(-)2,644.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
द्वितीय राजभाषा (उर्दू) स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-001-0107	मूल	15,000.00	15,000.00	4,460.00	(-)10,540.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
2070-00-114-0001	मूल	5,320.45	5,320.45	2,071.49	(-)3,248.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2070-00-115-0001	मूल	104.77	104.77	81.22	(-)23.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य अतिथि गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2070-00-115-0002	मूल	1,280.78	1,280.78	965.17	(-)315.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार भवन स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2070-00-115-0005	मूल	120.00	120.00	99.26	(-)20.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य राजकीय समारोह हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2205-00-104-0001	मूल	447.86	472.86	377.99	(-)94.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अभिलेखागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	25.00				
2205-00-104-0102	मूल	73.00	73.00	31.53	(-)41.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)						
3053-80-003-0001	मूल	994.24	994.24	322.45	(-)671.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रशिक्षण तथा शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**अनुदान संख्या- 4- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹13,000.84 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
5053-02-102-0101	मूल	13,000.84	13,000.84	0.00	(-)13,000.84	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**विनियोग संख्या- 5- राज्यपाल सचिवालय  
( सभी प्रभारित )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	2,96,305	2,96,305	2,052	(-)2,94,253
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹2,942.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹2,963.05 लाख लाख का मूल विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

विनियोग संख्या- 5- क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2012-03-090-0001	मूल सचिवालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,681.62	1,681.62	20.52	(-)1,661.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-101-0001	मूल राज्यपाल की परिलब्धियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	42.00	42.00	0.00	(-)42.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-102-0001	मूल विवेकानुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	80.00	80.00	0.00	(-)80.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-103-0001	मूल राज्यपाल की परिलब्धियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	301.21	301.21	0.00	(-)301.21	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-103-0002	मूल सरकारी आवासों के उपस्करों का संधारण (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	41.99	41.99	0.00	(-)41.99	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-103-0004	मूल राज्यपाल का सज्जा भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-103-0008	मूल मरम्मति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	47.10	47.10	0.00	(-)47.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

विनियोग संख्या- 5- क्रमांत

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2012-03-103-0009	मूल	187.78	187.78	0.00	(-)187.78	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-104-0001	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-104-0002	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-105-0001	मूल	130.22	130.22	0.00	(-)130.22	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-107-0001	मूल	196.39	196.39	0.00	(-)196.39	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2012-03-108-0002	मूल	160.59	160.59	0.00	(-)160.59	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 6- निर्वाचन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	79,72,243	1,04,72,243	92,27,301	(-)12,44,942
अनुपूरक	25,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<b>0</b>

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹12,449.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹25,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 6- क्रमांत**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2015-00-102-0001 मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,434.19	4,603.00	3,686.57	(-)916.43	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹168.81 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	168.81				
2015-00-103-0001 विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,625.00	7,625.00	6,470.74	(-)1,154.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2015-00-105-0001 लोकसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,002.01	2,252.01	1,609.95	(-)642.06	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹750.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)750.00				
2015-00-105-0005 निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	235.00	770.00	493.61	(-)276.39	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹535.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	535.00				
2015-00-106-0001 राज्य विधानसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	53,009.00	75,509.00	67,917.34	(-)7,591.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	22,500.00				
2015-00-108-0001 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,502.01	1,127.01	832.39	(-)294.62	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹375.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)375.00				

**अनुदान संख्या -7- निगरानी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	4,27,205	4,27,206	2,99,511	(-)1,27,695
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,276.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 7- क्रमांत**

(iii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
2070-00-104-0002 मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	563.84	563.85	356.92	(-)206.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
2070-00-104-0003 तकनीकी परीक्षक कोषांग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	455.92	455.92	316.15	(-)139.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2070-00-104-0004 अनुसंधान ब्यूरो (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,825.07	2,825.07	2,005.47	(-)819.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2070-00-104-0014 विशेष निगरानी इकाई (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	387.22	387.22	285.74	(-)101.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 8- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	16,92,662	17,08,664	7,38,022	(-)9,70,642
अनुपूरक	16,002			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1
30 सितम्बर 2020	1			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹9,706.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹160.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹0.01 लाख), अंतिम बचत (₹9,706.42 लाख) से ₹9,706.41 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 8- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2204-00-101-0001 शारीरिक शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	445.93	460.93	336.81	(-)124.12	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	15.00				
2204-00-102-0001 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)-प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,449.04	1,414.29	679.89	(-)734.40	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹34.76 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)34.76				
2204-00-102-0002 राष्ट्रीय कैडेट कोर-वरीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,016.14	2,016.14	1,224.30	(-)791.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2204-00-102-0003 राष्ट्रीय कैडेट कोर-कनीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,476.23	1,476.23	957.56	(-)518.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2204-00-104-0001 खेल-कूद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,215.27	1,215.27	680.77	(-)534.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2204-00-104-0102 खेलकूद (राज्य स्कीम)	मूल	3,120.00	3,120.00	395.65	(-)2,724.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2205-00-001-0001 कला और संस्कृति का संवर्धन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	657.07	657.07	87.01	(-)570.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 8- क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2205-00-102-0101 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (राज्य स्कीम)	मूल	1,840.00	1,620.00	220.93	(-)1,399.07	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹220.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)220.00				
2205-00-103-0001 पुरातत्व विज्ञान निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	554.45	554.45	310.59	(-)243.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2205-00-103-0101 पुरातत्व विज्ञान निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	225.00	445.00	115.57	(-)329.43	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹220.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	220.00				
2205-00-107-0001 संग्रहालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,561.09	2,561.09	1,599.07	(-)962.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2205-00-107-0101 संग्रहालय (राज्य स्कीम)	मूल	615.00	615.00	38.32	(-)576.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2205-00-190-0001 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	50.00	8.25	(-)41.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	25.00				
2205-00-190-0101 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 9- सहकारिता विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401	फसल कृषि-कर्म
2408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार
2425	सहकारिता
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,13,26,274	1,37,31,908	89,46,304	(-)47,85,604
अनुपूरक	24,05,634			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				13,52,315
18 फरवरी 2021	1,14,336			
24 फरवरी 2021	3,260			
10 मार्च 2021	84,317			
26 मार्च 2021	9,12,391			
31 मार्च 2021	2,38,011			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय
6425	सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	3,57,540	31,16,383	17,58,554	(-)13,57,829
अनुपूरक	27,58,843			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹47,856.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹10.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹24,046.34 लाख) में प्राप्त किया गया ₹24,056.34 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹13,523.15 लाख), अंतिम बचत (₹47,856.04 लाख) से ₹34,332.89 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-110-0107	मूल	5,043.98	3,352.43	2,807.33	(-)545.10	अन्य विभागीय योजनाओं में उपबंध के कारण ₹ 1,143.36 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के बचे हुये समय में राशि के व्यय न होने की संभावना के कारण ₹548.19 लाख की प्रत्यर्पण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)1,691.55				
2401-00-110-0112 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	48,541.00	48,626.66	31,136.25	(-)17,490.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	85.66				
2401-00-789-0151 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,679.00	15,679.00	9,998.00	(-)5,681.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2401-00-796-0173 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	980.00	980.00	550.00	(-)430.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2425-00-001-0001 निर्देशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	587.42	583.64	522.09	(-)61.55	प्रावधान में ₹15.41 लाख की हुई कमी, ₹0.10 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.24 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.27 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	11.63				
	पुनर्वि०	(-)15.41				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2425-00-001-0107	मूल	100.00	100.00	1.01	(-)98.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2425-00-003-0102	मूल	100.00	40.89	0.00	(-)40.89	अंतिम बचत तथा ₹ 59.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)59.11				
2425-00-105-0101	मूल	52.00	52.00	2.66	(-)49.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2425-00-107-0105	मूल	518.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)518.00				
2425-00-108-0107	मूल	247.62	247.62	147.79	(-)99.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2425-00-108-0114	मूल	10,500.00	1,927.29	957.85	(-)969.44	वित्त विभाग द्वारा नये गोदामों के निर्माण पर रोक लगाने के कारण ₹8,572.71 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)8,572.71				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2425-00-108-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	3,850.00	3,891.60	2,543.70	(-)1,347.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	41.60				
2425-00-108-0118 पैक्सों/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,800.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,800.00				
2425-00-108-0419 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि सयंत्र बैंक की स्थापना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	21,952.50	21,952.50	14,355.00	(-)7,597.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2401-00-110-0104 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानों को विमित्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य बीमा निधि में अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	0.99	546.09	(+)545.10	प्रावधान में ₹0.01 लाख की हुई कमी, ₹545.10 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹545.10 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)0.01				

**अनुदान संख्या- 9- क्रमांत**

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

(v) ₹13,578.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹27,588.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4425-00-051-0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,394.00	4,776.00	1,562.36	(-)3,213.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	3,382.00				
4425-00-051-0303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	929.40	3,183.33	495.68	(-)2,687.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,253.93				
4425-00-108-0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	1,250.00	1,250.00	812.50	(-)437.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
6425-00-108-0419 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सो) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	21,952.50	21,952.50	14,715.00	(-)7,237.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 10- ऊर्जा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2801 बिजली

2810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	4,29,62,370	7,55,67,800	7,54,26,588	(-)1,41,212
अनुपूरक	3,26,05,430			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<b>0</b>

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	1,26,39,347	2,27,49,747	1,36,89,630	(-)90,60,117
अनुपूरक	1,01,10,400			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<b>0</b>

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,412.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹3,26,042.10 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹12.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,26,054.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 10- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2045-00-103-0001 विद्युत निरीक्षणालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	152.46	173.60	131.80	(-)41.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	21.14				
2810-60-600-0101 अपरम्परागत उर्जा स्रोत (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	1,250.00	(-)1,250.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3451-00-090-0017 ऊर्जा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	262.15	295.31	222.40	(-)72.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	33.16				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹90,601.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹16,804.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹ 84,300.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,01,104.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4801-05-190-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	1,000.00	(-)9,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०					
4801-05-190-0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,000.00	67,420.00	40,007.77	(-)27,412.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	42,420.00				

अनुदान संख्या- 10- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4801-05-190-0107 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,000.00	66,880.00	38,962.12	(-)27,917.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	41,880.00				
4801-05-190-0111 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (राज्य स्कीम)	मूल	35,930.00	35,930.00	19,126.00	(-)16,804.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4801-05-789-0101 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	550.00	(-)4,450.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4801-05-789-0102 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,000.00	7,000.00	6,230.00	(-)770.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4801-05-789-0103 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,360.00	7,360.00	6,587.20	(-)772.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4801-05-796-0101 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (राज्य स्कीम)	मूल	1,210.00	1,210.00	133.10	(-)1,076.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 10- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
6801-00-190-0018	मूल	2,550.00	2,550.00	1,976.62	(-)573.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (रूरल ई० कॉ० से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान/मूल हेतु)						
6801-00-201-0101	मूल	1,000.00	1,000.00	579.00	(-)421.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य जल विधुत निगम को ऋण (राज्य स्कीम)						
6801-00-201-0105	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य जल विधुत निगम को ऋण (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या -11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,64,14,626	1,70,05,668	41,27,809	(-)1,28,77,859
अनुपूरक	5,91,042			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण पर  
पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,85,000	1,85,000	6,387	(-)1,78,613
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,28,778.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹62.81 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹5,847.61 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,910.42 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या -11- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-277-0002 छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	104.42	106.11	57.09	(-)49.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1.69				
2225-03-277-0010 पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,504.39	1,504.40	851.54	(-)652.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
2225-03-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,17,840.00	1,22,840.00	744.89	(-)1,22,095.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	5,000.00				
2225-03-277-0215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11,590.00	11,590.00	5,699.00	(-)5,891.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2251-00-090-0024 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	372.45	433.57	367.25	(-)66.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	61.12				

**अनुदान संख्या -11- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹1,786.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,850.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4225-03-277-0101	मूल	650.00	650.00	63.87	(-)586.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)						
4225-03-277-0202	मूल	900.00	900.00	0.00	(-)900.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4225-03-277-0302	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 12- वित्त विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन
2058	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2202	सामान्य शिक्षा
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	32,76,158	33,12,616	18,40,886	(-)14,71,730
अनुपूरक	36,458			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				28,928
26 मार्च 2021	28,928			

प्रभारित :

मूल	97,25,400	97,25,400	549	(-)97,24,851
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				97,25,099
04 जनवरी 2021	97,25,099			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
6202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
7999	आकस्मिकता निधि का विनियोजन

दत्तमत :

मूल	3,91,15,000	3,97,39,700	68,18,897	(-)3,29,20,803
अनुपूरक	6,24,700			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,97,50,000
19 जून 2020	2,97,50,000			

**अनुदान संख्या- 12- क्रमशः**

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

(i) ₹14,717.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹329.57 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹35.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹364.58 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹289.28 लाख), अंतिम बचत (₹14,717.30 लाख) से ₹14,428.02 लाख कम था।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2047-00-103-0002	मूल	309.84	309.84	273.56	(-)36.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2052-00-090-0008	मूल	7,256.07	7,428.77	4,954.05	(-)2,474.72	प्रावधान में ₹ 137.69 लाख की हुई वृद्धि, ₹225.92 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 88.23 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	35.01				
	पुनर्वि०	137.69				
2052-00-090-0015	मूल	185.26	157.76	117.59	(-)40.17	प्रावधान में ₹27.50 लाख की हुई कमी, ₹0.05 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोग द्वारा ₹0.05 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹27.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)27.50				
भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-092-0005	मूल	2,737.18	2,737.18	2,143.79	(-)593.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2054-00-095-0002	मूल	2,177.33	2,178.12	2,017.81	(-)160.31	प्रावधान में ₹328.78 लाख की हुई कमी, ₹1.63 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोग द्वारा ₹68.63 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 261.78 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	329.57				
	पुनर्वि०	(-)328.78				
2054-00-095-0103	मूल	5,000.00	5,000.00	1,757.86	(-)3,242.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2054-00-097-0001	मूल	8,164.00	8,093.31	4,857.54	(-)3,235.77	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹70.69 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)70.69				
2054-00-098-0001	मूल	3,227.39	3,227.39	0.00	(-)3,227.39	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2058-00-102-0001	मूल फार्म प्रेस, गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	604.50	604.50	237.85	(-)366.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2058-00-103-0001	मूल राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,282.79	1,282.79	872.46	(-)410.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2070-00-004-0001	मूल लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	742.22	742.22	401.44	(-)340.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2070-00-800-0008	मूल विविध तथा आकस्मिक व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-190-0101	मूल बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (राज्य स्कीम)	900.00	900.00	765.00	(-)135.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2204-00-104-0006	मूल सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	58.00	58.00	0.00	(-)58.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

राजस्व ( प्रभारित )

(iv) ₹97,248.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹97,254.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹97,250.99 लाख), अंतिम बचत (₹97,248.51 लाख) से ₹2.48 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
2048-00-101-0001 शोधन निधि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	97,251.00	0.00	0.00	राज्य के समेकित शोधन निधि स्कीम मे वार्षिक अंशदान नहीं प्राप्त होने के कारण ₹ 97,250.99 लाख की प्रत्यर्पण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹0.01 लाख हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)97,251.00			

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹3,29,208.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹3,352.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹ 2,895.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,247.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,97,500.00 लाख), अंतिम बचत (₹3,29,208.03 लाख) से ₹2,99,458.03 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
4058-00-103-0101 मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4058-00-103-0102 सरकारी प्रेस गया का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 12- क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
4202-01-190-0102 बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (राज्य स्कीम)	मूल	2,97,500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)2,97,500.00				
6202-01-190-0101 बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (राज्य स्कीम)	मूल	90,000.00	90,000.00	59,649.62	(-)30,350.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
7610-00-201-0001 पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,800.00	2,100.00	1,815.99	(-)284.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	300.00				
7610-00-201-0002 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.08	(-)99.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
7610-00-202-0003 मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
7610-00-202-0004 विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,400.00	2,000.00	1,363.38	(-)636.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	600.00				
7610-00-204-0001 पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	13.30	(-)136.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**विनियोग संख्या- 13- सूद भूगतान  
( सभी प्रभारित )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2049 ब्याज अदायगियाँ

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	12,92,46,481	12,95,06,747	12,48,40,396	(-)46,66,351
अनुपूरक	2,60,266			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹46,663.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹2,602.66 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2049-01-305-0001	मूल	2,000.00	2,550.00	2,409.26	(-)140.74	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹550.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पुराने ऋणों से सम्बन्धित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	550.00				
2049-03-117-0001	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-04-112-0001	मूल	43,671.43	43,671.43	22,727.36	(-)20,944.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वाह्य संपोषित स्कीमों पर लिए गए कर्ज पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0002	मूल	50.00	50.00	0.07	(-)49.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जमींदारों को दिये गये मुआवजा-बंध-पत्रों पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0003	मूल	1,000.00	1,000.00	249.58	(-)750.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0004	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

विनियोग संख्या- 13- क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2049-60-701-0005	मूल	100.00	100.00	9.14	(-)90.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विलंबित भुगतान पर सभी तरह के पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपादान के बकाये राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0008	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भू-अर्जन मामलों में ब्याज का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2049-01-305-0002	मूल	250.00	368.12	368.11	(-)0.01	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹118.12 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नये कर्ज से संबंधित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि० 118.12				

**विनियोग संख्या- 14- ऋण अदायगियाँ**  
( सभी प्रभारित )

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	7,03,52,726	7,05,33,263	6,88,04,698	(-)17,28,565
अनुपूरक	1,80,537			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1
23 मार्च 2021	1			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

पूँजीगत ( प्रभारित )

- (i) ₹17,285.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹1,805.37 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹0.01 लाख), अंतिम बचत (₹17,285.65 लाख) से ₹17,285.64 लाख कम था।

विनियोग संख्या- 14- क्रमांत

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			विनियोग	व्यय	बचत (-)	
			(₹ लाख में)			
6003-00-106-0002	मूल	100.00	100.00	0.20	(-)99.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध-पत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
6004-09-101-0001	मूल	72,507.14	72,507.14	55,343.08	(-)17,164.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 15- पेंशन

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	20,45,41,042	20,45,41,042	19,66,54,263	(-)78,86,779
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित :

मूल	1,40,524	1,40,524	62,127	(-)78,397
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹78,867.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹20,45,410.42 लाख का मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या -15- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
( ₹ लाख में )						
2071-01-101-0001	मूल	1,65,221.44	1,65,221.44	1,10,117.21	(-)55,104.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
15/11/200 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-102-0002	मूल	1,111.96	1,111.96	4.22	(-)1,107.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-104-0002	मूल	1,80,589.00	1,55,589.00	1,49,216.06	(-)6,372.94	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०	(-)25,000.00			
2071-01-105-0001	मूल	9,814.94	59,814.94	44,553.46	(-)15,261.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50,000.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०	50,000.00			
2071-01-111-0001	मूल	6,073.00	6,073.00	1,208.67	(-)4,864.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2071-01-111-0002	मूल बिहार विधानपरिषद् के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,100.00	1,100.00	94.54	(-)1,005.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2071-01-111-0003	मूल विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	250.00	250.00	131.59	(-)118.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2071-01-111-0004	मूल विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	85.00	85.00	44.22	(-)40.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2071-01-115-0002	मूल 15/11/2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,25,300.00	1,25,300.00	1,05,678.19	(-)19,621.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2071-01-191-0001	मूल शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	60.00	60.00	0.00	(-)60.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या -15- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2071-01-191-0002	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर निगम माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-192-0001	मूल	175.00	175.00	0.00	(-)175.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-193-0001	मूल	175.00	175.00	0.00	(-)175.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-196-0001	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2071-01-197-0001	मूल	4,000.00	4,000.00	0.00	(-)4,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-198-0001	मूल	4,200.00	4,200.00	0.00	(-)4,200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-800-0002	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सेवानिवृत्त राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2071-01-105-0002	मूल	97,184.13	1,62,184.13	1,77,919.01	(+)15,734.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹65,000.00 लाख की वृद्धि तथा अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उत्तरावर्ती बिहार से सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		65,000.00				
2071-01-117-0001	मूल	69,764.28	1,09,764.28	1,09,975.55	(+)211.27	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹40,000.00 लाख की वृद्धि तथा अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		40,000.00				

**अनुदान संख्या -15- क्रमांत**

**राजस्व ( प्रभारित )**

(v) ₹783.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,405.24 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2071-01-106-0001	मूल	1,208.05	1,208.05	468.33	(-)739.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायाधीशों को देय, अंशदान-प्रभृत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-106-0002	मूल	172.19	172.19	51.09	(-)121.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर हुए चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2071-01-106-0003	मूल	25.00	25.00	101.86	(+)76.86	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**अनुदान संख्या- 16- पंचायती राज विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	10,13,52,065	12,59,78,402	8,23,60,065	(-)4,36,18,337
अनुपूरक	2,46,26,337			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				98,71,281
6 अगस्त 2020	50,18,000			
26 मार्च 2021	48,53,281			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	48,00,000	48,00,000	16,63,974	(-)31,36,026
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,00,000
25 फरवरी 2021	8,00,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,36,183.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹50,180.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹1,96,083.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,46,263.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹98,712.81 लाख), अंतिम बचत (₹4,36,183.37 लाख) से ₹3,37,470.56 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 16- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2015-00-101-0001	मूल	363.91	363.91	232.94	(-)130.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2015-00-109-0002	मूल	750.00	39,950.00	21,387.73	(-)18,562.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०				
2515-00-001-0001	मूल	529.70	973.70	763.88	(-)209.82	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹444.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०				
2515-00-001-0003	मूल	33,632.18	33,159.78	18,580.27	(-)14,579.51	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹472.40 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	जिला पंचायत की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०				
2515-00-001-0101	मूल	2,800.00	2,800.00	105.00	(-)2,695.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-001-0102	मूल	3,500.00	1,893.66	1,492.96	(-)400.70	वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि की बचत होने के कारण ₹1,606.34 की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	जिला पंचायत की स्थापना (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०				

**अनुदान संख्या- 16- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2515-00-003-0001	मूल	387.95	387.95	121.27	(-)266.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-196-0003	मूल	1,00,360.00	50,180.00	50,180.00	0.00	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को राशि उपलब्ध कराई जाने के कारण ₹50,180.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)50,180.00				
2515-00-196-0007	मूल	52,524.40	80,030.40	27,317.43	(-)52,712.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	27,506.00				
2515-00-196-0106	मूल	543.00	543.00	410.74	(-)132.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-197-0004	मूल	26,262.20	40,013.20	13,096.05	(-)26,917.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	13,751.00				
2515-00-197-0103	मूल	2,800.00	2,800.00	2,128.22	(-)671.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 16- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2515-00-198-0009 राज्य विन आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,83,835.39	2,99,461.76	1,11,175.93	(-)1,88,285.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,15,626.37				
2515-00-198-0010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,100.00	20,100.00	5,473.15	(-)14,626.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-198-0105 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	12,853.00	12,853.00	9,808.17	(-)3,044.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-198-0106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	12,853.00	12,853.00	7,833.15	(-)5,019.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-198-0215 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	36,105.00	3,150.00	2,461.43	(-)688.57	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ₹32,955.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)32,955.00				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष		कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति	
		अनुदान	व्यय	बचत (-)		
		( ₹ लाख में )				
2515-00-198-0315 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,193.16	559.53	553.98	(-)5.55	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ₹3,633.63 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,633.63				
2515-00-789-0103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,633.00	2,633.00	1,986.28	(-)646.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-789-0104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,633.00	2,633.00	1,616.69	(-)1,016.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-789-0105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	574.00	574.00	426.37	(-)147.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-789-0106 ज़िला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	111.00	111.00	78.40	(-)32.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2515-00-789-0214 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,960.00	300.00	157.49	(-)142.51	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ₹6,660.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)6,660.00				
2515-00-789-0314 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	808.32	60.00	0.00	(-)60.00	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ₹748.32 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)748.32				
2515-00-796-0119 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,949.48	1,949.48	1,581.63	(-)367.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-796-0220 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	435.00	50.00	0.00	(-)50.00	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ₹385.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)385.00				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष		कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति	
		अनुदान	व्यय	बचत (-)		
		( ₹ लाख में )				
2515-00-796-0320 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.52	6.00	0.00	(-)6.00	
	पुनर्वि०	(-)44.52				
2515-00-800-0112 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	281.26	(-)518.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2515-00-800-0114 ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
3451-00-090-0028 पंचायती राज विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	182.91	211.31	142.83	(-)68.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹28.40 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	28.40				

अनुदान संख्या- 16- क्रमांत

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹31,360.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹48,000.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹8,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹31,360.26 लाख) से ₹23,360.26 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4515-00-101-0108 पंचायत सरकार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	48,000.00	40,000.00	16,639.74	(-)23,360.26	अंतिम बचत तथा ₹ 8,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)8,000.00				

**अनुदान संख्या- 17- वाणिज्य-कर विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर अंतर्गत संग्रहन प्रभार

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	19,64,276	19,64,276	13,17,959	(-)6,46,317
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹6,463.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹19,642.76 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 17- क्रमांत**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2043-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,339.06	6,304.06	4,425.80	(-)1,878.26	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹35.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)35.00				
2043-00-001-0002 वाणिज्य कर अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	163.38	163.38	82.62	(-)80.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2043-00-101-0001 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,130.32	13,165.32	8,671.17	(-)4,494.15	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹35.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	35.00				

**अनुदान संख्या- 18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3456 सिविल पूर्ति

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,57,94,440	2,23,68,858	72,80,545	(-)1,50,88,313
अनुपूरक	65,74,418			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				63,99,600
5 अगस्त 2020	31,99,800			
22 सितम्बर 2020	31,99,800			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6408 खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	1,50,001	1,50,001	0	(-)1,50,001
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,50,883.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹32,465.30 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹33,278.88 लाख) में प्राप्त किया गया ₹65,744.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹63,996.00 लाख), अंतिम बचत (₹1,50,883.13 लाख) से ₹86,887.13 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 18- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
			( ₹ लाख में )				
2408-01-101-0201	मूल	31,754.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण बचत की सम्भावना के कारण हुई ।	
	एनएफएसए अंतर्गत खाद्यानों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०					(-)31,754.00
2408-01-101-0405	मूल	41,754.00	41,754.00	0.00	(-)41,754.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
3451-00-090-0011	मूल	853.75	878.75	719.57	(-)159.18	प्रावधान में ₹8.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹9.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०					17.00
		पुनर्वि०					8.00
3456-00-001-0002	मूल	6,745.43	6,790.71	4,747.36	(-)2,043.35	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹13.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
	जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०					58.28
		पुनर्वि०					(-)13.00
3456-00-001-0003	मूल	1,538.00	1,825.61	1,232.65	(-)592.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
	जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०					287.61

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )		
3456-00-001-0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल 316.00	316.00	251.61	(-)64.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3456-00-102-0015 गोदामों के अनुरक्षण तथा मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल 500.00	500.00	208.20	(-)291.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3456-00-102-0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल 10,000.00	10,000.00	5,612.92	(-)4,387.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3456-00-102-0210 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल 244.00 पुनर्वि० (-)244.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई।
3456-00-102-0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल 38,892.34 अनु० 63,796.00 पुनर्वि० (-)31,998.00	70,690.34	45,148.01	(-)25,542.33	योजना एवं विकास विभाग द्वारा व्यय की अनुमति नहीं मिलने के कारण ₹31,998.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3456-00-102-0407 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु० 304.50	304.50	6.35	(-)298.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
3456-00-102-0411	अनु०	28.19	28.19	1.00	(-)27.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)						
3456-00-102-0414	मूल	256.91	256.91	0.00	(-)256.91	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जन वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आई एम पी डी एस (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम))						
3456-00-191-0101	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)						
3456-00-192-0101	मूल	255.00	255.00	0.00	(-)255.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
3456-00-193-0101	मूल	450.00	450.00	0.00	(-)450.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)						
3456-00-198-0101	मूल	750.00	750.00	0.00	(-)750.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)						
3456-00-789-0302	मूल	20,000.00	20,000.00	10,861.84	(-)9,138.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
3456-00-796-0302	मूल	1,250.00	1,450.00	962.84	(-)487.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
	अनु०	200.00				

**अनुदान संख्या- 18- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹1,500.01 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
5475-00-051-0102	मूल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
5475-00-051-0104	मूल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत गोदाम तक पथ का निर्माण (राज्य स्कीम)	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या 19- पर्यावरण एवं वन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

3435 परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	57,39,339	66,49,736	61,58,303	(-)4,91,433
अनुपूरक	9,10,397			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4406 वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	6,50,000	6,50,000	4,61,515	(-)1,88,485
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,914.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹16,527.84 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹19,153.57 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,103.97 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या 19- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2406-01-001-0004	मूल	300.00	300.00	251.64	(-)48.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2406-01-003-0001	मूल	502.56	507.78	335.56	(-)172.22	प्रावधान में ₹5.22 लाख की हुई वृद्धि, ₹10.22 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	5.22				
प्रशिक्षण, जन सम्पर्क एवं शोध हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2406-01-070-0001	मूल	350.00	350.00	303.07	(-)46.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सड़क और पुल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2406-01-070-0002	मूल	420.00	420.00	268.82	(-)151.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2406-01-101-0001	मूल	13,114.04	12,946.44	10,268.16	(-)2,678.28	प्रावधान में ₹167.60 लाख की हुई कमी, ₹ 72.10 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 239.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)167.60				
वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2406-01-101-0111 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	14,262.27	13,509.47	2,898.18	(-)10,611.29	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹752.80 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-752.80)				
2406-01-105-0104 प्रदूषण नियंत्रण परषद (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-01-105-0105 प्लांट टिशु कल्चर लैब (राज्य स्कीम)	मूल	207.73	207.73	0.00	(-)207.73	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-01-789-0102 नहर तट फार्म (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	400.00	273.99	(-)126.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-01-789-0103 पथ तट फार्म (राज्य स्कीम)	मूल	4,400.00	4,400.00	3,274.86	(-)1,125.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-01-800-0101 नहर तट फार्म (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	52.46	(-)47.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-01-800-0105 पथ तट फार्म (राज्य स्कीम)	मूल	7,100.00	7,100.00	5,163.91	(-)1,936.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-02-110-0003 अभ्यारण्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	901.50	891.00	736.95	(-)154.05	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-10.50)				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2406-02-110-0121	मूल	1,000.00	1,000.00	246.30	(-753.70)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-02-110-0223	मूल	833.70	833.70	292.53	(-541.17)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-02-110-0224	मूल	1,008.00	1,008.00	626.23	(-381.77)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-02-110-0226	मूल	76.00	76.00	1.48	(-74.52)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-02-110-0227	मूल	69.30	69.30	0.00	(-69.30)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-02-110-0323	मूल	457.70	457.70	193.84	(-263.86)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-02-110-0326	मूल	51.00	51.00	0.98	(-50.02)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2406-02-110-0327	मूल	46.20	46.20	0.00	(-)46.20	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-04-101-0201	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-04-101-0204	मूल	302.00	302.00	70.53	(-)231.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-04-101-0205	मूल	300.00	300.00	148.83	(-)151.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-04-101-0301	मूल	237.00	237.00	0.00	(-)237.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-04-101-0304	मूल	143.10	143.10	47.02	(-)96.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2406-04-101-0305	मूल	204.00	204.00	98.15	(-)105.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या 19- क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2406-04-103-0101	अनु०	2,406.93	2,406.93	2,119.36	(-)287.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रतिपूरक वनीकरण (राज्य स्कीम)						
2406-04-103-0104	अनु०	21,254.27	21,254.27	15,533.33	(-)5,720.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य (राज्य स्कीम)						
2406-04-103-0105	अनु०	979.40	979.40	34.82	(-)944.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ब्याज (राज्य स्कीम)						
3451-00-090-0006	मूल	584.58	609.83	444.18	(-)165.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पर्यावरण एवं वन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		25.25				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹1,884.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹6,500.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4406-01-070-0101	मूल	500.00	500.00	165.00	(-)335.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सड़क और पुल (राज्य स्कीम)						
4406-01-070-0102	मूल	6,000.00	6,000.00	4,450.15	(-)1,549.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भवन (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 20- स्वास्थ्य विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2211 परिवार कल्याण  
2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	9,12,94,303	11,41,43,574	8,52,04,479	(-)2,89,39,095
अनुपूरक	2,28,49,271			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय  
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,80,82,500	1,80,82,500	64,57,171	(-)1,16,25,329
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹2,89,390.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹450.21 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹2,28,042.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,28,492.71 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						(₹ लाख में)
2210-01-001-0001 स्वास्थ्य निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,558.15	3,613.15	2,040.83	(-)1,572.32	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹55.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	55.00				
2210-01-001-0002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,125.02	12,070.02	7,040.57	(-)5,029.45	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹55.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)55.00				
2210-01-001-0004 अंधेपन की रोकथाम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,226.00	2,226.00	1,282.44	(-)943.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-01-110-0001 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	26,755.78	27,132.65	24,170.79	(-)2,961.86	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹279.13 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	656.00				
	पुनर्वि०	(-)279.13				
2210-01-110-0002 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,501.26	12,783.88	10,633.65	(-)2,150.23	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹340.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,942.62				
	पुनर्वि०	340.00				
2210-01-110-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,179.35	9,915.35	7,918.45	(-)1,996.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	736.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-01-110-0009 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,992.79	13,030.49	11,071.25	(-)1,959.24	प्रावधान में ₹580.20 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 590.20 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,452.50				
	पुनर्वि०	585.20				
2210-01-110-0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	375.31	375.31	267.22	(-)108.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-01-110-0012 राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,103.22	1,103.22	486.96	(-)616.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-01-110-0013 सदर एवं अनुमंडल अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	77,278.66	1,45,266.63	1,12,106.67	(-)33,159.96	प्रावधान में ₹1,117.07 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 9,155.29 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,038.22 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	66,870.90				
	पुनर्वि०	1,117.07				
2210-01-110-0016 मानसिक आरोग्यशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,500.00	1,500.00	340.00	(-)1,160.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-01-110-0019	मूल	200.00	200.00	43.60	(-)156.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
रोगी कल्याण समितियों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2210-01-110-0021	मूल	3,329.22	3,271.90	3,054.04	(-)217.86	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹380.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज अस्पताल, पावापुरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	322.68				
	पुनर्वि०	(-)380.00				
2210-01-110-0026	मूल	2,806.84	3,059.84	1,419.71	(-)1,640.13	प्रावधान में ₹252.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 600.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 348.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1.00				
	पुनर्वि०	252.00				
2210-01-110-0225	मूल	2,500.00	2,500.00	1,395.00	(-)1,105.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयुएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2210-01-200-0001	मूल	7,982.71	7,955.82	5,569.24	(-)2,386.58	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹26.89 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)26.89				

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2210-01-200-0002 कुष्ठ निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,960.47	7,937.47	5,042.11	(-)2,895.36	प्रावधान में ₹23.00 लाख की हुई कमी, ₹7.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹30.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)23.00				
2210-01-200-0005 अन्यान्य औषधालय (स्थानीय औषधालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,220.97	4,191.97	3,717.61	(-)474.36	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹29.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)29.00				
2210-01-200-0006 विधायक अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	258.14	258.14	205.19	(-)52.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-01-200-0112 राष्ट्रीय एड्स तथा संचारी रोग कार्यक्रम (शहरी) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-01-200-0209 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	42,500.00	42,500.00	35,800.00	(-)6,700.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-01-789-0301 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,600.00	1,08,607.00	48,178.94	(-)60,428.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,06,007.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2210-01-796-0219	मूल	2,200.00	2,200.00	1,255.00	(-)945.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2210-02-101-0001	मूल	5,286.82	5,304.62	3,457.26	(-)1,847.36	प्रावधान में ₹17.80 लाख की हुई वृद्धि, ₹23.63 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.83 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
देशी आयुर्वेद विज्ञान, निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि० 17.80				
2210-02-101-0002	मूल	257.26	257.26	220.68	(-)36.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2210-02-101-0004	मूल	979.50	955.87	647.87	(-)308.00	प्रावधान में ₹23.63 लाख की हुई कमी, ₹5.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹28.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि० (-)23.63				
2210-02-200-0103	मूल	910.00	910.00	0.00	(-)910.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पतालों एवं औषधालयों का विकास (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2210-02-200-0202	मूल	1,200.00	1,200.00	516.54	(-)683.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2210-02-200-0302	मूल	200.00	200.00	100.00	(-)100.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2210-03-101-0003	मूल	5,117.02	5,117.02	3,779.05	(-)1,337.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य उप- केंद्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2210-03-103-0001	मूल	1,33,051.62	1,37,633.55	1,19,129.70	(-)18,503.85	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹817.74 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
अनु०	3,764.19					
पुनर्वि०	817.74					
2210-03-110-0001	मूल	14,279.59	25,264.50	19,768.91	(-)5,495.59	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹39.72 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
अनु०	10,945.19					
पुनर्वि०	39.72					
2210-03-110-0203	मूल	83,000.00	83,000.00	62,234.00	(-)20,766.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2210-03-110-0305	मूल	7,540.00	7,540.00	3,999.06	(-)3,540.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-04-101-0002	मूल	2,796.85	2,782.85	1,832.76	(-)950.09	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹14.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)14.00				
2210-04-102-0001	मूल	900.83	900.83	456.98	(-)443.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-04-103-0001	मूल	974.44	836.00	424.56	(-)411.44	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹138.44 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)138.44				
2210-04-200-0203	मूल	1,200.00	1,200.00	0.00	(-)1,200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-04-200-0303	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2210-05-101-0001 आयुर्वेद कॉलेज, बेगूसराय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,165.16	1,467.60	1,396.39	(-)71.21	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹302.44 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	302.44				
2210-05-101-0003 आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	349.73	349.73	269.71	(-)80.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-05-101-0004 आयुर्वेद कॉलेज, मोहनपुर, दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	268.67	274.50	224.59	(-)49.91	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.83 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	5.83				
2210-05-103-0001 तिब्बी कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,082.94	1,932.94	1,747.08	(-)185.86	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹150.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)150.00				
2210-05-105-0001 पटना मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,991.16	15,097.16	11,916.51	(-)3,180.65	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	156.00				
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2210-05-105-0003 दरभंगा मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,548.24	10,668.24	7,998.39	(-)2,669.85	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	170.00				
	पुनर्वि०	(-)50.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-05-105-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,417.49	7,096.49	4,994.75	(-)2,101.74	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	729.00				
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2210-05-105-0009 दंत महाविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,122.52	1,002.64	864.61	(-)138.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा 119.88 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)119.88				
2210-05-105-0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,157.30	5,337.96	5,223.54	(-)114.42	प्रावधान में ₹1,457.57 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,51 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,457.57 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	723.09				
	पुनर्वि०	1,457.57				
2210-05-105-0011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिये विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	183.69	183.69	112.24	(-)71.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-05-105-0012 प्रशिक्षण नर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,303.67	2,645.37	1,215.34	(-)1,430.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹341.70 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	341.70				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2210-05-105-0013 प्रशिक्षण फार्मसी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	336.16	276.16	195.06	(-)81.10	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा 60.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)60.00				
2210-05-105-0015 शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-05-105-0016 नामांकन पर्यवेक्षण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	75.00	(-)25.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-05-105-0023 राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,911.87	6,954.21	4,190.47	(-)2,763.74	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा 1,957.66 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,957.66				
2210-05-105-0028 जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,992.52	2,282.62	2,037.23	(-)245.39	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा 11.90 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	302.00				
	पुनर्वि०	(-)11.90				
2210-05-105-0029 नर्सिंग कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	450.21	450.21	0.00	(-)450.21	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-05-200-0102 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2210-06-001-0001	मूल	1,256.02	1,256.02	885.64	(-)370.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-06-003-0002	मूल	2,353.59	2,353.59	1,168.84	(-)1,184.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-06-101-0002	मूल	3,475.32	3,460.32	2,529.58	(-)930.74	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)15.00				
2210-06-101-0003	मूल	6,055.00	6,030.00	2,848.27	(-)3,181.73	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2210-06-101-0012	मूल	200.00	200.00	88.14	(-)111.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-06-101-0114	मूल	7,500.00	7,500.00	5,661.21	(-)1,838.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2210-06-102-0001 खाद्य नियंत्रक स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	681.84	685.84	291.24	(-)394.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4.00				
2210-06-104-0002 प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	129.61	129.61	65.04	(-)64.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-06-104-0203 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-06-107-0001 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	689.42	689.42	476.72	(-)212.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2210-06-789-0201 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2211-00-001-0204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,000.00	15,000.00	3,001.89	(-)11,998.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2211-00-001-0304	मूल	5,000.00	5,000.00	710.45	(-)4,289.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2211-00-003-0206	मूल	10,000.00	10,000.00	1,443.16	(-)8,556.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2211-00-003-0306	मूल	2,500.00	2,500.00	431.54	(-)2,068.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2211-00-004-0202	मूल	1,000.00	1,000.00	5.80	(-)994.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2211-00-004-0302	मूल	1,000.00	1,000.00	2.49	(-)997.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2211-00-101-0001	मूल	14,440.15	14,440.15	6,069.78	(-)8,370.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2211-00-101-0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	31,300.00	25,261.39	(-)6,038.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	21,300.00				
2211-00-102-0202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	254.97	(-)1,745.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2211-00-102-0302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	93.87	(-)1,406.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2211-00-103-0001 मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,948.66	1,948.66	473.39	(-)1,475.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-102-0102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	198.00	198.00	0.00	(-)198.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-60-110-0204 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,500.00	4,500.00	0.00	(-)4,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2235-60-110-0304	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2235-60-110-0305	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-)10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (एबी-एनएचपीएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2235-60-200-0012	मूल	20,000.00	17,952.36	13,000.00	(-)4,952.36	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,047.64 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०				
2251-00-090-0007	मूल	847.47	847.47	388.41	(-)459.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2210-01-110-0025	मूल	1,502.97	1,905.48	2,206.85	(+301.37)	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				
2210-05-200-0101	मूल	1,001.00	1,001.00	3,684.32	(+)2,683.32	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹1,16,253.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,80,825.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4210-01-051-0103	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4210-01-051-0104	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4210-01-103-0201	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कैंसर मधुमेह हृदय रोग नियंत्रण एवं रोक थाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4210-01-103-0301	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कैंसर मधुमेह हृदय रोग नियंत्रण एवं रोक थाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4210-01-110-0111	मूल	4,500.00	4,500.00	1,533.37	(-)2,966.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4210-01-110-0113	मूल	8,000.00	8,000.00	2,377.25	(-)5,622.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4210-01-110-0117	मूल	1,500.00	1,500.00	165.00	(-)1,335.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4210-01-110-0118	मूल	1,000.00	1,000.00	71.57	(-)928.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4210-01-110-0219	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4210-01-110-0319	मूल	160.00	160.00	0.00	(-)160.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4210-01-110-0320	मूल	10,000.00	10,000.00	7,076.00	(-)2,924.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएसएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4210-02-050-0101	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के लिये भू-अर्जन (राज्य स्कीम)						
4210-02-051-0109	मूल	2,500.00	2,500.00	257.09	(-)2,242.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य उपकेन्द्र/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4210-02-103-0101	मूल	7,800.00	7,800.00	1,019.00	(-)6,781.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)						
4210-03-050-0103	मूल	40,000.00	40,000.00	4,070.00	(-)35,930.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4210-03-051-0301	मूल	4,200.00	4,200.00	2,772.98	(-)1,427.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4210-03-105-0111	मूल	15,000.00	15,000.00	1,650.00	(-)13,350.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल (राज्य स्कीम)						
4210-03-105-0112	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
एएनएम एवं जीएनएम स्कूल (राज्य स्कीम)						
4210-03-105-0119	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बीएससी नर्सिंग कॉलेज (निश्चय) (राज्य स्कीम)						
4210-03-105-0220	मूल	400.00	400.00	268.75	(-)131.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बर्न इन्जुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4210-03-789-0101	मूल	48,300.00	48,300.00	14,673.60	(-)33,626.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मेडिकल कॉलेजों हेतु (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 20-क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4210-04-051-0201	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंग्थेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4210-04-051-0301	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंग्थेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 21- शिक्षा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2202 सामान्य शिक्षा  
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं  
2205 कला एवं संस्कृति  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	33,95,04,756	37,12,80,193	26,40,16,921	(-)10,72,63,272
अनुपूरक	3,17,75,437			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				28,50,797
6 अगस्त 2020	3,00,000			
25 फरवरी 2021	25,50,797			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,24,05,700	1,47,06,400	41,20,577	(-)1,05,85,823
अनुपूरक	23,00,700			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				20,80,000
25 फरवरी 2021	20,80,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹10,72,632.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹2,16,639.66 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹1,01,114.71 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,17,754.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹28,507.97 लाख), अंतिम बचत (₹10,72,632.72 लाख) से ₹10,44,124.75 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-01-001-0001 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	568.25	771.25	446.75	(-)324.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	203.00				
2202-01-001-0105 शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	300.00	91.25	(-)208.75	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारण ₹ 200.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2202-01-001-0106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	703.07	(-)296.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-01-001-0107 बिहार बाल भवन को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	700.00	378.00	(-)322.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारणे ₹ 800.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)800.00				
2202-01-102-0001 गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,674.88	3,674.88	2,262.31	(-)1,412.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-01-102-0102	मूल	10,000.00	10,000.00	2,265.56	(-)7,734.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (राज्य स्कीम)						
2202-01-109-0103	मूल	5,845.00	5,845.00	0.00	(-)5,845.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण (राज्य स्कीम)						
2202-01-111-0201	मूल	5,36,405.00	5,22,271.03	2,14,467.00	(-)3,07,804.03	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारण ₹14,133.97 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)		पुनर्वि० (-)14,133.97				
2202-01-112-0002	मूल	404.71	404.71	132.56	(-)272.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मध्याह्न भोजन योजना (स्थापना) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-01-112-0104	मूल	42,600.00	42,600.00	28,398.83	(-)14,201.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मध्याह्न भोजन योजना (राज्य स्कीम)						
2202-01-191-0001	मूल	4,450.47	4,450.47	3,458.81	(-)991.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-01-192-0001	मूल	4,934.47	4,934.47	3,872.99	(-)1,061.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-01-197-0002	मूल	2,15,280.00	2,15,280.00	1,77,104.27	(-)38,175.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-01-789-0102	मूल	1,200.00	1,200.00	534.97	(-)665.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)						
2202-01-789-0203	मूल	1,05,000.00	1,05,000.00	59,886.03	(-)45,113.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सर्व शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-01-789-0308	मूल	79,800.00	79,800.00	39,924.02	(-)39,875.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-01-796-0210	मूल	4,038.00	4,275.06	3,174.49	(-)1,100.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मध्याह्न भोजन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)		अनु०				
2202-01-796-0211	मूल	7,500.00	7,500.00	3,801.21	(-)3,698.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
समग्र शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-02-001-0001 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,261.40	1,268.40	807.44	(-)460.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	7.00				
2202-02-001-0002 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	27,897.25	28,015.81	18,260.35	(-)9,755.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	118.56				
2202-02-001-0003 क्षेत्रीय उपनिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,379.16	1,379.16	680.69	(-)698.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-02-001-0101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	108.00	28.00	(-)0.17	(-)28.17	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारण ₹80 00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)80.00				
2202-02-004-0102 हुनर (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	उच्च विद्यालय के उन्नयन कार्यक्रम के कारण ₹3,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
2202-02-052-0103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	9,455.24	0.00	(-)9,455.24	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	8,455.24				

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
( ₹ लाख में )						
2202-02-103-0101	मूल	500.00	500.00	325.00	(-)175.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-02-107-0106	मूल	13,500.00	20,680.00	(-)0.15	(-)20,680.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	7,180.00				
2202-02-107-0107	मूल	10,500.00	22,508.00	(-)0.25	(-)22,508.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	12,008.00				
2202-02-109-0001	मूल	1,09,618.14	1,24,916.79	77,591.27	(-)47,325.52	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	15,304.65				
	पुनर्वि०	(-)6.00				
2202-02-109-0105	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-02-109-0109	मूल	6,000.00	9,264.00	(-)0.13	(-)9,264.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	3,264.00				
2202-02-109-0110	मूल	1,200.00	1,150.00	0.00	(-)1,150.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारण ₹50 00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-02-109-0207	मूल	55,663.00	55,663.00	0.00	(-)55,663.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-02-109-0307	मूल	10,133.00	10,133.00	0.00	(-)10,133.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-02-110-0002	मूल	800.01	800.01	366.41	(-)433.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सैनिक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-02-110-0003	मूल	8,000.04	8,400.04	6,371.96	(-)2,028.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
माध्यमिक, बहुद्देशीय अल्पसंख्यक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	400.00				
2202-02-110-0006	मूल	581.11	581.11	447.72	(-)133.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सिमुलतला आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-02-110-0007	मूल	34,200.00	84,200.00	22,539.86	(-)61,660.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	50,000.00				
2202-02-191-0001	मूल	12,772.00	12,820.00	9,087.05	(-)3,732.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	48.00				

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
2202-02-192-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,077.79	14,093.54	10,176.52	(-)3,917.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,015.75				
2202-02-193-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,078.19	11,441.20	10,124.44	(-)1,316.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	3,363.01				
2202-02-196-0001 जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	92,135.98	1,20,451.94	98,103.40	(-)22,348.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	28,315.96				
2202-02-789-0207 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30,000.00	30,000.00	0.00	(-)30,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-02-789-0307 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00	(-)20,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-02-796-0209 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	0.00	(-)2,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय ( + )	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत ( - )	
( ₹ लाख में )						
2202-02-796-0309	मूल	1,881.00	1,881.00	0.00	(-)1,881.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-001-0001	मूल	416.90	438.50	384.39	(-)54.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	21.60				
2202-03-001-0002	मूल	1,851.00	1,851.00	412.00	(-)1,439.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-001-0101	मूल	10.00	46.62	8.81	(-)37.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	36.62				
2202-03-102-0002	मूल	52,042.56	54,142.56	46,265.31	(-)7,877.25	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹300.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,400.00				
	पुनर्वि०	(-)300.00				
2202-03-102-0005	मूल	34,850.00	31,850.00	24,136.59	(-)7,713.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-03-102-0008 बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	33,926.00	30,926.00	24,219.83	(-)6,706.17	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
2202-03-102-0009 भागलपुर विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	35,880.00	37,080.00	32,631.70	(-)4,448.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,200.00				
2202-03-102-0011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	58,306.00	57,006.00	46,824.33	(-)10,181.67	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,700.00				
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
2202-03-102-0012 कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,301.01	10,501.01	8,923.87	(-)1,577.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	200.00				
2202-03-102-0025 पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,236.00	12,236.00	8,354.71	(-)3,881.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-102-0027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,538.00	9,538.00	7,175.64	(-)2,362.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-102-0028 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,100.00	1,100.00	800.00	(-)300.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय ( + )	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत ( - )	
			( ₹ लाख में )			
2202-03-102-0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	14,500.00	11,122.96	6,966.77	(-)4,156.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,377.04 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,377.04				
2202-03-102-0117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-102-0118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-102-0119 नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा (राज्य स्कीम)	मूल	38.00	38.00	0.00	(-)38.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-102-0126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-102-0127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	3,527.04	0.00	(-)3,527.04	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,377.04 लाख की वृद्धि तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	3,377.04				

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2202-03-102-0323	मूल	3,430.00	3,430.00	1,080.00	(-)2,350.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-03-103-0001	मूल	4,814.19	4,814.19	3,745.59	(-)1,068.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-03-104-0003	मूल	24,976.00	1,24,976.00	24,976.00	(-)1,00,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वित्त संपोषित महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु० 1,00,000.00				
2202-03-107-0109	मूल	20,000.00	20,000.00	6,600.00	(-)13,400.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)						
2202-03-113-0101	मूल	750.00	750.00	0.00	(-)750.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम (राज्य स्कीम)						
2202-03-789-0201	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-03-789-0301	मूल	280.00	280.00	0.00	(-)280.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-03-796-0201	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2202-03-796-0301	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-04-200-0203	मूल	857.00	1,257.55	454.07	(-)803.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	400.55				
2202-04-200-0204	मूल	6,687.00	6,687.00	0.00	(-)6,687.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-04-200-0303	मूल	588.00	855.50	35.68	(-)819.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	267.50				
2202-04-200-0304	मूल	4,458.00	4,458.00	0.00	(-)4,458.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-04-789-0203	मूल	150.00	150.00	14.16	(-)135.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-04-789-0301	मूल	100.00	100.00	9.44	(-)90.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-04-796-0204	मूल	100.00	100.00	1.27	(-)98.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-04-796-0301	मूल	50.00	50.00	0.85	(-)49.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2202-05-103-0002	मूल	417.54	417.54	251.21	(-)166.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजकीय संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-05-103-0003	मूल	15,000.02	15,000.02	9,419.94	(-)5,580.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-05-200-0001	मूल	142.37	142.37	94.69	(-)47.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मदरसा इस्लामिया समसुल होदा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-05-200-0002	मूल	27,500.01	48,325.01	36,823.66	(-)11,501.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गैर सरकारी मदरसा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	20,825.00				
2202-80-001-0001	मूल	945.70	969.45	643.26	(-)326.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	17.75				
	पुनर्वि०	6.00				
2202-80-001-0002	मूल	137.89	156.14	102.15	(-)53.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	18.25				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-80-001-0003	मूल	374.73	374.73	308.32	(-)66.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी शिकायत निवारण अपीलीय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-003-0005	मूल	747.42	747.42	606.36	(-)141.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-003-0006	मूल	4,784.19	4,784.19	4,090.07	(-)694.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-003-0007	मूल	387.04	387.04	257.19	(-)129.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-003-0008	मूल	2,965.21	2,965.21	1,745.79	(-)1,219.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-003-0504	मूल	10,714.00	470.00	395.19	(-)74.81	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारणे ₹10,244.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षक प्रशिक्षण सस्थान विकास (वाह्य संपोषित परियोजना) (राज्य स्कीम)		पुनर्वि० (-)10,244.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2202-80-004-0001	मूल	303.62	303.62	231.72	(-)71.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रभाषा पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0004	मूल	170.05	170.05	120.30	(-)49.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0006	मूल	116.85	116.85	80.38	(-)36.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्राकृत जैन शास्त्र अहिंसा शोध संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0007	मूल	166.80	167.60	135.67	(-)31.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
के.पी. जायसवाल शोध संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				
2202-80-004-0009	मूल	201.99	201.99	65.35	(-)136.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
हिन्दी ग्रंथ अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0012	मूल	133.06	133.06	10.56	(-)122.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मैथिली अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0015	मूल	100.00	100.00	24.23	(-)75.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मगही अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2202-80-004-0016	मूल	50.00	50.00	7.83	(-)42.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बंगला अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0017	मूल	77.00	77.00	30.66	(-)46.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
संस्कृत अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0018	मूल	997.21	1,042.08	731.76	(-)310.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु० 44.87				
2202-80-004-0019	मूल	135.00	135.00	37.58	(-)97.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भोजपुरी अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2202-80-004-0106	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)						
2202-80-004-0108	मूल	554.00	554.00	175.00	(-)379.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज (राज्य स्कीम)						
2202-80-004-0121	मूल	75.00	75.00	17.31	(-)57.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य भाषा अकादमी (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2205-00-105-0001 सार्वजनिक पुस्तकालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	202.13	220.62	148.77	(-)71.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	18.49				
2205-00-105-0011 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०					
2251-00-090-0002 शिक्षा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,098.14	1,102.14	604.69	(-)497.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-01-109-0101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,300.00	3,300.00	5,343.91	(+ )2,043.91	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०					
2202-01-109-0105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,500.00	12,500.00	17,320.22	(+ )4,820.22	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०					
2202-01-193-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,265.01	5,265.01	6,848.63	(+ )1,583.62	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०					

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
( ₹ लाख में )						
2202-01-198-0002	मूल	2,754.26	2,754.26	3,754.25	(+)999.99	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-107-0104	मूल	2,000.00	3,200.00	3,874.66	(+)674.66	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,200.00				
2202-03-112-0001	अनु०	0.03	100.03	100.00	(-)0.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	100.00				
2202-03-112-0003	अनु०	0.03	100.03	100.00	(-)0.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	100.00				
2202-03-112-0004	अनु०	0.03	100.03	100.00	(-)0.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	100.00				
2202-80-001-0102	मूल	502.00	502.00	619.81	(+)117.81	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 21- क्रमशः**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹1,05,858.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹23,007.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹20,800.00 लाख), अंतिम बचत (₹1,05,858.23 लाख) से ₹85,058.23 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4202-01-201-0105 प्रारंभिक विद्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	37,500.00	17,500.00	0.00	(-)17,500.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारणे ₹20,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)20,000.00				
4202-01-201-0106 जल - जीवन - हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-)5,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4202-01-202-0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	21,010.00	36,467.00	7,357.58	(-)29,109.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	15,457.00				
4202-01-202-0109 राजकीय उच्च विद्यालय के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	10,500.00	10,500.00	0.00	(-)10,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4202-01-202-0112 शिक्षा भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 21- क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4202-01-202-0113	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-)5,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सिमुलतला आवासीय विद्यालय भवन (राज्य स्कीम)						
4202-01-202-0115	मूल	2,300.00	2,300.00	0.00	(-)2,300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जल - जीवन - हरियाली (राज्य स्कीम)						
4202-01-203-0108	मूल	1,000.00	200.00	0.00	(-)200.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत की संभावना के कारणे ₹800.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजकीय महाविद्यालय (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)800.00				
4202-01-203-0207	मूल	5,190.00	5,190.00	1,620.00	(-)3,570.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4202-01-600-0103	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)						
4202-01-789-0101	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-)10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)						
4202-04-105-0101	मूल	1.00	51.00	0.00	(-)51.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पुस्तकालय भवन (राज्य स्कीम)	अनु०	50.00				

अनुदान संख्या- 22- गृह विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014	न्याय प्रशासन
2051	लोक सेवा आयोग
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2055	पुलिस
2056	जेल
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	11,60,24,827	11,75,72,451	9,47,23,493	(-)2,28,48,958
अनुपूरक	15,47,624			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	48,10,132	49,82,381	13,94,382	(-)35,87,999
अनुपूरक	1,72,249			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,44,249
31 जूलाई 2020	10,00,000			
18 नवम्बर 2020	1			
23 फरवरी 2021	1,44,248			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹2,28,489.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹13,030.21 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹2,446.03 लाख) में प्राप्त किया गया ₹15,476.24 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 22- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-114-0004 अभियोजन निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,675.73	8,675.74	6,673.45	(-)2,002.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
2051-00-103-0003 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,402.51	2,402.51	2,125.06	(-)277.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0002 गृह (विशेष) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,600.85	1,600.85	1,219.87	(-)380.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0006 गृह (आरक्षी) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	917.98	973.98	803.18	(-)170.80	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹45.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	11.00				
	पुनर्वि०	45.00				
2052-00-090-0049 जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहत सलाहकार पर्वद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	103.26	103.26	43.61	(-)59.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-092-0002 स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्वद-मुख्यालय प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	349.69	349.69	219.58	(-)130.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 22- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2055-00-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,368.52	9,920.68	7,464.89	(-)2,455.79	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,006.16 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	546.00				
	पुनर्वि०	1,006.16				
2055-00-001-0003 केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,700.00	11,700.00	9,347.81	(-)2,352.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-001-0008 सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,325.40	3,825.40	3,607.84	(-)217.56	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,500.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	1,500.00				
2055-00-001-0009 प्रतिनियुक्ति अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	59,120.00	59,075.00	34,530.35	(-)24,544.65	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹45.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)45.00				
2055-00-003-0002 प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,958.69	2,008.69	1,423.25	(-)585.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	50.00				
2055-00-003-0004 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2055-00-003-0006 बिहार पुलिस अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,120.92	3,247.07	2,823.52	(-)423.55	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,126.15 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	1,126.15				
2055-00-003-0007 प्रशिक्षण विद्यालय, सिमुलतला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,365.72	1,365.72	882.03	(-)483.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-003-0008 प्रशिक्षण विद्यालय, डुमराँव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	944.81	1,049.81	801.79	(-)248.02	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹52.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	53.00				
	पुनर्वि०	52.00				
2055-00-003-0401 महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	77.30	77.30	24.78	(-)52.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-101-0001 आपराधिक जांच विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	33,649.08	33,824.08	23,141.08	(-)10,683.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹175.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	175.00				
2055-00-101-0003 भारत-नेपाल सीमा पर चेक पोस्ट (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	736.34	736.34	608.94	(-)127.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-104-0001 अश्वारोही सैन्य पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,873.11	1,873.11	1,627.22	(-)245.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
( ₹ लाख में )						
2055-00-104-0002 पैदल सैन्य पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,34,430.00	1,34,780.00	1,20,064.15	(-)14,715.85	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹350.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	350.00				
2055-00-104-0003 विशेष टास्क फोर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	22,775.01	22,775.01	16,220.79	(-)6,554.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-109-0001 जिला कार्यकारी दल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,74,723.12	4,74,099.62	4,23,846.00	(-)50,253.62	प्रावधान में ₹623.50 लाख की हुई कमी, ₹ 2,478. लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,102.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)623.50				
2055-00-109-0003 वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यर्पण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	13.98	(-)136.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-109-0005 स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	19,453.00	15,722.06	11,968.37	(-)3,753.69	प्रावधान में ₹ 3,730. लाख की हुई कमी, ₹ 1500 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,880.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,730.94				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2055-00-109-0006	मूल	750.00	563.39	239.76	(-)323.63	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹186.61 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)186.61				
2055-00-109-0007	मूल	100.00	100.00	24.38	(-)75.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-109-0008	मूल	30.00	30.00	0.45	(-)29.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-109-0012	मूल	200.00	600.00	387.94	(-)212.06	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹400.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	400.00				

**अनुदान संख्या- 22- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2055-00-109-0013	मूल	78.00	78.00	26.74	(-)51.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-109-0017	मूल	2,400.00	2,400.00	1,517.66	(-)882.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-110-0001	मूल	1,20,639.45	1,20,639.45	71,754.39	(-)48,885.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-111-0002	मूल	24,303.05	24,128.05	20,377.08	(-)3,750.97	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹175.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)175.00				
2055-00-113-0001	मूल	1,577.15	1,577.15	865.09	(-)712.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-113-0004	मूल	50.01	50.01	0.00	(-)50.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-113-0006	मूल	200.00	200.00	40.00	(-)160.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2055-00-114-0001	मूल	10,292.50	10,292.50	5,962.69	(-)4,329.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-114-0002	मूल	592.10	660.84	456.45	(-)204.39	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹68.74 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	68.74				
2055-00-115-0001	मूल	3,600.00	3,600.00	522.18	(-)3,077.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-115-0102	मूल	10,000.00	10,000.00	5,467.78	(-)4,532.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-115-0203	मूल	935.00	935.00	286.86	(-)648.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2055-00-115-0303	अनु०	10,000.00	10,000.00	2,317.42	(-)7,682.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2055-00-115-0404	अनु०	870.18	870.18	0.00	(-)870.18	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2056-00-001-0001	मूल	1,368.63	1,375.64	1,063.61	(-)312.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जेल निरीक्षणालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	7.01				
2056-00-003-0002	मूल	50.00	50.00	21.46	(-)28.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2056-00-003-0004	मूल	150.00	150.00	97.50	(-)52.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2056-00-101-0001	मूल	16,542.26	17,522.26	15,468.70	(-)2,053.56	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹250.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
केन्द्रीय जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,230.00				
	पुनर्वि०	(-)250.00				
2056-00-101-0002	मूल	24,877.11	24,923.82	21,651.39	(-)3,272.43	प्रावधान में ₹328.30 लाख की हुई कमी ₹ 20 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 537.3 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	375.01				
	पुनर्वि०	(-)328.30				

**अनुदान संख्या- 22- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति		
						( ₹ लाख में )	
2056-00-101-0006	मूल	208.71	208.71	156.94	(-)51.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
मुक्त कारागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)							
2056-00-102-0001	मूल	2,000.00	2,000.00	956.04	(-)1,043.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
केन्द्रीय जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)							
2070-00-003-0008	मूल	2,520.00	2,520.00	424.69	(-)2,095.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
गृह रक्षकों को प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)							
2070-00-107-0001	मूल	1,11,110.17	1,10,307.17	94,332.10	(-)15,975.07	प्रावधान में ₹865.00 लाख की हुई कमी ₹ 24 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,111.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
ग्रामीण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०					62.00
		पुनर्वि०					(-)865.00
2070-00-107-0002	मूल	171.27	186.27	143.49	(-)42.78	प्रावधान में ₹15.00 लाख की हुई वृद्धि ₹ 2 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।	
शहरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०					15.00

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2070-00-107-0004	मूल	100.00	100.00	27.94	(-)72.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
होमगार्ड के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2070-00-108-0102	मूल	3,000.00	3,000.00	936.44	(-)2,063.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अग्निशामक उपकरणों का क्रय (राज्य स्कीम)						
2235-02-106-0002	मूल	2,060.95	2,129.26	1,740.57	(-)388.69	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹68.30 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	68.30				
(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-60-200-0003	मूल	1,800.00	1,800.00	874.69	(-)925.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-60-200-0004	मूल	500.00	500.00	216.30	(-)283.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-60-200-0005	मूल	266.23	266.24	222.74	(-)43.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
थल, जल और वायु सैनिकों का जिला कल्याण परिषद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2235-60-200-0009	मूल	2,820.01	2,820.01	2,436.10	(-)383.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जे.पी. सेनानी सम्मान योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-60-200-0011	मूल	200.00	200.00	98.20	(-)101.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मानवता के दृष्टिकोण से राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-60-200-0016	मूल	50.00	50.00	16.32	(-)33.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹35,879.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹280.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹ 1,442.4 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,722.49 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹11,442.49 लाख), अंतिम बचत (₹35,879.99 लाख) से ₹24,437.50 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4055-00-051-0101	मूल	35,573.11	24,130.62	11,214.89	(-)12,915.73	सीसीटीएनएस स्कीम में ट्रांसफर होने के कारण ₹11,442.49 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण (राज्य स्कीम)		पुनर्वि० (-)11,442.49				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4055-00-051-0204	मूल	3,945.00	3,945.00	7.08	(-)3,937.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4055-00-051-0304	अनु०	1,442.49	1,442.49	0.00	(-)1,442.49	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4055-00-210-0402	मूल	229.33	229.33	192.67	(-)36.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीपीडब्लूसी) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)						
4059-01-051-0126	मूल	253.87	253.87	0.00	(-)253.87	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अभियोजन भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)						
4070-00-051-0101	मूल	1,500.00	1,500.00	165.00	(-)1,335.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार अग्नि शमन सेवा के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)						
4070-00-051-0103	मूल	1,000.00	988.32	(-)1.27	(-)989.59	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹11.68 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
केन्द्रीय/मंडल/उप-काराओं का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)		पुनर्वि०				

**अनुदान संख्या- 22- क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4070-00-051-0108	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)						
4070-00-051-0113	मूल	1,000.00	1,000.00	110.00	(-)890.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गृह रक्षा वाहिनी के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)						
4070-00-051-0115	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य के प्रक्षेत्रीय/ जिला/ अनुमंडल प्रोवेशन कार्यालयों के कार्यालय भवन के निर्माण (गृह विभाग) (राज्य स्कीम)						
4070-00-052-0101	मूल	2,500.00	2,500.00	475.75	(-)2,024.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
काराओं के संयंत्रों हेतु (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 23- उद्योग विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	65,67,396	66,38,990	36,76,852	(-)29,62,138
अनुपूरक	71,594			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				77,468
1 सितम्बर 2020	1			
16 सितम्बर 2020	3			
18 फरवरी 2021	77,464			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

6857 रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज

6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	25,91,100	30,21,269	9,69,131	(-)20,52,138
अनुपूरक	4,30,169			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,000
18 फरवरी 2021	1,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹29,621.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹25.23 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹690.71 लाख) में प्राप्त किया गया ₹715.94 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹774.68 लाख), अंतिम बचत (₹29,621.38 लाख) से ₹28,846.70 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2851-00-102-0001 प्रदर्शन केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,978.02	4,020.99	2,520.90	(-)1,500.09	प्रावधान में ₹35.24 लाख की हुई वृद्धि, ₹70.25 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹35.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	7.73				
	पुनर्वि०	35.24				
2851-00-102-0106 उद्योग मित्र (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	153.10	(-)46.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2851-00-102-0107 मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ी जाति उद्यमी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,596.00	12,596.00	4,156.68	(-)8,439.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2851-00-103-0001 हस्तकरघा के विकास की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	232.46	224.81	151.03	(-)73.78	प्रावधान में ₹7.65 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 2.63 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.28 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)7.65				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2851-00-103-0103 हस्तकरघा विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	95.00	71.25	7.50	(-)63.75	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹23.75 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)23.75				
2851-00-103-0113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सृष्टीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	1,254.64	688.94	(-)565.70	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹155.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	299.64				
	पुनर्वि०	155.00				
2851-00-104-0001 हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	374.32	374.32	284.19	(-)90.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2851-00-104-0101 हस्तशिल्प का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	525.00	393.75	87.45	(-)306.30	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹131.25 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)131.25				
2851-00-105-0101 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,830.00	2,354.99	559.55	(-)1,795.44	तत्काल राशि के खर्च होने की संभावना नहीं होने से ₹475.01 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)475.01				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2851-00-107-0001 रेशम का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	894.32	832.17	628.11	(-)204.06	प्रावधान में ₹62.15 लाख की हुई कमी, ₹ 7.65 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 69.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)62.15				
2851-00-107-0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.03	50.40	(-)149.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.03				
2851-00-789-0110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,829.00	9,829.00	6,388.85	(-)3,440.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2851-00-796-0117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	655.00	655.00	425.75	(-)229.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2852-80-001-0002 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,751.50	3,787.75	2,939.86	(-)847.89	प्रावधान में ₹32.04 लाख की हुई वृद्धि, ₹34.56 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹2.52 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4.21				
	पुनर्वि०	32.04				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2852-80-001-0111	मूल	369.00	369.00	104.20	(-)264.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2852-80-003-0001	मूल	199.32	199.32	112.92	(-)86.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2852-80-102-0110	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2852-80-102-0135	मूल	1,990.00	1,690.36	656.70	(-)1,033.66	आंतरिक समायोजन के कारण ₹299.64 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)299.64				
2852-80-102-0142	मूल	700.00	700.00	0.00	(-)700.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2852-80-102-0147	मूल	400.00	400.00	132.00	(-)268.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2852-80-102-0150	मूल	1,200.00	1,200.00	396.00	(-)804.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सेन्ट्रल इस्टीमेट ऑफ प्लास्टिक इन्जिनियरिंग एण्ड टेकनोलाजी की स्थापना (राज्य स्कीम)						
2852-80-102-0160	मूल	20,000.00	20,000.00	13,399.29	(-)6,600.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना (राज्य स्कीम)						
2852-80-102-0164	मूल	200.00	200.00	66.00	(-)134.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार फाउण्डेशन (राज्य स्कीम)						
3451-00-090-0001	मूल	725.76	746.77	581.37	(-)165.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
	अनु०	21.01				

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹20,521.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹4,301.69 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10.00 लाख), अंतिम बचत (₹20,521.38 लाख) से ₹20,511.38 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4851-00-102-0102	अनु०	101.69	101.69	0.00	(-)101.69	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर (राज्य स्कीम)						
4851-00-107-0103	मूल	500.00	500.00	151.31	(-)348.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
रेशम भवन (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4851-00-190-0101	मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4885-02-050-0101	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-)5,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
6851-00-102-0101	मूल	10,000.00	10,000.00	3,300.00	(-)6,700.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
6851-00-103-0001	अनु०	1,400.00	1,400.00	0.00	(-)1,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
6851-00-789-0101	मूल	9,000.00	9,000.00	5,850.00	(-)3,150.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
6851-00-796-0107	मूल	600.00	600.00	390.00	(-)210.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 23- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
6857-01-190-0001	अनु०	1,160.00	1,160.00	0.00	(-)1,160.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
6860-01-190-0001	अनु०	1,640.00	1,640.00	0.00	(-)1,640.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2220 सूचना तथा प्रचार

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	23,81,790	23,81,790	18,29,660	(-)5,52,130
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				700
17 मार्च 2021	700			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹5,521.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹23,817.90 लाख का मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7.00 लाख), अंतिम बचत (₹5,521.30 लाख) से ₹5,514.30 लाख कम था।

**अनुदान संख्या -24- क्रमांत**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2220-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,050.20	1,008.20	520.91	(-)487.29	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹42.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)42.00				
2220-60-101-0002 सरकारी विज्ञापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	10,000.00	7,237.44	(-)2,762.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2220-60-106-0002 जिला ईकाईयाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,505.07	2,530.07	1,723.36	(-)806.71	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	25.00				
2220-60-789-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,616.00	1,616.00	661.36	(-)954.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2220-60-796-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	101.00	101.00	38.12	(-)62.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2251-00-090-0014 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	155.63	172.63	123.39	(-)49.24	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹17.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	17.00				

**अनुदान संख्या- 25- सूचना प्रावैधिकी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	12,35,201	17,56,879	9,71,219	(-)7,85,660
अनुपूरक	5,21,678			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				76,780
5 अगस्त 2020	76,780			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	15,00,000	16,70,000	11,55,000	(-)5,15,000
अनुपूरक	1,70,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,04,898
5 अगस्त 2020	5,04,898			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹7,856.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹4,116.78 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹1,100.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,216.78 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹767.80 लाख), अंतिम बचत (₹7,856.60 लाख) से ₹7,088.80 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 25- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2230-03-001-0101	मूल	1,000.00	1,000.00	459.03	(-)540.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
2852-07-202-0014	मूल	3,000.00	3,000.00	386.45	(-)2,613.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ई-गवर्नेंस परियोजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2852-07-202-0106	मूल	4,000.00	3,536.77	756.71	(-)2,780.06	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹463.23 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ज्ञान सिटी परियोजना (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)463.23				
2852-07-202-0107	मूल	97.00	97.00	10.49	(-)86.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार (राज्य स्कीम)						
2852-07-202-0109	मूल	1,500.00	1,500.00	676.56	(-)823.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ई-शासन राज्य योजना (राज्य स्कीम)						
2852-07-202-0113	मूल	2,000.00	1,232.20	1,232.20	0.00	व्यय की सम्भावना क्षीण होने के कारण ₹767.80 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
निश्चय-विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई-फाई (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)767.80				
3451-00-090-0027	मूल	753.00	1,853.00	1,608.76	(-)244.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सूचना प्रावैधिकी विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,100.00				

**अनुदान संख्या- 25- क्रमांत**

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2852-07-202-0108	मूल	1.00	2,998.92	2,998.90	(-)0.02	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹463.23 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य डाटा सेन्टर (राज्य स्कीम)	अनु०	2,534.69				
	पुनर्वि०	463.23				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹5,150.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹1,700.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹5,048.98 लाख), अंतिम बचत (₹5,150.00 लाख) से ₹101.02 लाख कम था।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4859-02-051-0101	मूल	10,000.00	4,951.02	4,850.00	(-)101.02	₹5,048.98 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य डाटा सेंटर (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)5,048.98				

**अनुदान संख्या- 26- श्रम संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	
			( ₹ हजार में )	
मूल	85,95,181	86,01,922	43,81,604	(-)42,20,318
अनुपूरक	6,741			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				631
4 अगस्त 2020	631			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,00,000	1,00,000	15,024	(-)84,976
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹42,203.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹49.92 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹ 17.49 लाख) में प्राप्त किया गया ₹67.41 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6.31 लाख), अंतिम बचत (₹42,203.18 लाख) से ₹42,196.87 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 26- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2230-01-001-0001	मूल	917.23	917.23	508.20	(-)409.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-001-0106	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-004-0002	मूल	76.33	76.33	40.34	(-)35.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-101-0006	मूल	1,282.35	1,282.35	1,040.63	(-)241.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-101-0007	मूल	4,056.55	4,027.55	3,124.95	(-)902.60	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹29.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)29.00				
2230-01-101-0106	मूल	150.00	150.00	11.19	(-)138.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-101-0108	मूल	3,000.00	3,000.00	163.68	(-)2,836.32	प्रथम अनुपूरक में टेलीफोन मद में राशि लेने हेतु ₹6.31 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	6.31				
	पुनर्वि०	(-)6.31				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2230-01-101-0109	मूल	200.00	200.00	6.91	(-193.09)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-102-0002	मूल	725.91	725.91	477.62	(-248.29)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-103-0001	मूल	479.86	479.86	255.53	(-224.33)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-103-0101	मूल	42.36	42.36	0.00	(-42.36)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-103-0103	मूल	246.70	246.70	59.72	(-186.98)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-112-0201	मूल	100.00	100.00	0.00	(-100.00)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-01-112-0301	मूल	40.00	40.00	1.00	(-39.00)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2230-01-114-0001	मूल	48.41	48.41	22.81	(-)25.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रवासी मजदूरों का कल्याण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2230-01-114-0102	मूल	200.00	200.00	72.00	(-)128.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (राज्य स्कीम)						
2230-01-789-0103	मूल	50.00	50.00	19.00	(-)31.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (राज्य स्कीम)						
2230-02-101-0004	मूल	2,016.37	2,016.38	1,519.46	(-)496.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
रोजगार कार्यालय की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				
2230-02-101-0101	मूल	100.00	100.00	9.11	(-)90.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
रोजगार सेवाओं के विस्तार (राज्य स्कीम)						
2230-02-101-0214	मूल	480.00	480.00	112.57	(-)367.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नेशनल कैरियर सर्विस (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2230-02-101-0314	मूल	320.00	320.00	41.28	(-)278.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नेशनल कैरियर सर्विस (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2230-03-003-0005	मूल	831.57	831.57	584.52	(-)247.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2230-03-003-0103	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-003-0105	मूल	100.00	100.00	25.64	(-)74.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-003-0109	मूल	3,008.50	3,008.50	2,543.35	(-)465.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-003-0126	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-003-0129	मूल	17,956.66	17,956.66	11,694.93	(-)6,261.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-003-0233	मूल	6,258.00	6,258.00	249.54	(-)6,008.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-003-0234	मूल	12,320.00	12,320.00	386.00	(-)11,934.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2230-03-003-0333	मूल	1,080.00	1,080.00	533.06	(-)546.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2230-03-101-0001	मूल	6,897.87	6,897.87	4,958.37	(-)1,939.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2230-03-101-0101	मूल	1,476.28	1,476.28	1,110.99	(-)365.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)						
2230-03-101-0103	मूल	6,000.00	6,000.00	4,849.81	(-)1,150.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)						
2230-03-102-0001	मूल	403.67	403.67	250.59	(-)153.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2230-03-789-0101	मूल	10,109.64	10,109.64	6,571.27	(-)3,538.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
2230-03-796-0121	मूल	533.70	533.70	346.91	(-)186.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
2235-01-202-0107	मूल	493.22	493.22	0.00	(-)493.22	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/ व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2235-02-200-0102	मूल	400.00	400.00	161.48	(-)238.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-789-0110	मूल	150.00	150.00	16.50	(-)133.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-796-0124	मूल	50.00	50.00	5.50	(-)44.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2251-00-090-0008	मूल	629.04	629.04	450.04	(-)179.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2251-00-091-0001	मूल	916.15	945.15	463.71	(-)481.44	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹29.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सचिवालय-जलपान गृह का स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	29.00				
2251-00-091-0002	मूल	226.70	226.70	119.84	(-)106.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विधानमंडल जलपान गृह की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 26- क्रमांत

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹849.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,000.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4250-00-050-0101	मूल	1,000.00	1,000.00	150.24	(-)849.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 27- विधि विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	91,57,119	95,02,543	80,96,315	14,06,228
अनुपूरक	3,45,424			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹14,062.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹2,103.01 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹13,351.23 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,454.24 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 27- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-003-0001	मूल	1,090.47	1,090.47	298.75	(-)791.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार न्यायिक अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2014-00-105-0001	मूल	77,824.44	78,232.44	70,347.29	(-)7,885.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सिविल एवं सत्र न्यायालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	408.00				
2014-00-105-0008	अनु०	450.00	450.00	202.01	(-)247.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2014-00-105-0010	अनु०	2,340.45	2,340.45	1,790.74	(-)549.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
न्यायालय के लिए आई० टी० सेवायें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2014-00-114-0001	मूल	1,156.47	1,173.61	911.96	(-)261.65	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 17.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.14				
	पुनर्वि०	17.00				
2014-00-114-0002	मूल	2,082.66	2,307.66	1,464.99	(-)842.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	225.00				

अनुदान संख्या- 27- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2014-00-114-0003 सरकारी मुकदमें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,815.70	5,798.70	3,687.64	(-)2,111.06	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹17.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)17.00				
2014-00-114-0006 विधि आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	111.42	111.42	68.94	(-)42.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2014-00-117-0001 परिवार न्यायालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,486.64	1,486.64	839.46	(-)647.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0018 विधि विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	974.25	974.25	733.63	(-)240.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-60-200-0013 बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	582.67	(-)417.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**विनियोग संख्या- 28- उच्च न्यायालय  
( सभी प्रभारित )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	18,22,764	18,35,878	15,50,041	(-)2,85,837
अनुपूरक	13,114			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹2,858.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹131.14 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

विनियोग संख्या- 28- क्रमांत

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-102-0001	मूल	18,227.64	18,227.64	15,470.89	(-)2,756.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2021)।
2014-00-102-0008	अनु०	131.14	131.14	29.51	(-)101.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2021)।

**अनुदान संख्या- 29- खान एवं भूतत्व विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	5,35,057	5,61,557	3,40,625	(-)2,20,932
अनुपूरक	26,500			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40,000
25 फरवरी 2021	40,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹2,209.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹265.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹400.00 लाख), अंतिम बचत (₹2,209.32 लाख) से ₹1,809.32 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 29- क्रमांत**

(iii) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
2853-02-001-0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,086.08	4,951.08	3,354.71	(-)1,596.37	अंतिम बचत तथा ₹ 400.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	265.00				
	पुनर्वि०	(-)400.00				
2853-02-004-0101 जियोलॉजिकल एवं जीपीएस लैब (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2053 जिला प्रशासन  
2202 सामान्य शिक्षा  
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण  
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	23,72,447	33,20,056	20,49,749	(-)12,70,307
अनुपूरक	9,47,609			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,67,609
2 जुलाई 2020	1			
15 सितंबर 2020	3,03,804			
8 मार्च 2021	5,63,804			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय  
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

दत्तमत :

मूल	29,50,000	29,50,000	7,68,170	(-)21,81,830
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				80,000
8 मार्च 2021	80,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹12,703.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹0.01 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹9,476.08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,476.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹8,676.09 लाख), अंतिम बचत (₹12,703.07 लाख) से ₹4,026.98 लाख कम था।

**अनुदान संख्या -30- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2053-00-094-0010 अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,497.70	1,486.70	1,146.41	(-)340.29	प्रावधान में ₹11.00 लाख की हुई कमी, ₹60.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹71.00 लाख .की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)11.00				
2202-02-107-0109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,500.00	10,900.00	9,033.41	(-)1,866.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	3,400.00				
2202-02-107-0210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2202-03-107-0106 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	100.00	100.00	0.00	नोडल एजेंसी द्वारा राशि की मांग नहीं होने से ₹ 400.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)400.00				
2202-80-004-0010 उर्दू अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	285.00	285.00	81.25	(-)203.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-04-050-0101 मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, दरभंगा (राज्य स्कीम)	अनु०	6,076.08	3,038.04	3,038.04	0.00	नये मद में राशि की प्राप्ति के लिए ₹3.038.04 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)3,038.04				

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2225-04-102-0101	मूल	100.00	100.00	0.45	(-)99.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-04-277-0103	मूल	1,000.00	1,600.00	1,400.00	(-)200.00	प्रावधान में ₹599.99 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,400.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹800.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। अन्य योजनाओं में राशि की आवश्यकता रहने के कारण ₹800.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा प्रशिक्षण शीर्ष में राशि की आवश्यकता रहने के कारण ₹0.01 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	599.99				
2225-04-277-0105	मूल	200.00	200.00	67.80	(-)132.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2250-00-003-0101	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजनाओं में राशि की आवश्यकता रहने के कारण सम्पूर्ण राशि की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2250-00-101-0101	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या -30- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2250-00-800-0002	मूल	255.00	255.00	223.50	(-)31.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2250-00-800-0003	मूल	226.00	226.00	185.40	(-)40.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2250-00-800-0107	मूल	500.00	500.00	30.50	(-)469.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2250-00-800-0108	मूल	6,500.00	1,161.96	1,161.96	0.00	अन्य योजनाओं में राशि की आवश्यकता रहने के कारण ₹900.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा नये मद में राशि की आवश्यकता रहने के कारण ₹3,038.04 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,400.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)5,338.04				
2251-00-090-0011	मूल	844.85	855.85	636.01	(-)219.84	प्रावधान में ₹11.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹14.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹3.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	11.00				

**अनुदान संख्या -30- क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2251-00-090-0012	मूल	274.38	274.38	211.90	(-)62.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2251-00-090-0026	मूल	123.54	123.54	71.86	(-)51.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-बिहार वक्फ न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹21,818.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹29,500.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹800.00 लाख), अंतिम बचत (₹21,818.30 लाख) से ₹21,018.30 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईं:

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4225-04-051-0101	मूल	200.00	200.00	130.00	(-)70.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक भवन सह-हज-हाउस के निर्माण वास्ते (राज्य स्कीम)						
4225-04-051-0102	मूल	4,000.00	3,200.00	977.01	(-)2,222.99	अन्य योजनाओं में राशि की आवश्यकता रहने के कारण ₹800.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य मदरसा सृष्टि/द्वीकरण योजना (राज्य स्कीम)		पुनर्वि० (-)800.00				

**अनुदान संख्या -30- क्रमांत**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय ( + )	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत ( - )	
( ₹ लाख में )						
4225-04-277-0101	मूल	1,200.00	1,200.00	790.77	(-)409.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (राज्य स्कीम)						
4250-00-051-0207	मूल	10,300.00	10,300.00	1,462.71	(-)8,837.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4250-00-051-0307	मूल	2,500.00	2,500.00	757.21	(-)1,742.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4250-00-051-0308	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम- विशेष राज्यांश (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
5465-01-190-0104	मूल	10,800.00	10,800.00	3,564.00	(-)7,236.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल शेयर) (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 31- संसदीय कार्य विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	23,043	71,413	68,718	(-)2,695
अनुपूरक	48,370			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹26.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹483.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या -31- क्रमांत

(iii) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0022	मूल	230.43	230.43	203.48	(-)26.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2021)।
संसदीय कार्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

विनियोग संख्या- 32- विधान मंडल

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	22,48,694	23,24,916	18,19,095	(-)5,05,821
अनुपूरक	76,222			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				59,500
23 मार्च 2021	59,500			

प्रभारित :

मूल	14,620	14,620	5,568	(-)9,052
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,900
23 मार्च 2021	3,900			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹5,058.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹762.22 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹595.00 लाख), अंतिम बचत (₹5,058.21 लाख) से ₹4,463.21 लाख कम था ।

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-101-0004	मूल	896.96	896.96	457.98	(-)438.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2011-02-101-0005	मूल	8,668.80	8,648.80	5,962.54	(-)2,686.26	प्रावधान में ₹20.00 लाख की हुई कमी, ₹20.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹40.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सदस्यगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)20.00				
2011-02-102-0005	मूल	94.50	56.50	41.76	(-)14.74	प्रावधान में ₹38.00 लाख की हुई कमी, ₹23.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹61.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। नेता विरोधी दल के पद रिक्त रहने के कारण ₹61.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विपक्ष के नेता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)38.00				

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2011-02-102-0006 सदस्यगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,190.01	2,052.01	1,477.25	(-)574.76	प्रावधान में ₹138.00 लाख की हुई कमी, ₹60.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹198.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)138.00				
2011-02-102-0007 सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	284.97	284.97	138.87	(-)146.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2011-02-103-0002 विधान परिषद सचिवालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,909.45	5,256.67	5,009.95	(-)246.72	प्रावधान में ₹415.00 लाख की हुई कमी, ₹ 11.1 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹530.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पदधारकों के पद रिक्त रहने तथा महंगाई भत्ता फ्रिज होने के कारण ₹530.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	762.22				
	पुनर्वि०	(-)415.00				

अनुदान संख्या- 32- क्रमांत

राजस्व ( प्रभारित )

(iv) ₹90.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹146.20 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹39.00 लाख), अंतिम बचत (₹90.52 लाख) से ₹51.52 लाख कम था।

(vi) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2011-02-101-0001	मूल	78.82	78.82	31.01	(-)47.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2011-02-102-0001	मूल	67.38	28.38	24.67	(-)3.71	उप-सभापति के पद रिक्त रहने के कारण ₹39.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सभापति एवं उप-सभापति के वेतन एवं भत्ते (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)39.00				

अनुदान संख्या- 33- सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2051 लोक सेवा आयोग  
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
2053 जिला प्रशासन  
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	73,56,208	79,40,333	56,04,220	(-)23,36,113
अनुपूरक	5,84,125			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित :

मूल	77,332	77,332	68,714	(-)8,618
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹23,361.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹40.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹5,801.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,841.25 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
(₹ लाख में)						
2051-00-103-0001	मूल बिहार कर्मचारी चयन आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	6,662.34	6,662.34	1,967.79	(-)4,694.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2051-00-103-0004	मूल बिहार तकनीकी सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	796.04	796.04	491.95	(-)304.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0004	मूल सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	3,531.87	3,531.87	2,510.62	(-)1,021.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0005	मूल सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	223.55	223.55	63.00	(-)160.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0041	मूल अति पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	74.90	74.90	19.36	(-)55.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0052	मूल उच्च जातियों के विकास हेतु राज्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	289.79	289.79	0.00	(-)289.79	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-092-0008	मूल स्थानिक आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	197.42	198.67	161.59	(-)37.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1.25				

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2053-00-093-0001	मूल	30,219.00	30,219.00	21,319.66	(-)8,899.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2053-00-094-0001	मूल	14,212.00	14,212.00	10,032.90	(-)4,179.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2053-00-101-0001	मूल	3,856.30	3,896.30	2,384.91	(-)1,511.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्य कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु० 40.00				
2070-00-001-0001	मूल	1,829.33	1,829.33	840.88	(-)988.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2070-00-003-0006	मूल	706.69	706.69	315.90	(-)390.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2070-00-003-0007	मूल	54.00	54.00	21.18	(-)32.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**अनुदान संख्या- 33- क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2070-00-115-0003	मूल	1,615.00	1,615.00	1,057.29	(-)557.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सर्किट भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2251-00-092-0002	मूल	682.60	682.60	467.71	(-)214.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**राजस्व ( प्रभारित )**

(iv) ₹86.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹773.32 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2070-00-104-0012	मूल	773.32	773.32	687.14	(-)86.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**विनियोग संख्या- 34- बिहार लोक सेवा आयोग**  
( सभी प्रभारित )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2051 लोक सेवा आयोग

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	2,85,359	3,51,459	3,35,676	(-)15,783
अनुपूरक	66,100			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

- (i) ₹157.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020(₹448.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹213.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹661.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 35- योजना एवं विकास विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2053	जिला प्रशासन
2059	लोक निर्माण कार्य
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	81,19,014	81,49,145	48,53,366	(-)32,95,779
अनुपूरक	30,131			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				16,05,144
6 अगस्त 2021	1,605			
13 अगस्त 2020	27,500			
23 फरवरी 2021	13,36,586			
31 मार्च 2021	2,39,453			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4235	समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,28,96,600	1,37,96,600	73,55,985	(-)64,40,615
अनुपूरक	9,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹32,957.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹301.31 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹16,051.44 लाख), अंतिम बचत (₹32,957.79 लाख) से ₹16,906.35 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2052-00-090-0010 योजना एवं विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,987.45	2,005.29	1,234.59	(-)770.70	प्रावधान में ₹17.84 लाख की हुई वृद्धि, ₹21.34 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹3.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	17.84				
2052-00-090-0103 योजना तंत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	8.56	(-)91.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2053-00-094-0007 योजना तंत्र का सुदृढीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,682.51	12,661.17	9,997.61	(-)2,663.56	प्रावधान में ₹21.34 लाख की हुई कमी, ₹ 105.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 126.34 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)21.34				
2053-00-094-0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	58.33	(-)91.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2059-01-053-0024	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-01-202-0505	मूल	11,987.00	11,987.00	7,791.55	(-)4,195.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-01-789-0501	मूल	9,728.00	9,728.00	6,323.20	(-)3,404.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-01-796-0501	मूल	685.00	685.00	445.25	(-)239.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-60-200-0120	मूल	2,500.00	2,500.00	244.87	(-)2,255.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2235-60-789-0106 मुख्य मंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,400.00	3,040.12	2,740.00	(-)300.12	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹640.12 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	640.12				
3451-00-101-0001 बिहार राज्य योजना बोर्ड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	717.16	717.16	610.84	(-)106.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3454-02-001-0001 योजना कार्यों का मूल्यांकन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	173.98	173.98	126.90	(-)47.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3454-02-111-0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,252.35	811.45	811.45	0.00	स्थानांतरण/पदस्थापन के कारण वेतन का भुगतान नहीं होने से ₹ 440.90 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)440.90				
3454-02-204-0119 योजना कार्यों का मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	15.08	(-)64.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3454-02-204-0408 क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	291.60	246.18	246.18	0.00	स्थानांतरण/पदस्थापन के कारण ₹ 45.42 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)45.42				
3454-02-204-0409 फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	169.41	105.56	105.56	0.00	तकनीकी कारणों के कारण ₹ 45.42 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)63.85				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
3454-02-204-0422	अनु०	275.00	275.00	114.76	(-)160.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3454-02-205-0004	मूल	1,562.74	1,253.57	1,253.55	(-)0.02	स्थानांतरण/पदस्थापन के कारण वेतन का भुगतान नहीं होने से ₹ 309.17 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)309.17				
3454-02-205-0005	मूल	2,762.34	2,273.81	2,273.73	(-)0.08	स्थानांतरण/पदस्थापन के कारण वेतन का भुगतान नहीं होने से ₹ 488.53 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)488.53				
3454-02-205-0101	मूल	18,900.00	1,052.37	1,051.09	(-)1.28	एजेंसी के चयन में विलंब प्रक्रिया के कारण ₹ 1,186.21 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,000.75 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 12,660.67 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)17,847.63				
3454-02-205-0102	मूल	200.00	36.39	36.39	0.00	तकनीकी समस्याओं के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹ 163.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)163.61				
3454-02-205-0405	मूल	869.94	192.33	192.33	0.00	तकनीकी समस्याओं के कारण ₹ 677.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)677.61				

**अनुदान संख्या- 35- क्रमशः**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹64,406.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹1,000.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹ 8,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4070-00-051-0107	मूल	83,282.00	83,282.00	53,533.67	(-)29,748.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4070-00-051-0109	मूल	559.00	559.00	106.51	(-)452.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4070-00-051-0210	मूल	5,109.00	5,109.00	0.00	(-)5,109.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4070-00-051-0310	मूल	2,180.00	2,180.00	0.00	(-)2,180.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4070-00-789-0103	मूल	15,264.00	15,264.00	10,226.88	(-)5,037.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4070-00-789-0302	मूल	1,227.00	1,227.00	0.00	(-)1,227.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4070-00-796-0101	मूल	954.00	954.00	639.18	(-)314.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)						
4235-60-051-0104	मूल	5,000.00	5,000.00	709.95	(-)4,290.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (गृह विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)						
4401-00-051-0102	अनु०	830.00	830.00	141.94	(-)688.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कृषि विभाग का भवन (राज्य स्कीम)						
4401-00-789-0104	अनु०	160.00	160.00	0.00	(-)160.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कृषि विभाग के भवन (राज्य स्कीम)						
4515-00-101-0105	मूल	2,000.00	10,000.00	201.72	(-)9,798.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पंचायत सरकार भवनों का निर्माण-वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग) (राज्य स्कीम)	अनु०	8,000.00				
4515-00-102-0203	मूल	13,391.00	13,391.00	8,000.00	(-)5,391.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2059 लोक निर्माण कार्य  
2215 जलापूर्ति तथा सफाई  
2216 आवास  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	60,64,467	1,07,44,767	62,69,173	(-)44,75,594
अनुपूरक	46,80,300			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय  
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय  
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	5,25,00,000	5,85,00,000	4,75,13,243	(-)1,09,86,757
अनुपूरक	60,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹44,755.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹30,000.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹16,803.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹46,803.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 36- क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2059-01-053-0030	मूल	200.00	200.00	68.23	(-)131.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सरकारी कार्यालय का रखरखाव तथा मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2215-01-101-0004	मूल	7,570.20	13,873.20	11,445.20	(-)2,428.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	शहरी जलापूर्ति योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०				
2215-01-101-0006	मूल	1,275.00	2,775.00	2,233.93	(-)541.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	सरकारी भवनों में जलापूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०				
2215-01-102-0001	मूल	21,490.56	30,490.56	25,231.82	(-)5,258.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०				
2215-01-102-0002	मूल	19,618.42	19,618.42	15,307.40	(-)4,311.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2215-01-102-0106	मूल	8,300.00	33,200.00	7,133.30	(-)26,066.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	अनु०				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
	( ₹ लाख में )					
2215-01-789-0104 मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	6,400.00	1,067.78	(-)5,332.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4,800.00				
2215-01-796-0105 मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	400.00	44.98	(-)355.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	300.00				
2215-02-003-0102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2216-05-053-0001 सरकारी आवासीय भवनों का रखरखाव एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	12.93	(-)87.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2251-00-090-0016 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	290.49	290.49	146.17	(-)144.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 36- क्रमशः**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹1,09,867.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹60,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4059-01-051-0128	मूल	1,000.00	1,000.00	5.52	(-)994.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अन्य क्षेत्र उपयोगना (राज्य स्कीम)						
4215-01-102-0101	मूल	3,500.00	3,500.00	12.89	(-)3,487.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण जलापूर्ति योजना (राज्य स्कीम)						
4215-01-102-0116	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)						
4215-01-102-0125	मूल	1,090.00	1,090.00	927.10	(-)162.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जल गुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन (राज्य स्कीम)						
4215-01-102-0132	मूल	2,86,028.00	2,86,028.00	2,46,586.47	(-)39,441.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)						
4215-01-102-0133	मूल	58,100.00	1,07,900.00	87,812.49	(-)20,087.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	49,800.00				
मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4215-01-102-0230	मूल	49,800.00	49,800.00	26,640.51	(-)23,159.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4215-01-102-0330	मूल	33,200.00	33,200.00	26,615.85	(-)6,584.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4215-01-789-0111	मूल	1,680.00	1,680.00	1,028.88	(-)651.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)						
4215-01-789-0114	मूल	55,136.00	55,136.00	45,569.69	(-)9,566.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)						
4215-01-789-0115	मूल	11,200.00	20,800.00	17,079.88	(-)3,720.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	अनु०	9,600.00				
4215-01-796-0107	मूल	115.00	115.00	62.74	(-)52.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)						
4215-01-796-0119	मूल	3,436.00	3,436.00	2,639.84	(-)796.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 36- क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4215-01-796-0120 मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	1,300.00	912.04	(-)387.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	600.00				
4215-01-796-0217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	600.00	528.79	(-)71.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4215-02-106-0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4216-01-051-0103 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4215-01-102-0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	1,905.00	1,905.00	2,309.72	(+)404.72	अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 37- ग्रामीण कार्य विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3054 सड़क तथा सेतु

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,21,48,883	2,21,48,883	1,89,77,214	(-)31,71,669
अनुपूरक	1,00,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	9,42,40,000	9,42,40,000	3,30,19,273	(-)6,12,20,727
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹31,716.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹1,00,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

**अनुदान संख्या- 37- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2515-00-001-0009	मूल	11,077.12	11,077.12	7,465.71	(-)3,611.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अभियंत्रण स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2515-00-001-0108	मूल	18,500.00	18,500.00	12,224.84	(-)6,275.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)						
3054-04-105-0001	मूल	90,000.00	1,90,000.00	1,68,393.00	(-)21,607.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०	1,00,000.00			
3451-00-090-0029	मूल	911.70	911.70	688.59	(-)223.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण कार्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹6,12,207.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹9,42,400.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
4515-00-103-0101	मूल	10,505.00	10,505.00	4,982.69	(-)5,522.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 37- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4515-00-103-0105	मूल	30,000.00	30,000.00	9,300.00	(-20,700.00)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4515-00-103-0113	मूल	61,172.00	61,172.00	52,932.13	(-8,239.87)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4515-00-103-0119	मूल	50,000.00	50,000.00	41,500.00	(-8,500.00)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4515-00-103-0216	मूल	5,08,600.00	5,08,600.00	112.50	(-5,08,487.50)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4515-00-103-0316	मूल	33,300.00	33,300.00	23,312.80	(-9,987.20)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4515-00-103-0518	मूल	30,000.00	30,000.00	20,100.00	(-9,900.00)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 37- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4515-00-103-0519	मूल	70,000.00	70,000.00	45,500.00	(-)24,500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एनडीबी) (ब्रिक्स बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)						
4515-00-789-0104	मूल	1,39,204.00	1,39,204.00	1,22,833.61	(-)16,370.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण

2039 राज्य उत्पाद शुल्क

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	28,04,765	28,08,865	17,86,483	(-)10,22,382
अनुपूरक	4,100			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹10,223.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹41.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 38- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2030-02-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	69.69	105.69	52.28	(-)53.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	36.00				
2030-02-101-0001 केन्द्रीय स्टाम्प कोषागार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	722.40	(-)277.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2030-02-101-0002 प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	91.65	(-)58.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2030-03-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,878.60	1,878.60	778.76	(-)1,099.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2030-03-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,748.27	9,748.27	5,117.89	(-)4,630.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2039-00-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,441.08	1,441.08	790.19	(-)650.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2039-00-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,220.75	13,225.75	10,301.55	(-)2,924.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	5.00				

अनुदान संख्या- 38- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2039-00-001-0007	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2039-00-001-0109	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-092-0007	मूल	98.76	98.76	2.54	(-)96.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 39- आपदा प्रबंधन विभाग

( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	4,43,80,078	9,35,89,879	6,74,19,543	(-)2,61,70,336
अनुपूरक	4,92,09,801			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,06,10,700
7 जनवरी 2021	1,06,10,700			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	58,000	58,000	0	(-)58,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				53,000
7 जनवरी 2021	53,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹2,61,703.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹2,79,798.01 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹2,12,300.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,92,098.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,06,107.00 लाख), अंतिम बचत (₹2,61,703.36 लाख) से ₹1,55,596.36 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 39- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2070-00-106-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	455.99	448.99	271.05	(-)177.94	प्रावधान में ₹7.00 लाख की हुई कमी, ₹2.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹9.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)7.00				
2070-00-106-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	106.93	109.93	70.95	(-)38.98	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	3.00				
2070-00-106-0004 प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	123.71	127.71	73.99	(-)53.72	प्रावधान में ₹4.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹9.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	4.00				
2235-01-200-0004 कटाव से विस्थापितों का हुई भूमि की क्षति के लिए सहाय्य अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
	( ₹ लाख में )					
2235-60-200-0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	600.00	350.00	126.43	(-)223.57	सुखे के मद्देनजर ₹ 100.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹150.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)250.00				
2245-01-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	60,000.00	100.00	0.00	(-)100.00	सुखे के मद्देनजर ₹ 44,900.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹15,000.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)59,900.00				
2245-01-101-0005 अन्य कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	37.50	0.00	(-)37.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹12.50 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)12.50				
2245-01-101-0006 अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	70,000.00	100.00	0.00	(-)100.00	सुखे के मद्देनजर ₹ 52,400.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹17,500.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)69,900.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-01-102-0001 ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की दुलाई (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	75.00	0.00	(-)75.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2245-01-104-0001 चारे की पूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	37.50	0.00	(-)37.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹12.50 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)12.50				
2245-01-282-0002 जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	3,757.00	0.00	(-)3,757.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,243.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,243.00				
2245-02-001-0101 बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	200.00	3.25	(-)196.75	योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्रत्यर्पण उद्भव्य के आलोक में ₹600.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				

**अनुदान संख्या- 39- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,000.00	31,501.00	23,554.36	(-)7,946.64	सुखे के मद्देनजर ₹ 749.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹250.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	21,500.00				
	पुनर्वि०	(-)999.00				
2245-02-101-0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,200.00	2,200.00	664.35	(-)1,535.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-02-101-0004 प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्नन का मुफ्त वितरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-02-101-0005 आग लगने से रहत कार्य के लिए नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	353.99	(-)646.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-02-101-0006 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	62.19	(-)937.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-101-0007	मूल	1,000.00	1,000.00	313.38	(-)686.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2245-02-101-0010	मूल	300.00	225.00	0.00	(-)225.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹75.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)75.00				
2245-02-102-0001	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पेयजल की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2245-02-104-0001	मूल	250.00	250.00	59.11	(-)190.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
चारे की पूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2245-02-105-0001	मूल	50.00	37.50	0.50	(-)37.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹12.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पशुओं के लिए दवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)12.50				
2245-02-106-0001	मूल	5,000.00	35,000.00	394.15	(-)34,605.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	30,000.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-109-0001 क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	3,368.00	2,590.57	(-)777.43	प्रावधान में ₹368.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 898.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। सुखे के मद्देनजर ₹ 500.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,800.00				
	पुनर्वि०	368.00				
2245-02-112-0002 जनसंख्या का निष्क्रमण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,000.00	74,250.00	53,446.96	(-)20,803.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	59,250.00				
2245-02-112-0003 आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रों तथा निष्कासन संयंत्रों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	375.00	11.23	(-)363.77	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)125.00				
2245-02-112-0004 संचार उपकरणों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	5.00	1.77	(-)3.23	सुखे के मद्देनजर ₹ 370.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
		(-)495.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-112-0104 संचार उपकरणों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	300.00	0.00	(-)300.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्रत्यर्पण उद्व्यय के आलोक में ₹ 900.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)900.00				
2245-02-113-0001 बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	750.00	87.29	(-)662.71	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹250.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)250.00				
2245-02-113-0003 अन्य प्राकृतिक आपदा से जले मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-02-114-0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	70,000.00	1,93,253.00	1,65,131.67	(-)28,121.33	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹16,900.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,40,153.00				
	पुनर्वि०	(-)16,900.00				
2245-02-115-0001 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2245-02-117-0001	मूल	200.00	200.00	20.05	(-)179.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2245-02-117-0002	मूल	100.00	100.00	7.90	(-)92.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
दुधारू पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2245-02-117-0003	मूल	125.00	125.00	20.87	(-)104.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2245-02-118-0001	मूल	500.00	75.00	9.67	(-)65.33	सुखे के मद्देनजर ₹ 300.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/नये नावों का निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०	(-)425.00			
2245-02-122-0001	मूल	20,000.00	55,800.00	16,444.41	(-)39,355.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०	35,800.00			
2245-02-800-0007	मूल	38.89	0.89	0.00	(-)0.89	सुखे के मद्देनजर ₹ 38.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहाय्य सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०	(-)38.00			

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
	( ₹ लाख में )					
2245-02-800-0008 क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	100.00	0.00	(-)100.00	सुखे के मद्देनजर ₹ 1,100.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1,000.00				
	पुनर्वि०	(-)1,100.00				
2245-05-101-0001 प्राकृतिक आपदा कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,25,885.00	4,25,885.00	2,44,117.00	(-)1,81,768.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-06-101-0001 मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-06-113-0001 भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत-पुनर्स्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	1.90	(-)48.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-80-001-0001 आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,211.07	1,211.07	486.61	(-)724.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2245-80-001-0002 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,412.01	2,412.01	295.40	(-)2,116.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-80-001-0003	मूल	3,791.50	3,791.50	3,025.30	(-)766.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2245-80-102-0005	मूल	2,850.00	52,381.09	48,447.52	(-)3,933.57	प्रावधान में ₹2,018.92 लाख की हुई कमी, ₹ 15 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 374. लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,800.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। सुखे के मद्देनजर ₹ 1,800.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जागरूकता एवं क्षमता	अनु०	51,550.01				
निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)2,018.92				
2245-80-102-0105	मूल	2,650.00	300.00	14.70	(-)285.30	योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्रत्यर्पण उद्भव्य के आलोक में ₹2,350.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)2,350.00				
2251-00-090-0017	मूल	741.53	845.53	594.33	(-)251.20	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹79.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आपदा प्रबंधन विभाग	अनु०	25.00				
(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	79.00				

**अनुदान संख्या- 39- क्रमशः**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹580.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹530.00 लाख), अंतिम बचत (₹580.00 लाख) से ₹50.00 लाख कम था।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4250-00-051-0104 भांडागार (राज्य स्कीम)	मूल	580.00	50.00	0.00	(-)50.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्रत्यर्पण उद्भव्य के आलोक में ₹ 530.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)530.00				

**(vi) राज्य आपदा रिस्पाँस निधि ( एसडीआरएफ )**

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है । फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाता है, को अपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। इसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय ₹57,000.00 लाख राज्य आपदा रिस्पाँस निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद प्राप्त निवल राशि के लिए अनुदान लिया गया था।

### अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई, जो वित्तीय वर्ष 1990-91 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी रही। दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-96 से आपदा राहत निधि की योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक जारी रखा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक कुछ संशोधनों के साथ आपदा राहत निधि योजना को पुनः जारी रखने की अनुशंसा की। तदोपरान्त, बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना का परिचालन एवं प्रशासन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी रखा।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32-3/2010-एन.डी.एम.-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अंगीभूत करते हुए राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुभाग 46(I) एवं 48(I) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक जारी रही। इस योजना के तहत राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। 31 मार्च 2010 को आपदा राहत निधि में अवशेष राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि में किया गया और आपदा राहत निधि का अस्तित्व 01.04.2010 से समाप्त हो गया।

एस०डी०आर०एफ० योजना के अनुसार, इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा, जबतक भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जाय:-

(क) केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,

(ख) नीलाम किए गए खजाना बिल,

(ग) अनमूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा मॉर्टिफिकेट।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि के लिए निधि का प्रावधान किया तथा एस०डी०आर०एफ० में राज्यों को 10 प्रतिशत अंशदान एवं शेष 90 प्रतिशत संघ सरकार द्वारा दिये जाने का अनुशंसा किया। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-5/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को इस संशोधन के साथ अंगीभूत किया कि राज्यों का हिस्सा पूर्ववत जारी रहेगा। राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत होगी:-

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	जोड़
	( ₹ करोड़ में )					
केन्द्र का हिस्सा (75%)	369.00	387.75	407.25	427.50	1,416.00	3,007.50
राज्य का हिस्सा (25%)	123.00	129.25	135.75	142.50	472.00	1,002.50
<b>जोड़</b>	<b>492.00</b>	<b>517.00</b>	<b>543.00</b>	<b>570.00</b>	<b>1888.00</b>	<b>4,010.00</b>

## अनुदान संख्या- 39- क्रमांत

वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में एसडीआरएफ में आरंभिक शेष ₹73,850.00 था।

भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के राहत हेतु 27 मार्च 2020 को एनडीआरएफ से ₹553.17 करोड़ बिहार सरकार को जारी की और राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या-31 दिनांक 30 अप्रैल 2020 द्वारा इसे एसडीआरएफ बिहार में जमा किया। 15वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी किस्त क्रमशः 3 अप्रैल 2020 और 7 जनवरी 2021 को भारत सरकार से जारी ₹708.00 करोड़ और ₹708.00 करोड़ तथा राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश-30 दिनांक 30 अप्रैल 2020 द्वारा ₹944.00 करोड़ (पहली किस्त) तथा स्वीकृत्यादेश-968 दिनांक 24 फरवरी 2021 द्वारा ₹ 944.00 करोड़ (दूसरी किस्त) के साथ 25% हिस्सेदारी दी।

दूसरी ओर राज्य सरकार से ₹524.49 करोड़, ₹152.164 करोड़, ₹656.352 करोड़ तथा ₹730.17 करोड़ के डेबिट नोट प्राप्त हुए। तदनुसार राशि ₹524.49 करोड़, ₹152.164 करोड़, ₹656.352 करोड़ तथा ₹730.17 करोड़ एसडीआरएफ को नामे किया गया, जिससे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में एसडीआरएफ का अंतशेष ₹378.0013850 करोड़ रह गया। नोट:- ₹378.0013850 करोड़ के शेष में से ₹378.00 करोड़ मिटिगेशन फंड के लिए है।

**अनुदान संख्या- 40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014	न्याय प्रशासन
2029	भू-राजस्व
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2075	विविध सामान्य सेवाएं
2506	भूमि सुधार
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	89,27,412	1,36,22,949	66,74,900	(-)69,48,049
अनुपूरक	46,95,537			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<b>0</b>

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत :

मूल	4,52,002	4,52,002	9,782	(-)4,42,220
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<b>0</b>

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹69,480.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹12,735.72 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹34,219.65 लाख) में प्राप्त किया गया ₹46,955.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-106-0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	254.55	428.65	244.49	(-)184.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	174.10				
2029-00-001-0001 जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,965.81	3,078.81	2,414.88	(-)663.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	113.00				
2029-00-001-0004 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	308.73	363.78	225.27	(-)138.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	55.05				
2029-00-001-0102 जोतों की चकबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	1,684.00	(-)316.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2029-00-003-0101 क्षमता वर्धन(राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	10.66	(-)49.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2029-00-102-0101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	8,251.28	39,219.87	12,233.83	(-)26,986.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	30,968.59				
2029-00-103-0001 भू-अभिलेख स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,106.75	1,106.75	843.46	(-)263.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2029-00-103-0206 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,635.00	8,635.00	0.00	(-)8,635.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2029-00-103-0306	मूल	2,411.49	2,411.49	1,096.08	(-)1,315.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2029-00-104-0001	राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)					
	मूल	57,577.25	60,738.64	45,236.54	(-)15,502.10	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹21.50 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	3,139.89				
पुनर्वि०	21.50					
2029-00-104-0002	मूल	695.00	695.00	42.30	(-)652.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2029-00-104-0003	मूल	158.16	158.16	0.00	(-)158.16	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2029-00-104-0004	मूल	41.76	41.76	0.00	(-)41.76	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2029-00-800-0001	मूल	26.00	26.00	0.00	(-)26.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-090-0017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,918.83	2,085.58	1,361.05	(-)724.53	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹78.50 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	88.25				
	पुनर्वि०	78.50				
2052-00-092-0004	मूल	148.51	148.51	78.54	(-)69.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2052-00-099-0001 राजस्व पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	576.40	669.80	561.58	(-)108.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	93.40				
2070-00-105-0018	मूल	200.00	200.00	65.00	(-)135.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2070-00-800-0002	मूल	116.40	116.40	28.25	(-)88.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2506-00-102-0001 जोतों की चकबन्दी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	587.33	605.35	381.66	(-)223.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	18.02				

अनुदान संख्या- 40- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3454-01-001-0402	मूल	276.47	276.47	44.77	(-)231.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3454-01-101-0403	मूल	350.00	12,655.07	0.00	(-)12,655.07	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	12,305.07				
3604-00-200-0001	मूल	603.53	503.53	196.17	(-)307.36	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹4,422.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹4,520.02 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4047-00-050-0107	मूल	77.00	77.00	0.81	(-)76.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4047-00-789-0106	मूल	4,182.00	4,182.00	84.01	(-)4,097.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4047-00-796-0101	मूल	261.00	261.00	13.00	(-)248.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 41- पथ निर्माण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3054 सड़क तथा सेतु

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	1,63,73,619	2,41,05,219	1,69,05,187	(-)72,00,032
अनुपूरक	77,31,600			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<b>0</b>

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	5,06,87,501	6,41,55,901	3,20,38,789	(-)3,21,17,112
अनुपूरक	1,34,68,400			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<b>1,41,97,300</b>
24 फरवरी 2021	1,41,97,300			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹72,000.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹15,000.00 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹62,316.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹77,316.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3054-03-052-0001	मूल	300.00	300.00	157.72	(-)142.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मशीनें और उपकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3054-03-103-0001	मूल	50.00	50.00	16.04	(-)33.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कार्यभारित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3054-03-103-0002	मूल	57,500.00	1,12,500.00	78,009.41	(-)34,490.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु० 55,000.00				
3054-80-001-0001	मूल	8,678.98	8,678.98	5,978.68	(-)2,700.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3054-80-001-0002	मूल	40,937.01	40,937.01	23,536.30	(-)17,400.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पर्यवेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3054-80-001-0006	मूल	4,500.00	4,500.00	2,434.82	(-)2,065.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3054-80-001-0010	मूल	185.35	185.35	107.62	(-)77.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**अनुदान संख्या- 41- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3054-80-797-0101 केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण (राज्य स्कीम)	मूल	51,199.99	73,515.99	64,909.00	(-)8,606.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	22,316.00				
3451-00-090-0014 पथ निर्माण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	359.86	359.86	236.97	(-)122.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹3,21,171.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹1,34,684.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,41,973.00 लाख), अंतिम बचत (₹3,21,171.12 लाख) से ₹1,79,198.12 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5054-02-337-0101 भारत-नेपाल सीमा सड़क (राज्य स्कीम)	मूल	190.00	190.00	0.00	(-)190.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
5054-03-101-0101 पुल (राज्य स्कीम)	मूल	16,488.98	28,988.98	16,270.02	(-)12,718.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	12,500.00				
5054-03-101-0103 पुल (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	50,000.00	70,000.00	50,632.31	(-)19,367.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	20,000.00				
5054-03-101-0104 मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	2,000.01	0.00	(-)2,000.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,000.00				
5054-03-337-0102 वृहद्-सड़कें (राज्य स्कीम)	मूल	1,10,000.00	1,30,000.00	64,141.06	(-)65,858.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	20,000.00				

अनुदान संख्या- 41- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5054-03-337-0206	मूल	51,199.99	51,199.99	41,712.47	(-)9,487.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
5054-03-337-0211	मूल	0.01	15,500.01	0.00	(-)15,500.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विशेष सहायता (बीआरजी-पथ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	15,500.00				
5054-03-337-0508	मूल	2,11,900.00	1,29,364.40	1,29,364.40	0.00	₹1,41,973.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	अनु०	59,437.40				
	पुनर्वि०	(-)1,41,973.00				
5054-03-789-0101	मूल	73,296.00	80,296.00	44,518.05	(-)35,777.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वृहद् सड़कें (राज्य स्कीम)	अनु०	7,000.00				
5054-04-337-0201	मूल	27,000.00	45,651.02	25,099.98	(-)20,551.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	18,651.02				

**अनुदान संख्या- 41- क्रमशः**

**(vii) उचंत लेन-देन :** (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹12,688.60 लाख (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं, यथा-(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत। प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति निम्नलिखित है -

**(i) स्टॉक :-** इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य हटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है।

**(ii) क्रय :-** जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट “कार्य” शीर्ष में या “स्टॉक” उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का “क्रय” शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को “8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा” में दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा - भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

**(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम :-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय की गई राशि, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

**(iv) कार्यशाला उचंत :-** (क) लोक निर्माण विभाग के विभागी कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2021 को अंतशेष
<b>( ₹ लाख में )</b>					
<b>(i) 3054 - सड़क तथा सेतु</b>					
क्रय	(-)4,047.20	0.00	0.00	0.00	(-)4,047.20
स्टॉक	(-)690.43	0.00	0.00	0.00	(-)690.43
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	19,415.86	0.00	6,335.62	6,335.62	25,751.48
<b>जोड़</b>	<b>14,678.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6,335.62</b>	<b>6,335.62</b>	<b>21,013.85</b>

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2020 को अंतशेष
( ₹ लाख में )					
<b>(ii) 5054 - सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
क्रय	(-)4.43	0.00	0.00	0.00	(-)4.43
स्टॉक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध निर्माण	4,19,892.19	0.00	6,352.97	6,352.97	4,26,245.16
<b>जोड़</b>	<b>4,19,887.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,352.97</b>	<b>6,352.97</b>	<b>4,26,240.73</b>

(viii) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :- लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2018-19 से 2020-21 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
( ₹ लाख में )					
2018-19	6,95,970.74	30,172.76	4.34	327.76	0.05
2019-20	1,20,204.91	32,321.32	26.89	97.92	0.08
2020-21	3,20,357.93	32,057.42	10.01	157.71	0.05

(ix) केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान

भारत सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्क की आय में से किया जाता है। इस निधि में अंतरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत राशि केंद्र सरकार के खातों में मुख्य शीर्ष “3054- सड़क तथा सेतु” में प्रतिपक्ष नामे डालकर मुख्य शीर्ष “8224-केन्द्रीय सड़क निधियाँ” को जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों आदि को आबंटित की जाती है।

इस निधि से प्राप्त राशि एवं उससे होने वाले व्यय को राज्य सरकार के खाते में निम्न प्रकार से लेखांकन प्रक्रिया है:-

केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 06-केन्द्र प्रायोजित स्कीम -104-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान या 08-राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान -108-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान जैसा भी मामला हो, में जमा की जाती है। तत्पश्चात, इतनी ही राशि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को से अंतरण में प्रतिपक्ष जमा करके मुख्यशीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में जमा की जाती है।

## अनुदान संख्या- 41- क्रमांत

इन योजनाओं में हुई वास्तविक व्यय को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 3054/5054 के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है एवं अंततः इस मुख्य शीर्ष में किया गया व्यय को मुख्य राशि 8449-अन्य जमा अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि के शेष से पूरा किया जाता है । इन राशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के नामे डालकर प्रतिपक्ष नामे मुख्य शीर्ष 3054/5054-902-जमा शीर्ष से प्रतिपूर्ति किया जाता है ।

भारत सरकार से वर्ष 2020-21 में ₹42,593.00 लाख प्राप्त हुई एवं मुख्य शीर्ष 1601-08-108 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के अंतर्गत जमा की गई ।

वर्ष 2020-21 के दौरान पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 2022 (एस) दिनांक 31.03.2021 के आलोक में अंतरण प्रविष्टि के द्वारा ₹4,593.00 लाख को मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतर्गत नामे किया गया तथा मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को जमा किया गया। पुनः पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 2021 (एस) दिनांक 31.03.2021 के आलोक में मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण प्रविष्टि द्वारा ₹4,593.00 लाख नामे किया गया तथा मुख्य शीर्ष- 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राजमार्ग, लघु शीर्ष-902-घटाये-अन्य जमा सड़क निधि अनुदान से पूरी की गयी राशि कं अंतर्गत घटाकर नामे किया गया।

**अनुदान संख्या- 42- ग्रामीण विकास विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203	तकनीकी शिक्षा
2215	जलापूर्ति तथा सफाई
2216	आवास
2220	सूचना तथा प्रचार
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	15,94,02,770	17,83,10,336	9,29,91,601	(-)8,53,18,735
अनुपूरक	1,89,07,566			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				67,15,100
23 फरवरी 2021	67,15,100			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,50,100	1,50,100	1,50,000	(-)100
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹8,53,187.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹1,89,075.66 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹67,151.00 लाख), अंतिम बचत (₹8,53,187.35 लाख) से ₹7,86,036.35 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-112-0106	मूल	1,201.00	1,201.00	396.33	(-)804.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट (राज्य स्कीम)						
2215-02-105-0103	मूल	20,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
लोहिया स्वच्छता योजना (राज्य स्कीम)						
	पुनर्वि०	(-)20,000.00				
2215-02-105-0202	मूल	1,13,631.00	1,13,631.00	7,141.17	(-)1,06,489.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2215-02-789-0204	मूल	29,136.00	29,136.00	1,629.42	(-)27,506.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2215-02-796-0206	मूल	2,914.00	2,914.00	85.85	(-)2,828.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2216-03-102-0101	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (राज्य स्कीम)						
	पुनर्वि०	(-)120.00				
2216-03-105-0107	मूल	16,751.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (राज्य स्कीम)						
	पुनर्वि०	(-)16,751.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2216-03-105-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,25,459.00	4,38,552.00	1,88,531.79	(-)2,50,020.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	13,093.00				
2216-03-789-0104 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	240.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)240.00				
2216-03-789-0105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)25,000.00				
2216-03-789-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,76,262.00	1,76,262.00	0.00	(-)1,76,262.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2216-03-796-0103 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)40.00				
2216-03-796-0104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2216-03-796-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,078.00	6,078.00	0.00	(-)6,078.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2220-60-101-0101 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	100.00	(-)400.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2501-01-001-0104	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2501-06-001-0101	मूल	300.00	300.00	70.22	(-)229.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2501-06-101-0202	मूल	65,300.00	65,300.00	22,345.49	(-)42,954.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2501-06-101-0203	मूल	3,600.00	3,600.00	1,428.76	(-)2,171.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2501-06-101-0303	मूल	2,000.00	2,000.00	476.25	(-)1,523.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2501-06-789-0202	मूल	37,874.00	37,874.00	23,878.47	(-)13,995.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2501-06-796-0202	मूल	27,426.00	27,426.00	16,542.83	(-)10,883.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2505-01-701-0102	मूल	600.00	600.00	430.63	(-)169.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)						
2505-02-101-0201	मूल	2,53,498.00	2,84,498.00	1,82,747.15	(-)1,01,750.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	31,000.00				
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2505-02-101-0301	मूल	24,998.00	24,998.00	19,990.78	(-)5,007.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2515-00-001-0010	मूल	41,515.48	41,515.48	33,528.81	(-)7,986.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रखण्ड स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2515-00-001-0110	मूल	842.00	842.00	705.76	(-)136.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जल-जीवन- हरियाली मिशन (राज्य स्कीम)						
2515-00-003-0101	मूल	390.00	390.00	172.92	(-)217.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2515-00-102-0119	मूल	15,000.00	15,000.00	9,750.00	(-)5,250.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सतत् जीविकोपार्जन योजना (राज्य स्कीम)						
2515-00-102-0218	मूल	7,920.00	7,920.00	0.00	(-)7,920.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2515-00-102-0318	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2515-00-102-0517	मूल	29,638.00	29,638.00	23,413.95	(-)6,224.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-( विश्व बैंक संपोषित - ग्रामीण विकास विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)						
2515-00-789-0510	मूल	12,279.00	12,279.00	9,700.55	(-)2,578.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-( विश्व बैंक संपोषित - ग्रामीण विकास विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)						
2515-00-796-0517	मूल	423.00	423.00	334.10	(-)88.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-( विश्व बैंक संपोषित - ग्रामीण विकास विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 42- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
3451-00-090-0010	मूल	1,025.22	1,025.22	872.86	(-)152.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ग्रामीण विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹1.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,501.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	25,84,986	27,67,496	21,63,971	(-)6,03,525
अनुपूरक	1,82,510			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,20,000
23 फरवरी 2021	1,20,000			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	7,80,000	8,89,372	7,20,549	(-)1,68,823
अनुपूरक	1,09,372			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				19,372
23 फरवरी 2021	19,372			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹6,035.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹134.05 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹1,691.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,825.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,200.00 लाख), अंतिम बचत (₹6,035.25 लाख) से ₹4,835.25 लाख कम था।

**अनुदान संख्या 43- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2203-00-003-0101	मूल	700.00	700.00	172.08	(-)527.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2203-00-004-0101	मूल	1,900.00	700.00	259.31	(-)440.69	अंतिम बचत तथा ₹1,200.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,200.00				
2203-00-103-0001	मूल	111.88	111.88	85.79	(-)26.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2203-00-105-0001	मूल	11,162.95	12,002.85	10,441.00	(-)1,561.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	839.90				
2203-00-105-0106	मूल	450.00	600.00	415.69	(-)184.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	150.00				
2203-00-112-0001	मूल	9,629.93	10,090.33	8,456.29	(-)1,634.04	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	461.40				
	पुनर्वि०	(-)1.00				
2203-00-112-0101	मूल	450.00	600.00	499.56	(-)100.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	150.00				

**अनुदान संख्या 43- क्रमशः**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
2203-00-112-0105	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
3451-00-090-0003	मूल	228.01	238.01	134.68	(-)103.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०				

**अनुदान संख्या 43- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹1,688.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹1,093.72 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹193.72 लाख), अंतिम बचत (₹1,688.23 लाख) से ₹1,494.51 लाख कम था।

(vi) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
4202-02-104-0102	मूल	600.00	1,343.72	864.06	(-)479.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पॉलिटिकल/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय (राज्य स्कीम)	अनु०				
4202-02-105-0102	मूल	700.00	1,050.00	691.01	(-)358.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पॉलिटिकल/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय (राज्य स्कीम)	अनु०				
4202-02-105-0106	मूल	3,500.00	3,306.28	2,818.87	(-)487.41	अंतिम बचत तथा ₹ 193.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०				

**अनुदान संख्या -44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,72,08,136	1,72,33,136	1,27,02,369	(-)45,30,767
अनुपूरक	25,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				25,000
6 अगस्त 2020	25,000			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	40,000	40,000	0	(-)40,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹45,307.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹250.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹250.00 लाख), अंतिम बचत (₹45,307.67 लाख) से ₹45,057.67 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2070-00-001-0106	मूल अम्बेदकर फाउण्डेशन (राज्य स्कीम)	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-01-001-0001	मूल निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	7,351.65	7,351.65	5,410.96	(-)1,940.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-01-001-0003	मूल राज्य अनुसूचित जाति आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	229.36	229.36	75.68	(-)153.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-01-001-0101	मूल निदेशन और प्रशासन (राज्य स्कीम)	100.00	100.00	37.94	(-)62.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-01-102-0101	मूल परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (राज्य स्कीम)	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-01-102-0216	मूल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	4,000.00	4,000.00	0.00	(-)4,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-01-197-0101	मूल छात्रवृत्ति/वजीफा (राज्य स्कीम)	13,900.00	13,900.00	6,488.24	(-)7,411.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-01-277-0002	मूल	1,090.22	1,090.22	602.85	(-)487.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2225-01-277-0003	मूल	13,772.12	13,772.12	9,080.09	(-)4,692.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2225-01-277-0007	मूल	200.00	200.00	50.00	(-)150.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रवेशिकोत्तर शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2225-01-277-0012	मूल	286.61	286.61	122.81	(-)163.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2225-01-277-0101	मूल	2,600.00	2,830.00	647.04	(-)2,182.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षा (राज्य स्कीम)		अनु०				
2225-01-277-0107	मूल	34,454.00	34,224.00	25,513.24	(-)8,710.76	शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-81 दिनांक 12/02/2020 एवं इस विभाग के पत्र संख्या-1311 दिनांक 29/06/2020 के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के आंतरिक समायोजन के कारण, ₹230.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शिक्षा (राज्य स्कीम)		पुनर्वि०				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-01-277-0219	मूल	6,000.00	6,000.00	0.00	(-)6,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-01-793-0401	मूल	5,000.00	5,000.00	584.79	(-)4,415.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-02-102-0201	मूल	1,500.00	1,500.00	189.44	(-)1,310.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-02-102-0202	मूल	1,500.00	1,500.00	1,146.00	(-)354.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-02-277-0003	मूल	152.23	152.23	59.80	(-)92.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-02-277-0004	मूल	2,524.55	2,524.55	1,744.25	(-)780.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-02-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	2,051.00	2,051.00	815.50	(-)1,235.50	शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-81 दिनांक 12/02/2020 एवं इस विभाग के पत्र संख्या-1311 दिनांक 29/06/2020 के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के आंतरिक समायोजन के कारण, ₹20.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	20.00				
	पुनर्वि०	(-)20.00				
2225-02-277-0106 आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	218.16	(-)31.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2225-02-282-0001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	188.55	188.55	152.72	(-)35.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2251-00-090-0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	577.07	577.07	388.44	(-)188.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 44- क्रमांत**

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-01-277-0011	मूल	1,125.00	1,125.00	1,684.89	(+)559.89	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
छात्रवृत्तियां और वृत्तियां (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹400.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया।

(vi) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4425-00-108-0164	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 45- गन्ना उद्योग विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	11,89,530	11,97,830	4,69,464	(-)7,28,366
अनुपूरक	8,300			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹7,283.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹83.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या- 45- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2401-00-108-0002	मूल	1,190.90	1,190.90	933.03	(-)257.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गन्ना की खेती (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2401-00-108-0109	मूल	2,490.00	2,490.00	413.07	(-)2,076.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ईख विकास (राज्य स्कीम)						
2401-00-789-0108	मूल	480.00	480.00	38.37	(-)441.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ईख विकास (राज्य स्कीम)						
2401-00-796-0129	मूल	30.00	30.00	1.75	(-)28.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
ईख विकास (राज्य स्कीम)						
2852-08-201-0001	मूल	309.09	324.09	139.30	(-)184.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय-मुख्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				
2852-08-201-0002	मूल	228.74	228.74	143.57	(-)85.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय-जिला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2852-08-201-0103	मूल	5,810.00	5,810.00	2,820.99	(-)2,989.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)						
2852-08-789-0101	मूल	1,120.00	1,120.00	0.00	(-)1,120.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 45- क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2852-08-796-0102	मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
आर्थिक सहायता (गन्ना उद्योग विभाग) (राज्य स्कीम)						
3451-00-090-0002	मूल	166.57	234.57	204.55	(-)30.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
गन्ना उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	68.00				

**अनुदान संख्या- 46- पर्यटन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3452 पर्यटन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	6,24,909	8,03,420	1,86,905	(-)6,16,515
अनुपूरक	1,78,511			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,31,100
18 फरवरी 2021	1,31,100			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	22,11,400	22,91,900	3,77,203	(-)19,14,697
अनुपूरक	80,500			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				80,500
18 फरवरी 2021	80,500			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹6,165.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹474.11 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹1,311.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,785.11 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,311.00 लाख), अंतिम बचत (₹6,165.15 लाख) से ₹4,854.15 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 46- क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3451-00-090-0015	मूल	408.21	408.21	327.48	(-)80.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
पर्यटन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3452-01-190-0102	अनु०	445.00	445.00	0.00	(-)445.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (राज्य स्कीम)						
3452-01-190-0103	मूल	175.00	175.00	57.75	(-)117.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
होटल प्रबंधन संस्थान, बोधगया (राज्य स्कीम)						
3452-80-001-0001	मूल	1,941.33	1,941.33	367.18	(-)1,574.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
3452-80-003-0101	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)						
3452-80-104-0103	मूल	3,300.00	2,855.00	463.80	(-)2,391.20	अंतिम बचत तथा ₹1,311.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	866.00				
	पुनर्वि०	(-)1,311.00				
पर्यटकीय विकास (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 46- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹19,146.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹805.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹805.00 लाख), अंतिम बचत (₹19,146.97 लाख) से ₹18,341.97 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5452-01-101-0104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	22,114.00	22,114.00	3,867.53	(-)18,246.47	अंतिम बचत तथा ₹ 805.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	805.00				
	पुनर्वि०	(-)805.00				

**अनुदान संख्या -47- परिवहन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041	वाहन कर
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
3055	सड़क परिवहन
3075	अन्य परिवहन सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	35,86,943	40,10,616	21,77,392	(-)18,33,224
अनुपूरक	4,23,673			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				83,000
18 फरवरी 2021	83,000			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
------	--------------------------------

दत्तमत :

मूल	1,40,000	1,40,000	8,800	(-)1,31,200
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹18,332.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹0.02 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹4,236.71 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,236.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹830.00 लाख), अंतिम बचत (₹18,332.24 लाख) से ₹17,502.24 लाख कम था।

**अनुदान संख्या -47- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2041-00-001-0001 राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	628.19	629.20	453.54	(-)175.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	1.01				
2041-00-101-0001 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	480.01	480.01	250.21	(-)229.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2041-00-101-0002 मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,277.79	8,193.90	5,563.27	(-)2,630.63	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹90.30 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	6.41				
	पुनर्वि०	(-)90.30				
2041-00-101-0003 बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,460.00	960.00	260.54	(-)699.46	अंतिम बचत तथा ₹ 500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2041-00-101-0005 सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,320.00	5,219.30	1,317.26	(-)3,902.04	अंतिम बचत तथा ₹ 330.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4,229.30				
	पुनर्वि०	(-)330.00				
2041-00-102-0001 वाहनों का निरीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	437.36	437.36	271.92	(-)165.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0035 परिवहन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	228.81	319.12	189.10	(-)130.02	प्रावधान में ₹90.30 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 90 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹0.54 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	90.30				
3055-00-190-0102 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	6,000.00	1,943.00	(-)4,057.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3055-00-190-0104 बिहार स्वच्छ इंधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	30.80	(-)1,969.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3055-00-199-0101 मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	6,000.00	4,746.74	(-)1,253.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3055-00-789-0101 मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,000.00	8,000.00	5,930.57	(-)2,069.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3055-00-796-0101 मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	394.32	(-)605.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या -47- क्रमांत

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹1,312.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,400.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईं:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5055-00-051-0101	मूल	600.00	600.00	66.00	(-)534.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण (राज्य स्कीम)						
5055-00-051-0102	मूल	200.00	200.00	22.00	(-)178.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वाहन प्रशिक्षण संस्थान (राज्य स्कीम)						
5055-00-051-0103	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वे-ब्रीज का निर्माण (धर्मकांटा) (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 48- नगर विकास एवं आवास विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015	निर्वाचन
2215	जलापूर्ति तथा सफाई
2217	शहरी विकास
2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं
3435	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	7,16,37,154	9,34,31,963	5,59,03,889	(-)3,75,28,074
अनुपूरक	2,17,94,809			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				27,50,000
24 फरवरी 2021	27,50,000			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5075	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
------	---------------------------------------

दत्तमत :

मूल	5,00,000	25,00,000	5,00,000	(-)20,00,000
अनुपूरक	20,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹3,75,280.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹2,17,948.09 लाख का अनुपूरक अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹27,500.00 लाख), अंतिम बचत (₹3,75,280.74 लाख) से ₹3,47,780.74 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 48- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2015-00-109-0001	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2215-01-191-0101	मूल	1,500.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹350.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,150.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,500.00				
2215-01-192-0101	मूल	1,927.01	0.01	0.00	(-)0.01	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹450.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,477.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,927.00				
2215-01-193-0102	मूल	350.00	350.00	0.00	(-)350.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2215-01-789-0101	मूल	3,500.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹875.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹2,625.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)3,500.00				
पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2215-01-789-0102 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,500.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,125.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹3,375.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)4,500.00				
2215-01-789-0103 पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	3,000.00	1,584.42	(-)1,415.58	अंतिम बचत तथा ₹ 1,000. 00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2215-01-796-0102 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2215-01-796-0103 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,572.99	1,572.99	550.00	(-)1,022.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2215-02-192-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	1,233.16	(-)766.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2215-02-193-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	530.34	(-)469.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2215-02-789-0101 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	24,100.00	23,260.87	(-)839.13	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹9,600.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	13,500.00				
	पुनर्वि०	9,600.00				
2217-01-191-0109 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	13,000.00	10,995.19	(-)2,004.81	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6,000.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4,000.00				
	पुनर्वि०	6,000.00				
2217-01-191-0110 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	250.00	0.00	(-)250.00	₹250.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)250.00				
2217-01-191-0115 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	2,000.00	1,847.54	(-)152.46	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,000.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)2,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2217-01-789-0102	मूल	4,500.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,100.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,400.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)						
2217-01-789-0205	मूल	4,800.00	4,800.00	0.00	(-)4,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-01-796-0201	मूल	275.00	275.00	104.48	(-)170.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-03-001-0001	मूल	1,030.43	1,030.43	21.47	(-)1,008.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शहरी क्षेत्र आयोजन प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2217-03-051-0201	मूल	19,010.00	19,010.00	0.00	(-)19,010.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वच्छ भारत अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-03-051-0203	मूल	29,850.00	29,850.00	10,132.62	(-)19,717.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-03-051-0204	मूल	42,000.00	42,000.00	0.00	(-)42,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्मार्ट सिटी मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2217-03-051-0205	मूल	990.00	990.00	0.00	(-)990.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
झीलों का सौन्दर्यीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-03-051-0301	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-)5,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्वच्छ भारत अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-03-051-0302	मूल	13,000.00	41,959.00	13,000.00	(-)28,959.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	28,959.00				
2217-03-051-0304	मूल	20,000.00	20,000.00	250.00	(-)19,750.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
स्मार्ट सिटी मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-03-051-0305	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
झीलों का सौन्दर्यीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2217-03-191-0102	मूल	190.00	190.00	162.30	(-)27.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)						
2217-03-191-0113	मूल	0.01	10,000.01	567.61	(-)9,432.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भू अर्जन (राज्य स्कीम)	अनु०	10,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-03-192-0013	मूल	400.00	700.00	466.62	(-)233.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	300.00				
2217-03-192-0101	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)						
2217-03-192-0106	मूल	2,500.00	1,250.00	0.00	(-)1,250.00	अंतिम बचत तथा ₹ 1,250.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थानों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)1,250.00				
2217-03-193-0012	मूल	660.00	860.00	718.46	(-)141.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	200.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	(+)	
			( ₹ लाख में )			
2217-03-193-0101	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)						
2217-03-193-0102	मूल	300.00	300.00	255.48	(-)44.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)						
2217-03-193-0103	मूल	19,032.01	6,332.01	933.85	(-)5,398.16	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,700.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹8,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)		पुनर्वि० (-)12,700.00				
2217-03-193-0104	मूल	300.00	500.00	335.26	(-)164.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)		अनु० 200.00				
2217-03-193-0105	मूल	2,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	₹1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित (राज्य स्कीम)		पुनर्वि० (-)1,000.00				
2217-03-193-0113	मूल	1,700.00	1,700.00	0.00	(-)1,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
विशेष स्वच्छता अनुदान (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-03-789-0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	22,467.99	11,994.99	2,464.51	(-)9,530.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5,500.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹4,973.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)10,473.00				
2217-03-789-0205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,800.00	4,800.00	2,937.60	(-)1,862.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2217-03-796-0203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	275.00	275.00	214.20	(-)60.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2217-05-001-0008 एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,512.59	10,512.59	1,013.47	(-)9,499.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2217-05-001-0101 ई-गवर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-05-001-0102	मूल	100.00	100.00	0.00	(-100.00)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों (राज्य स्कीम)						
2217-05-001-0107	मूल	1,000.00	500.00	0.00	(-500.00)	₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थओं को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-500.00)				
2217-80-001-0002	मूल	244.48	264.48	196.16	(-68.32)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	20.00				
2217-80-001-0004	मूल	47.03	47.03	0.85	(-46.18)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर पालिका भवन न्याधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2217-80-001-0005	मूल	748.24	748.24	0.00	(-748.24)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2217-80-001-0006	मूल	224.66	224.66	102.65	(-)122.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2217-80-001-0501	मूल	14,300.00	14,300.00	0.00	(-)14,300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार नगरीय विकास परियोजना - बाह्य संपोषित (राज्य स्कीम)						
2217-80-191-0010	मूल	1,05,736.00	1,05,736.00	85,088.20	(-)20,647.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2217-80-191-0013	मूल	52,798.14	82,136.17	34,338.03	(-)47,798.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				
2217-80-191-0015	मूल	43.39	83.39	55.86	(-)27.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-80-192-0005 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	38,642.56	61,468.40	22,725.84	(-)38,742.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	22,825.84				
2217-80-192-0008 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	161.73	311.73	198.37	(-)113.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	150.00				
2217-80-192-0009 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,574.23	2,574.23	0.00	(-)2,574.23	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2217-80-193-0005 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	21,111.30	32,775.41	11,664.10	(-)21,111.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	11,664.11				
2217-80-193-0008 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,565.68	1,565.68	0.00	(-)1,565.68	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2251-00-090-0005 नगर विकास एवं आवास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,504.36	1,544.36	1,069.37	(-)474.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	40.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3475-00-108-0202	मूल	4,125.00	4,125.00	2,261.90	(-)1,863.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
3475-00-789-0202	मूल	3,200.00	3,200.00	695.25	(-)2,504.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-01-191-0116	मूल	400.00	1,200.00	1,197.61	(-)2.39	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹500.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नगर क्षेत्र में नागरिक	अनु०	300.00				
सुविधाएँ (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	500.00				
2217-80-192-0010	अनु०	0.02	0.02	566.19	(+)566.17	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
छावनी परिषद् को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 48- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹20,000.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹20,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5075-60-190-0101 पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	25,000.00	5,000.00	(-)20,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	20,000.00				

**अनुदान संख्या- 49- जल संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2700 मुख्य सिंचाई  
2701 मध्यम सिंचाई  
2705 कमान क्षेत्र विकास  
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास  
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,09,58,719	1,09,58,719	81,43,104	(-)28,15,615
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,50,000
26 मार्च 2021	1,50,000			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय  
4711 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	2,95,77,400	4,03,33,081	1,95,61,705	(-)2,07,71,376
अनुपूरक	1,07,55,681			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40,66,700
23 दिसम्बर 2020	30,66,700			
25 फरवरी 2021	10,00,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹28,156.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,09,587.19 लाख का मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।  
(ii) अत्यर्पित प्रावधान (₹1,500.00 लाख), अंतिम बचत (₹28,156.15 लाख) से ₹26,656.15 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2700-04-101-0001	मूल अन्य रख रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	15,445.00	15,445.00	8,458.03	(-)6,986.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2700-04-101-0002	मूल बाण सागर जलाशय के रख रखाव व्यय मे बिहार राज्य की हिस्सेदारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,125.00	1,125.00	730.00	(-)395.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2705-00-001-0204	मूल प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, उत्तर कोयल सीएडीडब्ल्यूएम योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2705-00-001-0304	मूल प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	3,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	उत्तर कोयल सीएडीडब्ल्यूएम योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण ₹1,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2711-01-103-0002	मूल अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	22,060.00	22,060.00	5,776.95	(-)16,283.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3451-00-090-0009	मूल जल संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	2,660.58	2,660.58	2,226.55	(-)434.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

**अनुदान संख्या- 49- क्रमशः**

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

(iv) ₹2,07,713.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹1,07,556.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹40,667.00 लाख), अंतिम बचत (₹2,07,713.76 लाख) से ₹1,67,046.76 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4700-80-005-0101	मूल	600.00	600.00	232.06	(-)367.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
सर्वे तथा खोज (स्थापना) (राज्य स्कीम)						
4700-80-051-0102	मूल	50.00	50.00	1.15	(-)48.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नदी बेसिनों को जोड़ने की याजना (राज्य स्कीम)						
4700-80-051-0104	मूल	60,000.00	1,05,712.78	66,218.77	(-)39,494.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	45,712.78				
सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)						
4700-80-051-0105	मूल	48,350.00	63,612.90	31,711.75	(-)31,901.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	15,262.90				
सिंचाई सृजन परियोजनाये (कार्य) (राज्य स्कीम)						
4700-80-051-0207	मूल	26,400.00	2,938.00	1,172.21	(-)1,765.79	बचत की सम्भावना के कारण ₹24,067.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	605.00				
	पुनर्वि०	(-)24,067.00				
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4700-80-051-0309 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	5,947.75	1,895.63	(-)4,052.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	947.75				
4700-80-051-0310 उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (नाबार्ड एलटीआईएफ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-)5,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4700-80-789-0102 सिंचाई सृजन परियोजनायें (राज्य स्कीम)	मूल	27,000.00	27,991.38	15,169.96	(-)12,821.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	991.38				
4711-01-051-0110 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	20,125.00	6,972.64	(-)13,152.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	10,125.00				
4711-01-051-0111 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	5,250.76	(-)4,749.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4711-01-051-0209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50,600.00	57,663.00	34,423.92	(-)23,239.08	बचत की सम्भावना के कारण ₹6,600.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	13,663.00				
	पुनर्वि०	(-)6,600.00				

अनुदान संख्या- 49- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4711-01-051-0212 सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,500.00	14,786.00	3,484.33	(-)11,301.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,286.00				
4711-01-051-0309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16,274.00	19,937.00	15,955.59	(-)3,981.41	बचत की सम्भावना के कारण ₹10,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	13,663.00				
	पुनर्वि०	(-)10,000.00				
4711-01-789-0104 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	21,000.00	21,000.00	10,191.10	(-)10,808.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4711-01-796-0101 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	7,300.00	1,289.93	(-)6,010.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	4,300.00				

**अनुदान संख्या- 50- लघु जल संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2702 लघु सिंचाई

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	41,15,883	1,05,43,383	87,25,060	(-)18,18,323
अनुपूरक	64,27,500			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				38,000
08 मार्च 2021	38,000			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	78,75,000	78,75,000	25,71,942	(-)53,03,058
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹18,183.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2021 में प्राप्त किया गया ₹64,275.00 लाख का अनुपूरक अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹380.00 लाख), अंतिम बचत (₹18,183.23 लाख) से ₹17,803.23 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 50- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2702-02-005-0001 सर्वेक्षण और जाँच (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,412.78	18,412.78	14,497.01	(-)3,915.77	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं पदों के रिक्त रहने के कारण ₹ 380.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	380.00				
	पुनर्वि०	(-)380.00				
2702-02-005-0101 सर्वेक्षण और जाँच (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-02-016-0101 बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,202.50	1,202.50	936.01	(-)266.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-02-789-0101 बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना (राज्य स्कीम)	मूल	280.00	280.00	211.76	(-)68.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-03-101-0001 कार्यभारित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	42.10	42.10	9.34	(-)32.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-03-101-0002 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75.00	75.00	42.97	(-)32.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-03-102-0005 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2702-03-103-0007	मूल अन्य रख रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,000.00	1,000.00	194.11	(-)805.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-03-103-0104	मूल निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	10,781.50	10,781.50	949.64	(-)9,831.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-03-789-0101	मूल निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	2,088.00	2,088.00	117.67	(-)1,970.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2702-03-796-0101	मूल निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	130.50	130.50	7.58	(-)122.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
3451-00-090-0030	मूल लघु जल संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	1,303.95	1,303.95	676.29	(-)627.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹53,030.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹78,750.00 लाख का मूल उपबंध अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईं:

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
4702-00-101-0101	मूल लघु सिंचाई (राज्य स्कीम)	1,080.00	1,080.00	88.01	(-)991.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
4702-00-101-0205	मूल प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	12,865.00	12,865.00	467.08	(-)12,397.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
4702-00-101-0305	मूल	1,660.00	1,660.00	186.58	(-)1,473.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4702-00-102-0102	मूल	8,300.00	8,300.00	3,651.45	(-)4,648.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)						
4702-00-102-0107	मूल	41,500.00	41,500.00	17,755.96	(-)23,744.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जल जीवन हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)						
4702-00-789-0101	मूल	160.00	160.00	15.26	(-)144.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
लघु सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)						
4702-00-789-0104	मूल	1,600.00	1,600.00	556.87	(-)1,043.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)						
4702-00-789-0105	मूल	8,000.00	8,000.00	2,898.76	(-)5,101.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जल जीवन हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 50- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4702-00-789-0205	मूल	2,480.00	2,480.00	87.79	(-)2,392.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4702-00-789-0305	मूल	320.00	320.00	54.81	(-)265.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
4702-00-796-0105	मूल	100.00	100.00	24.16	(-)75.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)						
4702-00-796-0106	मूल	500.00	500.00	123.18	(-)376.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
जल जीवन हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)						
4702-00-796-0206	मूल	155.00	155.00	5.09	(-)149.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						

**अनुदान संख्या- 51- समाज कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2236 पोषण  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	7,97,41,641	10,97,05,549	8,79,46,950	(-)2,17,58,599
अनुपूरक	2,99,63,908			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,35,92,720
13 अगस्त 2020	50,000			
4 सितंबर 2020	12,16,657			
26 फरवरी 2021	98,35,216			
17 मार्च 2021	5,86,294			
23 मार्च 2021	3,068			
31 मार्च 2021	19,01,485			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	2,01,900	4,76,279	0	(-)4,76,279
अनुपूरक	2,74,379			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,70,777
26 फरवरी 2021	2,70,466			
17 मार्च 2021	2,00,311			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹2,17,585.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 (₹2,54,687.35 लाख) तथा फरवरी 2021 (₹44,951.73 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,99,639.08 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,35,927.20 लाख), अंतिम बचत (₹2,17,585.99 लाख) से ₹81,658.79 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-101-0001 नेत्रहीन विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	237.81	237.81	97.63	(-)140.18	अंतिम बचत तथा ₹ 6.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	6.05				
	पुनर्वि०	(-)6.05				
2235-02-101-0002 मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	264.92	264.92	147.85	(-)117.07	अंतिम बचत तथा ₹24.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	24.63				
	पुनर्वि०	(-)24.63				
2235-02-101-0022 दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	245.38	245.38	79.14	(-)166.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-101-0106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	1,300.00	190.00	(-)1,110.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	700.00				
2235-02-101-0119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	390.00	(-)210.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-101-0121 मुख्य मंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	195.00	(-)105.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-101-0223	मूल	1,800.00	1,800.00	0.00	(-)1,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-101-0323	मूल	95.00	95.00	11.33	(-)83.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-102-0117	मूल	13,369.80	13,369.80	11,867.22	(-)1,502.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-102-0222	मूल	77,112.55	62,416.14	40,175.13	(-)22,241.01	भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण ₹10,669.45 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत तथा ₹ 9,555.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	5,528.69				
	पुनर्वि०	(-)20,225.10				
2235-02-102-0223	मूल	3,499.98	3,499.98	2,203.69	(-)1,296.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-02-102-0224	मूल	433.92	259.68	259.49	(-)0.19	अंतिम बचत तथा ₹ 174.24 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)174.24				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-102-0225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन ( आई.एस.एस.एन.आई. पी. सहित ) ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	24,019.60	9,540.59	7,215.01	(-)2,325.58	आंतरिक समायोजन के कारण ₹4,182.10 लाख तथा लॉकडाउन के कारण ₹ 15,414.10 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	5,117.19				
	पुनर्वि०	(-)19,596.20				
2235-02-102-0226 राष्ट्रीय पालनाघर योजना ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)60.00				
2235-02-102-0322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं ( आईसीडीएस ) ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	23,327.63	49,382.16	46,774.82	(-)2,607.34	चिकित्सा भत्ता एवं किराया कर में अतिरिक्त उपबंध प्राप्त करने हेतु ₹ 855.00 लाख तथा भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण ₹3,935.58 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,342.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	35,187.61				
	पुनर्वि०	(-)9,133.08				
2235-02-102-0323 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम ( आईसीपीएस ) ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	2,799.98	2,799.98	1,819.99	(-)979.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-102-0324	मूल	0.02	310.92	193.46	(-)117.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	310.90				
2235-02-102-0325	मूल	3,002.45	3,574.38	1,175.39	(-)2,398.99	भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण ₹1,927.36 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹750.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	3,249.29				
	पुनर्वि०	(-)2,677.36				
2235-02-102-0326	मूल	30.00	22.50	0.00	(-)22.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹7.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	पुनर्वि०	(-)7.50				
2235-02-102-0327	मूल	30,173.58	30,173.58	27,581.67	(-)2,591.91	आंतरिक समायोजन के कारण ₹799.99 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	799.99				
	पुनर्वि०	(-)799.99				
2235-02-103-0003	मूल	250.00	473.76	386.26	(-)87.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	223.76				
2235-02-103-0105	मूल	500.00	500.00	325.00	(-)175.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-103-0111	मूल	4,000.01	4,000.01	2,600.01	(-)1,400.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कन्या सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-103-0219	मूल	1,500.00	13.61	0.00	(-)13.61	आंतरिक समायोजन के कारण ₹1,486.39 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)1,486.39				
2235-02-103-0225	मूल	2,423.54	1,158.20	989.79	(-)168.41	लॉकडाउन के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 1,265.34 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मातृत्व लाभ योजना (प्रधान मंत्री मातृ वंदन योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)1,265.34				
2235-02-104-0001	मूल	218.88	218.88	180.31	(-)38.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-02-104-0107	मूल	1,000.00	1,000.00	330.00	(-)670.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्य मंत्री भीक्षावृत्ति निवारण योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-104-0110	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-)5,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-104-0201	मूल	1,000.00	1,000.00	150.00	(-)850.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.एस. आर.सी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2235-02-106-0001	मूल	598.26	592.03	411.66	(-)180.37	प्रावधान में ₹6.23 लाख की हुई कमी, ₹ 40.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 46.23 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
प्रतिप्रक्षण गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)6.23				
2235-02-106-0008	मूल	171.04	171.04	116.61	(-)54.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2235-02-106-0106	मूल	1,800.00	1,800.00	1,132.46	(-)667.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-106-0107	मूल	294.96	294.96	147.34	(-)147.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-200-0103	मूल	2,400.00	2,400.00	200.00	(-)2,200.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-200-0105	मूल	400.00	400.00	200.00	(-)200.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-200-0108	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड (राज्य स्कीम)						
2235-02-200-0201	मूल	1,000.00	1,000.00	18.37	(-)981.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)						
2235-02-789-0104	मूल	1,100.00	1,100.00	50.00	(-)1,050.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-789-0107	मूल	3,691.00	3,691.00	577.00	(-)3,114.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-789-0109	मूल	3,999.99	3,999.99	2,599.99	(-)1,400.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-789-0111	मूल	200.00	200.00	130.00	(-)70.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) (राज्य स्कीम)						

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-796-0123	मूल	626.00	626.00	56.70	(-)569.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)						
2235-02-800-0002	मूल	500.00	500.00	366.00	(-)134.00	अंतिम बचत तथा ₹ 500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
अन्तर्जातीय विवाह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2235-03-101-0101	मूल	44,000.00	45,310.38	40,511.52	(-)4,798.86	अंतिम बचत तथा ₹ 12,400.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (2019-20) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	13,710.38				
	पुनर्वि०	(-)12,400.00				
2235-03-101-0102	मूल	38.00	1,613.40	200.00	(-)1,413.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (2019-20) राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	1,575.40				
2235-03-101-0103	मूल	70.00	4,570.00	1,727.80	(-)2,842.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	4,500.00				
2235-03-101-0302	मूल	800.00	1,297.88	761.88	(-)536.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	497.88				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-03-102-0203	मूल	7,200.00	1,200.00	100.00	(-)1,100.00	अंतिम बचत तथा ₹ 6,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)6,000.00				
2235-03-789-0101	मूल	13,300.00	10,300.00	8,644.62	(-)1,655.38	अंतिम बचत तथा ₹3,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
2235-03-789-0102	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-03-796-0303	मूल	800.00	800.00	264.00	(-)536.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2235-60-102-0001	मूल	2,697.60	2,697.60	1,773.35	(-)924.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
2236-02-101-0203	मूल	89,911.04	34,085.40	32,915.07	(-)1,170.33	भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण ₹33,347.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹22,477.76 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)55,825.64				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2236-02-789-0204	मूल	53,725.39	45,879.71	43,274.71	(-)2,605.00	प्रावधान में ₹7,845.68 लाख की हुई कमी, ₹22,477.76 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹30,323.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। भारत सरकार द्वारा एपीआईपी में कम स्वीकृति के कारण ₹30,323.44 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि, तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)7,845.68				
2251-00-090-0015	मूल	655.52	655.52	483.22	(-)172.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
समाज कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-104-0106	मूल	1,800.00	2,523.00	3,123.00	(+)600.00	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	723.00				

**अनुदान संख्या- 51- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹4,762.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹2,743.79 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,707.77 लाख), अंतिम बचत (₹4,762.69 लाख) से ₹54.52 लाख कम था।

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4235-02-102-0208 एकीकृत बाल विकास सेवाएं ( आईसीडीएस ) ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	2,013.96	30.00	0.00	(-)30.00	आंतरिक समायोजन के कारण ₹2,704.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	720.70				
	पुनर्वि०	(-)2,704.66				
4235-02-102-0308 एकीकृत बाल विकास सेवाएं ( आईसीडीएस ) ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	0.02	20.00	0.00	(-)20.00	भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण ₹ 2,003.11 लाख की प्रत्यर्पण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।
	अनु०	2,023.09				
	पुनर्वि०	(-)2,003.11				

परिशिष्ट

वर्ष 2020-21 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण  
(पृष्ठ (xvi) पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
1 कृषि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	24,07,124	(+)24,07,124
पूँजी	0	118	(+)118
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	8,92,596	(+)8,92,596
3 भवन निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,500	(+)6,500
पूँजी	0	19	(+)19
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	27	(+)27
6 निर्वाचन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	40,735	(+)40,735
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	36,995	(+)36,995
9 सहकारिता विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,549	(+)3,549
पूँजी	0	99	(+)99
10 ऊर्जा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	405,310	(+)405,310

परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	703,453	(+)703,453
12 वित्त विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	78,292	(+)78,292
13 सूद भुगतान			
प्रभारित			
राजस्व	100	83	(-)17
15 पेंशन			
दत्तमत			
राजस्व	0	364,872	(+)364,872
16 पंचायती राज विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	221,357	(+)221,357
17 वाणिज्य-कर विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7,698	(+)7,698
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7,033	(+)7,033
19 पर्यावरण एवं वन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,889	(+)6,889
पूँजी	0	8,764	(+)8,764
20 स्वास्थ्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	99,104	(+)99,104

परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
21 शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	17,48,248	(+)17,48,248
पूँजी	0	78,012	(+)78,012
22 गृह विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,11,804	(+)2,11,804
पूँजी	0	23,818	(+)23,818
23 उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,34,154	(+)6,34,154
पूँजी	0	15,083	(+)15,083
24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	491	(+)491
25 सूचना प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	50,019	(+)50,019
26 श्रम संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,539	(+)4,539
पूँजी	0	37,577	(+)37,577
27 विधि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	804	(+)804
प्रभारित			
राजस्व	0	823	(+)823

परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
29 खान एवं भूतत्व विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	939	(+)939
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	36,525	(+)36,525
पूँजी	0	155,088	(+)155,088
32 विधानमंडल			
दत्तमत			
राजस्व	0	662	(+)662
33 सामान्य प्रशासन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	28	(+)28
35 योजना एवं विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	305,341	(+)305,341
पूँजी	0	12	(+)12
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,439	(+)1,439
पूँजी	0	10,55,376	(+)10,55,376
37 ग्रामीण कार्य विभाग			
दत्तमत			
पूँजी	0	68,916	(+)68,916
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	588	(+)588

परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
39 आपदा प्रबंधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	9,54,932	(+)9,54,932
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7,32,706	(+)7,32,706
पूँजी	0	9,598	(+)9,598
41 पथ निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,879	(+)1,879
पूँजी	0	2,995	(+)2,995
42 ग्रामीण विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,75,428	(+)3,75,428
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	518	(+)518
पूँजी	0	200	(+)200
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	85,00,976	(+)85,00,976
45 गन्ना उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	35	(+)35
46 पर्यटन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,345	(+)2,345

परिशिष्ट- क्रमांत

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
47 परिवहन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	22,620	(+)22,620
48 नगर विकास एवं आवास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,77,363	(+)6,77,363
49 जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	23,146	(+)23,146
पूँजी	0	3,695	(+)3,695
50 लघु जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,45,870	(+)245,870
51 समाज कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	9,08,268	(+)9,08,268
पूँजी	0	5,621	(+)5,621
<b>योग</b>			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,07,23,201	(+)2,07,23,201
पूँजी	0	14,64,991	(+)1,464,991
प्रभारित			
राजस्व	100	906	(+)806
पूँजी	0	0	0
<b>कुल योग</b>	<b>100</b>	<b>2,21,89,098</b>	<b>(+)2,21,88,998</b>

टीका एवं टिप्पणियाँ -

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2021)।



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
2021  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)



[www.ag.bih.nic.in](http://www.ag.bih.nic.in)